रजि० सं०डी-(डी)-73 REGISTERED NO. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 12, 1976 (ज्येष्ठ 22, 1898)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12, 1976 (JYAISTHA 22, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 अप्रैल 1976

सं० ए० 32014/2/76-प्रशासन-I—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग ने सं० लो० से० आ० संवर्ग के स्थायी वैयक्तिक सहायकों (के० स० स्टे० का ग्रेड सी) सर्वश्री आर० एल० ठाकुर और के० सुन्दरम् को, जिन्हें अधिसूचना सं० ए० 32014/1/74-प्रशासन I दिनांक 23 मार्च, 1976 द्वारा 31-3-76 तक पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ रूप से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक के पदों पर स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। 1-4-1976 से 30-6-1976 तक तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी हैसियत से पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ रूप से स्थानापन्न आधार पर कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान कर दी है।

पी० एन० मुखर्जी, अवर सचिव
कृते अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 24 अप्रैल 1976

सं० ए० 32014/2/76—प्रशासन I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग के स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड सी) श्री एस० पी० मेहरा को राष्ट्रपति द्वारा 1-4-76 से 16-5-76 तक 46 दिन की अवधि के लिए उसी संवर्ग में पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ रूप से वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड बी) के पद पर स्थानापन्न आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एस० पी० मेहरा को नोट कर लेना चाहिए कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड बी) के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर है तथा इससे उन्हें केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड बी में संविलयन अथवा उस ग्रेड में वरिष्ठता का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

पी० एन० मुखर्जी,
अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

प्रवर्तन निदेशालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 अप्रैल 1976

नियुक्ति

फा० सं० ए०-11/14/76—श्री नृपेन्द्र नाथ बैनर्जी, आयकर निरीक्षक, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता को प्रवर्तन निदेशालय के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में दिनांक 7-4-76 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया जाता है।

नृपेन बक्शी
उप-निदेशक (प्रशासन)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1976

सं० ए०-20014/ /76-प्रशासन-I—पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री एन० के० मुखर्जी, पुलिस उप-निरीक्षक, कलकत्ता शाखा को प्रोन्नति हो जाने पर दिनांक 2 अप्रैल, 1976 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग, कलकत्ता शाखा में अस्थायी रूप से पुलिस निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

सं० ए०-20014/74/76-प्रशासन-I—पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री के० सी० बिस्वास, पुलिस उप-निरीक्षक, कलकत्ता शाखा को प्रोन्नति हो जाने पर दिनांक 5 अप्रैल, 1976 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना प्रभाग, कलकत्ता शाखा में अस्थायी रूप से पुलिस निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

गुलजारी लाल अग्रवाल,
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
कृते पुलिस उप-महानिरीक्षक
विशेष पुलिस स्थापना

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1976

सं० ए०-31013/2/75-प्रशासन-I—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से सर्वश्री के० एम० रंगाचारी तथा एस० पी० सेठ, स्थानापन्न उप-विधि सलाहकार, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 28-8-1975 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में मूल रूप से उप-विधि सलाहकार नियुक्त करते हैं।

गुलजारी लाल अग्रवाल,
प्रशासन अधिकारी (स्था०)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1976

सं० 2/10/76-प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री निरंजन लाल शर्मा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के एक स्थायी सहायक, को 3 मई, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक आयोग में स्थानापन्न रूप से अनुभाग अधिकारी नियुक्त करते हैं।

श्री निवास,
अवर सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 मई 1976

सं० O-II-1040/76-स्थापना—महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल डाक्टर एम० श्रीनिवासा रेड्डी को तदर्थ रूप में केवल 3 माह के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर उनको 15-4-1976 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

डाक्टर एम० श्रीनिवासा रेड्डी को सैकंड बैस हास्पिटल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में नियुक्त किया जाता है।

सं० पी०- vii -1/76-ईस्ट—राष्ट्रपति निम्नलिखित सहायक कमान्डन्टों को उनकी तदर्थ पदोन्नति के फलस्वरूप आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के कमान्डेन्ट के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं।

2. इन अधिकारियों के पदस्थापन स्थान और उनके पद छोड़ने तथा ग्रहण करने की तिथियां उनके नामों के सामने दी गई हैं :—

क्र० सं०	नाम	पद तथा यूनिट जिसका कार्यभार छोड़ा	कार्यभार छोड़ने की तिथि	पद तथा यूनिट जिसका कार्यभार सम्भाला	पद ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री गुरमोहन सिंह	सहायक कमान्डेन्ट 7 बटा०, सी० आर० पी० एफ०	8-4-76 (अपराह्न)	कमान्डेन्ट 16 बटा० सी० आर० पी० एफ०	17-4-76 (अपराह्न)
2.	श्री बी० के० करकरा	सहायक कमान्डेन्ट, ग्रुप सेन्टर सी० आर० पी० एफ०, दिल्ली	17-4-76 (अपराह्न)	कमान्डेन्ट 51 बटा० सी० आर० पी० एफ०	20-4-76 (अपराह्न)

ए० के० बन्द्योपाध्याय,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 अप्रैल 1976

सं० ई०-38013(3)/3/76-प्रशासन-I—केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, खाद्य भण्डार डिपो, दीघाघाट, पटना, से स्थानान्तरित होने पर, श्री चेतराम सिंह ने दिनांक 7 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, कृत्रिम अंग निर्माण निगम लि०, कानपुर के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-16013 (2)/4/76-प्रशा०-I—कर्नाटक की राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित होने पर, श्री एम० डी० सिंह, आई० पी० एस० (कर्नाटक-1968) ने दिनांक 25 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, आई० ओ० सी०, बरौनी के कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक 5 मई 1976

सं० ई०-16018/2/74-प्रशासन-I—पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा से स्थानान्तरित होने पर श्री डी० के० मित्रा, स्टेशन अधिकारी, ने दिनांक 8 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, अलाए स्टील प्लांट, दुर्गापुर के सहायक कमांडेंट (अग्निशमन) के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

दिनांक मई 1976

सं० ई-38013 (3)/7/76-प्रशा०-I—स्थानान्तरित होने पर, श्री अजीत सिंह, ने दिनांक 3 अप्रैल, 1976 के अपराह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, बी० आई० ओ० पी० (डिप-5) बेलाडिला, के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया और उन्होंने दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के अपराह्न से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यूनिट, स्पेस अपलीकेशन सेण्टर, अहमदाबाद के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार संभाल लिया।

ली० सिं० बिष्ट
महानिरीक्षक

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 मई 1976

सं० 11/4/76-म० पं० (प्रशा० 1)—राष्ट्रपति, राजस्थान में जनगणना कार्य निदेशक कार्यालय में अन्वेषक, श्री आर० सी० भार्गव को उसी कार्यालय में 8 अप्रैल, 1976 के अपराह्न से चार महीने की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाएगा, जो भी समय इनमें कम हो, पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री भार्गव का मुख्यालय जयपुर में होगा।

सं० 25/15/74-म० पं०—राष्ट्रपति, श्री एस० पी० मिश्र, अनुसंधान अधिकारी को श्री के० एस० कृष्णन के छुट्टी पर चले जाने से 10 मई, 1974 के अपराह्न से 10 जून, 1974 तक पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री मिश्र का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

सं० 11/4/76-म० पं० (प्रशा०-1)—राष्ट्रपति, तमिल नाडु में जनगणना कार्य निदेशक कार्यालय में अन्वेषक, श्री एम० पंचापकेशन को उसी कार्यालय में 9 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से चार महीने की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाएगा, जो भी समय इनमें कम हो, पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री पंचापकेशन का मुख्यालय मद्रास में होगा।

सं० 11/4/76-म० पं० (प्रशा०-1)—राष्ट्रपति, पंजाब में जनगणना कार्य निदेशक कार्यालय में अन्वेषक, श्री जी० एस० पवला को उसी कार्यालय में 9 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से चार महीने की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाएगा, जो भी समय इनमें कम हो, पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री पवला का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा।

रा० भा० चारी
भारत के महापंजीकार
और पदेन संयुक्त सचिव

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार–एक, मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 24 अप्रैल 1976

सं० प्रशासन एक/54—महालेखाकार, मध्यप्रदेश एक, ने निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को स्थानापन्न क्षमता में लेखा अधिकारी के पद पर प्रत्येक नाम के सम्मुख उल्लिखित दिनांक से नियुक्त किया है।

1. श्री टी० एस० लक्षमनन (02/0191)	7-4-1976 (अपराह्न)
2. श्री के० एम० महाजन (02/0193)	7-4-1976 (अपराह्न)

एस० एल० मल्होत्रा,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार डाक-तार

नई दिल्ली-110054, दिनांक 10 मई 1976

सं० का० आ० प्रशासन-52/23 (ए०) (2) डी०—उपनिदेशक लेखा व लेखापरीक्षा डाक-तार जयपुर कार्यालय के लेखाधिकारी श्री देशराज शर्मा का दिनांक 7-3-1976 को स्वर्गवास हो गया।

सं० प्रशा०-5-3/23 (ए०) (2) एस०—निदेशक लेखा व लेखापरीक्षा डाक-तार दिल्ली के स्थायी लेखाधिकारी श्री नारायण शर्मा दिनांक 31-3-1976 अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

प्रकाश नारायण मालवीय
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (मु० 1)

कार्यालय महालेखाकार पश्चिम बंगाल

कलकत्ता-700001, दिनांक 11 मई 1976

सं० एडमन०-I/947-II/579-617—महालेखाकार, पश्चिम बंगाल ने निम्नलिखित इस कार्यालय तथा महालेखाकार कार्यालय (केन्द्रीय) के सम्मिलित संवर्ग, स्थानापन्न लेखा अधिकारियों को उनके नाम के विरुद्ध अंकित दिनांक से मौलिक वेतनमान लेखा अधिकारी के पद पर बहाली करने की कृपा की है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	पुष्टि-दिनांक
	सर्वश्री	
1.	स० अधिकारी	1-3-73
2.	ग० पोद्दार	1-7-73
3.	हि० विश्वास	1-3-74
4.	न० च० राय	1-3-74
5.	वि० भू० भट्टाचार्य	1-3-74
6.	ध्रु० प्रसाद चौधुरी	1-3-74
7.	हरिपद दत्ता	1-3-74
8.	कन्हाई लाल वेरा	1-3-74
9.	गोपाल च० घोष	1-3-74
10.	अशोक नाथ बोस	1-12-74
11.	म० कर्मकार	29-12-74
12.	स० च० सेन	1-1-75
13.	प्रभाकर बनर्जी	27-1-75
14.	म० न० कर्मकार	1-3-75
15.	ग० ना० घोष	1-3-75
16.	ख० ना० मन्ना	1-3-75
17.	समीर बनर्जी	1-3-75
18.	उमापद शाहा	1-3-75
19.	ध्वजाधारी मुखर्जी	1-3-75
20.	नेमाई चन्द मुखर्जी	1-3-75
21.	प्रशान्त कु० सेन	1-3-75
22.	प्र० र० सोम	1-3-75
23.	क० लाल शाहा	1-3-75
24.	स० विश्वनाथन	1-3-75
25.	स० च० भट्टाचार्या	1-4-75
26.	ब्र० ब० राय	1-8-75
27.	अमूल्य कु० सेन (ii)	1-12-75
28.	स० गोपालकृष्णन	1-12-75
29.	फणी भूषण बनर्जी	1-1-76
30.	निर्मल कान्ति मुखर्जी	1-1-76
31.	तिकरी गुप्ता	1-2-76
32.	हृषीकेश गुप्ता	1-2-76

सं० एडमन०-I/1038-XIV/662—महालेखाकार, पश्चिम बंगाल ने स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री नेपाल चन्द्र मजूमदार को अस्थायी और स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 10-5-76 या अगला आदेश जारी होने तक बहाली करने की कृपा की है।

इनकी पारस्परिक वरिष्ठता लेखा अधिकारी के पद पर बाद में अंकित की जाएगी।

घनश्याम दास
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्र०)
पश्चिम बंगाल

महालेखाकार का कार्यालय
कर्नाटक

बैंगलूर, दिनांक 6 मार्च 1976

कार्यालय आदेश

सं० स्थापना/अ-4/755—महालेखाकार का कार्यालय, कर्नाटक बेंगलूर का स्थानापन्न लेखा अधिकारी श्री एच० आर० क्षेत्रपालय्या, को मौलिक क्षमता के लेखा अधिकारी पदक्रम में नियुक्त किया गया है।

डी० एच० वीरय्या
महालेखाकार

महालेखाकार, गुजरात अहमदाबाद का
कार्यालय

अहमदाबाद-1, दिनांक 14 मई 1976

सं० एस्ट० (ए०)/जी० ओ०/2 (173) 641—महालेखाकार गुजरात ने अधीन लेखा-सेवा के स्थायी सदस्य श्री सी० बी० सान्गानी को दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक महालेखाकार, गुजरात के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है।

सं० एस्ट० (ए०)/जी० ओ०/2 (172) 643—महालेखाकार, गुजरात ने अधीन लेखा-सेवा के स्थायी सदस्य श्री एस० एल० भट्ट को दिनांक 22 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक महालेखाकार गुजरात के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है।

सं० एस्ट० (ए०)/जी० ओ०/2 (174)/645—महालेखाकार गुजरात ने अधीन लेखा-सेवा के स्थायी सदस्य श्री ध्यान सिंह को दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक अपर महालेखाकार गुजरात, राजकोट के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है।

कौ० हि० छाया,
उप महालेखाकार (प्रशासन)
महालेखाकार गुजरात
अहमदाबाद का कार्यालय

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियन्त्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 5 मई 1976

सं० 40011(2)/75-प्रशा० ए०—(1) बार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारी प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिए गए/जायेंगे।

क्रम सं०	नाम, रोस्टर संख्या सहित	ग्रेड	पेंशन स्थापना को अंतरण की तारीख	संगठन
	सर्वश्री			
1.	बी० नटराजन (पी०/158)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-76	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर), पूना।
2.	के० एस० रामानुजम (पी०/242)	स्थायी लेखा अधिकारी	30-6-76	रक्षा लेखा नियंत्रक, (पेंशन), इलाहाबाद।
3.	एच० एल० भाटिया (पी०/254)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-76	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ।
4.	एच० आर० अग्निहोत्री (पी०/300)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-3-76	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ।
5.	एस० सुब्बारायुडू (पी०/371)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-12-75	रक्षा लेखा नियंत्रक, अन्य रैंक दक्षिण, मद्रास।
6.	एस० पी० माथुर (पी०/347)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-76	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ।
7.	के० एन० कल्याण सुन्दरम् (पुरानी सं० ओ०/142)	स्थायी लेखा अधिकारी	31-7-76	रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास।
8.	एस० बी० जोशी (अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-8-76	रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना।
9.	सरदारी लाल मोंगा (अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-7-76	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ।
10.	ओ० पी० गुप्ता (अभी नियत नहीं)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	31-7-76	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य मेरठ।

श्री बी० नटराजन, स्थायी लेखा अधिकारी को उनकी सेवा निवृत्ति पूर्व 19-4-76 से 31-7-76 तक की छुट्टी मंजूर की गई है।

(2) सिविल सेवा नियमावली जिल्द I के अनुच्छेद 459 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का नोटिस दे दिए जाने पर, रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ के संगठन में सेवारत श्री एम० एल० सिक्का, स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० पी०/258) को 11 अगस्त, 1976 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा।

(3) निम्नलिखित को इस विभाग की अधिसूचना सं० 40011 (2)/75-प्रशा० ए० दिनांक 5-4-76 के उप पैरा (1) के रूप में जोड़ा जाता है।

(क) श्री बी० एस० कामथ, स्थायी लेखा अधिकारी को उनकी सेवा निवृत्ति पूर्व 14-5-76 से 30-6-76 तक की अर्जित छुट्टी मंजूर की गई है।

(ख) श्री के० एन० एल० वत्सा, स्थायी लेखा अधिकारी को उनकी सेवा निवृत्ति पूर्व 17-4-76 से 30-6-76 तक 75 दिन की अर्जित छुट्टी मंजूर की गई है।

दिनांक 6 मई 1976

सं० 18065/प्रशा० II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जी० वी० काराजगी, रक्षा लेखा उप नियंत्रक को पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा और 31-10-76 के अपराह्न से विभाग की नफरी से निकाल दिया जायेगा।

दिनांक 10 मई 1976

सं० 40011 (1)/76/प्रशा० ए०—रक्षा लेखा महा नियंत्रक निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों (लेखा) को स्थानापन्न लेखा अधिकारियों के रूप में आगामी आदेश पर्यन्त, प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख से एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	संगठन, जिसमें सेवारत हैं	तारीख
	सर्वश्री		
1.	एल० सी० गुप्ता	रक्षा लेखा नियन्त्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ।	21-1-1976 (पूर्वाह्न)
2.	डी० श्रीनिवासन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर), पूना।	7-1-1976 (पूर्वाह्न)
3.	ओम प्रकाश शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ।	31-1-1976 (पूर्वाह्न)
4.	एम० बालसुब्रह्मण्यन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर), पूना।	9-3-1976 (पूर्वाह्न)
5.	ओ० पी० साहारन	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ।	28-1-1976 (पूर्वाह्न)
6.	हेमराज शर्मा	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ।	20-1-1976 (पूर्वाह्न)
7.	पृथ्वीराज चोपड़ा	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ।	1-4-1976 (पूर्वाह्न)
8.	मुकन्द लाल सहगल	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ।	18-3-1976 (पूर्वाह्न)
9.	ज्ञानचन्द अग्रवाल	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	6-4-1974 (पूर्वाह्न)
10.	मनमोहन सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	23-2-1976 (पूर्वाह्न)
11.	ओम प्रकाश गुप्ता	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ।	6-2-1976 (पूर्वाह्न)
12.	सी० आर० मजूमदार	रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना	16-2-1976 (पूर्वाह्न)
13.	हर प्रकाश भल्ला	रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (निधि) मेरठ।	1-3-1976 (पूर्वाह्न)
14.	ई० आर० चक्रवर्ती	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कलकत्ता	22-3-1976 (पूर्वाह्न)
15.	प्रताप सिंह	रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू।	23-3-1976 (पूर्वाह्न)
16.	ऋषि राम सरीन	रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ।	1-3-1976 (पूर्वाह्न)
17.	एस० एम० दूबे	रक्षा लेखा नियंत्रक, मध्य कमान, मेरठ।	2-3-1976 (पूर्वाह्न)
18.	ई० मानुअल	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कलकत्ता	4-3-1976 (पूर्वाह्न)
19.	एस० पी० कपिल	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद	1-4-1976 (पूर्वाह्न)
20.	अमरिक सिंह चतरथ	रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद	13-4-1976 (पूर्वाह्न)
21.	वी० पी० मूर्तिकार	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ सेना), बम्बई	2-4-1976 (पूर्वाह्न)
22.	के० वी० वर्घिस	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कलकत्ता	1-4-1976 (पूर्वाह्न)
23.	एम० पी० पद्मनाभा पिल्लै	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर), पूना	1-4-1976 (पूर्वाह्न)
24.	ई० एम० गावस्कर	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज), कलकत्ता	6-4-1976 (पूर्वाह्न)

दिनांक 11 मई 1976

सं० 3258/प्रशा० II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री के० ए० लक्ष्मीनरायनन, रक्षा लेखा नियन्त्रक (अन्य रैंक) दक्षिण मद्रास को पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा और 31-12-76 के अपराह्न से विभाग की नफरी से निकाल दिया जायेगा।

सं० 10054/प्रशा० II—डाक्टर यू० के० बनर्जी, आई० डी० ए० एस० [उद्योग एवं सिविल पूर्ति मंत्रालय, तकनीकी विकास के महा निदेशालय में सलाहकार (सूचना पद्धति) के रूप में प्रति नियुक्ति पर] द्वारा भारतीय रक्षा लेखा सेवा से दिया गया त्यागपत्र, 28-5-75 (अपराह्न) से स्वीकार कर लिया गया है। तदनुसार, उसी तारीख से उनका नाम रक्षा लेखा विभाग की नफरी से निकाल दिया गया है।

सं० 18331/प्रशा०-II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस० के० मुखर्जी, लेखा अधिकारी/रक्षा लेखा सहायक नियन्त्रक को पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा और 31 अक्तूबर, 1976 के अपराह्न से विभाग की नफरी से निकाल दिया जायेगा।

सं० 4733/प्रशा०-II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री के० राममूर्ति, रक्षा लेखा अपर महा नियन्त्रक को पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा और 30 नवम्बर, 1976 के अपराह्न से विभाग की नफरी से निकाल दिया जायेगा।

सं० 18280/प्रशा०-II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री टी० आर० नेदुंगादी रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक को पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायेगा और 31-10-76 के अपराह्न से विभाग की नफरी से निकाल दिया जायेगा।

सं० 18335/प्रशा०-II—58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस० रामचन्द्रन, रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक को 31-10-76 (अपराह्न) से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा और उनका नाम विभाग की नफरी से निकाल दिया जाएगा।

एस० के० सुन्दरम
रक्षा लेखा अपर महा नियंत्रक (प्रशासन)

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनैन्स फैक्टरियां सेवा

महानिदेशालय, आर्डनैन्स फैक्टरियां

कलकत्ता-16, दिनांक 28 अप्रैल 1976

सं० 29/76/जी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से पुष्ट करते हैं :—

1. डा० एस० भट्टाचार्या, स्थानापन्न सहायक महानिदेशक — 1 मई, 1974
2. श्री पी० राजागोपालन, स्थानापन्न सहायक महानिदेशक — 1 मई, 1974

सं० 30/76/जी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को डी० डी० जी० ओ० एफ०/महाप्रबन्धक (एस० जी०) के पद पर, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से पुष्ट करते हैं :—

1. श्री के० के० विष्नोई, स्थानापन्न डी० डी० जी० ओ० एफ० — 19 जून, 1973
2. श्री एम० पी० वैद्य, स्थानापन्न प्रबन्धक (एस० जी०) — 1 जून, 1974
3. श्री जी० आर० नरसिंहम्, स्थानापन्न डी० डी० जी० ओ० एफ० — 1 अगस्त, 1974

सं० 31/76/जी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-1/महाप्रबन्धक ग्रेड 1 के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से पुष्ट करते हैं :—

1. श्री आर० आर० बान्चू, स्थानापन्न महाप्रबन्धक (एस० जी०) — 7 मार्च, 1973
2. श्री जी० सी० दास, स्थानापन्न ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-1 (अवकाश प्राप्त) — 19 जून, 1973
3. श्री वी० एम० तनेजा, स्थानापन्न ए० डी० जी० ओ० एफ० ग्रेड-1 (अवकाश प्राप्त) — 1 मई, 1974
4. श्री आर० स्वामीनाथन, स्थानापन्न महाप्रबन्धक (एस० जी०) — 1 अगस्त, 1974
5. श्री के० नारायण, स्थानापन्न महाप्रबन्धक ग्रेड-1 — 1 दिसम्बर, 1974

आर० एम० मुजुमदार
महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

कलकत्ता-700016, दिनांक 4 मई 1976

सं० 32/76/जी०—सेवा निवृत्ति पूर्व अवकाश की समाप्ति पर, श्री टी० वी० एस० राव, स्थानापन्न प्रबन्धक (मौलिक एवं स्थायी उप-प्रबंधक), दिनांक 31 जनवरी, 1976 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

सं० 33/76/जी०—58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर श्री आर० डी० सपरे, स्थायी उप-प्रबन्धक दिनांक 30 नवम्बर, 1975 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

सं० 34/76 जी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को टी० एस० ओ०/सहायक प्रबन्धक के पद पर प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से पुष्ट करते हैं :—

1. श्री एम० आर० जेतप्रोली, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक— 11 नवम्बर, 1970

2. श्री ए० सक्सेना, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—20 नवम्बर, 1970
3. श्री एम० एम० शर्मा, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—5 दिसम्बर, 1970
4. श्री ए० वैरागन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—21 नवम्बर, 1970
5. श्री एस० चेंगलवरायण, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—9 जनवरी, 1971
6. श्री बी० एस० हस्ती—अस्थायी उप-प्रबन्धक—13 दिसम्बर, 1970
7. श्री पी० फरांसीस, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—13 दिसम्बर, 1970
8. श्री जी० जयाराव, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—8 दिसम्बर, 1970
9. श्री पी० के० रायचौधुरी, स्थानापन्न सहायक मैनेजर (अवकाश प्राप्त)—13 दिसम्बर, 1970
10. श्री एम० ए० अलाहन, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—31 दिसम्बर, 1973
11. श्री एस० घोष, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—23 दिसम्बर, 1973
12. श्री एन० डी० जोशी, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—11 फरवरी, 1974
13. श्री मनोहर प्रसाद, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—29 मार्च, 1974
14. श्री पी० सी० सेनगुप्ता, स्थानापन्न सहायक मैनेजर (अवकाश प्राप्त)—29 मार्च, 1974
15. डा० ए० के० बोरल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—18 सितम्बर, 1974
16. डा० के० जी० कैंगल, स्थानापन्न उप-प्रबन्धक—1 सितम्बर, 1974
17. श्री यू० सी० सक्सेना, सहायक प्रबन्धक (ओ० पी०)—10 जनवरी, 1975
18. श्री सुधाकर टाटा, सहायक मनेजर (ओ० पी०)—24 सितम्बर, 1974
19. श्री असीत कुमार दास, सहायक प्रबन्धक (ओ० पी०)—1 नवम्बर, 1974
20. श्री पी० के० मिश्रा, सहायक प्रबन्धक (ओ० पी०)—3 जनवरी, 1974
21. श्री एच० सी० हरांगती, सहायक प्रबन्धक (ओ० पी०)—31 दिसम्बर, 1973
22. श्री सुबीर मुखोपाध्याय, सहायक प्रबन्धक (ओ० पी०)—28 दिसम्बर, 1974
23. श्री पी० एम० अथवाली, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक—28 दिसम्बर, 1974
24. श्री के० वी० एस० मूर्ति, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक——30 नवम्बर, 1974

एम० पी० आर० पिल्लाय,
सहायक निदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

श्रम मंत्रालय

शिमला-171004, दिनांक

नं० 23/3/76 सी० पी० आई० अप्रैल, 1976 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचनांक (आधार 1960-100) मार्च, 1976 के स्तर से तीन अंक बढ़ कर 289 (दो सौ नवासी) रहा। अप्रैल, 1976 माह का सूचकांक 1949 आधार वर्ष पर परिवर्तित किऐ जाने पर 351 (तीन सौ इक्कावन) आता है।

आनन्द स्वरूप भारद्वाज,
संयुक्त निदेशक,
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय
श्रम ब्यूरो, शिमला-4

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

जगजीवन नगर, दिनांक 12 मई, 1976

सं०-प्रशासन 12 (3) सामान्य/76—श्री के० सी० भरगीज जो कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था के स्थायी ओवरसियर हैं, दिनांक 11-12-1975 (पूर्वाह्न) से सहायक अभियन्ता के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त कर कार्यपालक अभियन्ता, कल्याण कार्य प्रभाग नं० 2 कल्ला, आसनसोल के अधीन तैनात किया जाता है।

आर० पी० सिन्हा,
कोयला खान कल्याण आयुक्त,
धनबाद

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1976

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण

(स्थापना)

सं० 6/1129/76-प्रशा० (राज०)/2965—राष्ट्रपति, श्री एम० सी० सत्यवादी, आई० ए० एस० को 1 मई, 1976 के पूर्वाह्न से संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई नियुक्त करते हैं।

दिनांक 12 मई 1976

सं० 6/533/58/प्रशा० (राज०)/2981—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रवरण श्रेणी में स्थानापन्न अधिकारी और आयात-निर्यात के उप-मुख्य नियंत्रक श्री ए० रामचन्द्रन को 22-3-76 (पूर्वाह्न) से 60 दिनों की अवधि के लिए इस कार्यालय में स्थानापन्न रूप में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात नियुक्त करते हैं।

पी० के० कौल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1976

सं० 6/1036/74-प्रशा० I (राज०)—मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात एतद्द्वारा रक्षा मंत्रालय में अनुसन्धान और विकास संगठन, उपस्कर अनुसंधान और विकास स्थापना के सिविल सहायक सुरक्षा अधिकारी, श्री सगुआ लाल को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, बम्बई में 17 अप्रैल, 1976 को दोपहर पूर्व से आगे के आदेश होने तक नियंत्रक, आयात-निर्यात श्रेणी-2 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भिन्न) के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में श्री सगुआ लाल नियमों के अनुसार 650-30-740-35-810-द० अ०-35-880-40-1000-द० अ०-40-1200 रुपये के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे।

ए० टी० मुखर्जी,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात,
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-400020, दिनांक 7 मई 1976

शुद्धि-पत्र

सं० सी० ई० आर०/1/76—भारत के राजपत्र दिनांक 1 जून, 1974 के भाग III खंड I में पृष्ठ 3387 के दूसरे अर्ध भाग में प्रकाशित हुई वस्त्र आयुक्त की अधिसूचना सं० सी० ई० आर०/1/74 दिनांक 3 अप्रैल, 1974 में निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं :—

(1) ऊपर से 37वीं पंक्ति में "मद (दो)" के स्थान पर "मद (तीन)" पढ़िए।

(2) ऊपर से 39वीं पंक्ति में "(तीन)" के स्थान पर "(चार)" पढ़िए।

गौरी शंकर भार्गव,
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-I)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 1975

सं० प्र०-1/1(850)—स्थायी प्रधान लिपिक और पूर्ति तथा निपटान, निदेशक कलकत्ता के कार्यालय में सहायक निदेशक (प्रशासन ग्रेड-II) श्री एम० के० लाहिरी दिनांक 31 मार्च, 1976 के अपराह्न से निवर्तन (58 वर्ष) आयु प्राप्त होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० प्र०-1/1(456) महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान एतद्द्वारा पूर्ति तथा निपटान निदेशक, मद्रास के कार्यालय में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री के० एस० रंगासाई को दिनांक 15 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक पूर्ति निदेशक (वस्त्र) बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. श्री रंगासाई दिनांक 15-4-76 से 14-4-77 तक एक वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन होंगे।

दिनांक 12 मई 1976

सं० प्र०-1/1(847)—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री डी० जे० खूबचन्दानी को दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से तीन महीने के लिए अथवा उस समय तक जब तक कि इस पद को नियमित नियुक्ति के आधार पर भरा नहीं जाता, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाय, स्थानापन्न उप निदेशक (बिक्रीकर) (रु० 1100-50-1600 के वेतनमान में) के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 15 मई 1976

सं० प्र०-1/1(661)—स्थायी अधीक्षक और पूर्ति तथा निपटान निदेशक, बम्बई के कार्यालय में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) श्री एस० एम० विश्वास, दिनांक 30 अप्रैल, 1976 के अपराह्न से निवर्तन आयु (58 वर्ष) होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

के० एल० कोहली,
उप निदेशक (प्रशासन),
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 1976

सं० ए०-17011/21/71-प्र-6—राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा श्रेणी-I के ग्रेड-III की इंजीनियरी शाखा में निरीक्षण अधिकारी श्री पी० मुखर्जी को दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से उसी सेवा के ग्रेड-II की इंजीनियरी शाखा में उप निदेशक निरीक्षण के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री पी० मुखर्जी ने निरीक्षण अधिकारी (इंजी०) का पदभार छोड़ दिया और दिनांक 5 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से कलकत्ता निरीक्षण मंडल कलकत्ता में उप निदेशक निरीक्षक (इंजी०) का पदभार सम्भाल लिया।

दिनांक 15 मई 1976

सं० ए०-17011/19/71-प्र-6—राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा इंजीनियरी शाखा के ग्रेड-III में निरीक्षण अधिकारी श्री वी० बालसुब्रमणियन को दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों के जारी होने तक उसी सेवा के ग्रेड-II में उप-निदेशक निरीक्षण के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री बालसुब्रमणियन ने 21 अप्रैल, 1976 के अपराह्न को मद्रास निरीक्षण मंडल में बंगलौर में निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) का पदभार छोड़ दिया और दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से मद्रास निरीक्षण मंडल, मद्रास में उप निदेशक निरीक्षण (इंजी०) का पदभार सम्भाल लिया ।

सूर्य प्रकाश,
उप निदेशक (प्रशासन),
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

इस्पात और खान मंत्रालय

इस्पात विभाग

लोहा और इस्पात नियंत्रण

कलकत्ता-700020, दिनांक 30 अप्रैल 1976

सं० ई०-1-1(10)/74 (.)—इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या ई० 1-1-(10)/74 दिनांक 11-6-1975 के संशोधन में, जो श्री भूपति भूषण विश्वास की नियुक्ति से सम्बन्धित है, लोहा और इस्पात नियंत्रक एतद्द्वारा श्री विश्वास को अधोलिखित पदों पर स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त कर रहे हैं :—

पद का नाम	अवधि
1. उप सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक	1-8-1973 से 28-2-1975 तक
2. सहायक निदेशक (प्रशासन)	1-3-1975 से

ए० सी० चट्टोपाध्याय,
उप निदेशक (प्रशासन)

(खान विभाग)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 12 मई 1976

सं० ए०-19011(180)/75-सि० ए०—राष्ट्रपति, श्री के० सी० पी० सिंग को 19 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में सहायक खान नियंत्रक के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं ।

देवकीनंदन भार्गव,
नियंत्रक,
भारतीय खान ब्यूरो

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700013, दिनांक 14 मई 1976

सं० 264(23/9)/19ए(Vol. III)/76—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों (भूविज्ञान) को उसी विभाग में सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810द० रो०-35-880-40-1200रु० क वेतनमान में, अस्थायी क्षमता में, आगामी आदेश होने तक, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तिथि से पदोन्नति पर नियुक्त किया जाता है :—

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री अमिताभ सेन शर्मा	1-4-1976 (पूर्वाह्न)
2.	श्री पार्थ चक्रवर्ती	2-4-1976 (पूर्वाह्न)

दिनांक 15 मई 1976

सं० 50/66(ए के सी)/19बी—खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लि०) से परावर्तन पर श्री ए० के० चक्रवर्ती ने शिफ्ट बौस के पद का कार्यभार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में, स्थानापन्न क्षमता में, 1 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से संभाल लिया है ।

दिनांक 17 मई 1976

सं० 2181 (एस० सी०) (एस०एस०एन०)/19बी—खनिज समन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन) से परावर्तन पर निम्नोक्त अधिकारियों ने सहायक रसायनज्ञ के पद का कार्यभार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक प्रत्येक के सामने दर्शाई तिथि से संभाल लिया:—

1.	डा० सुभाष चन्द्र	1-3-1976
2.	श्री एस० एस० नेगी	22-3-1976 (अपराह्न)

वी० के० एस० वरदन,
महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 9 मार्च 1976

सं० स्था० 1-5050/698 मैप क्यूरेटर—श्री ए० वी० सरकार, जिन्हें इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या गो० 4805/698-मैप क्यूरेटर दिनांक 1-2-1974 और इस कार्यालय संख्या स्था० 1-43036/698 मैप क्यूरेटर दिनांक 15/16 अक्तूबर, 1975 के अधीन दिनांक 17 दिसम्बर 1973 से पूर्वी सर्किल कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता में मैप क्यूरेटर (सा० के० से० श्रेणी II) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, को एतद्द्वारा दिनांक 1-3-1976 (पूर्वाह्न) से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

डा० हरी नारायण,
भारत के महासर्वेक्षक

देहरादून, दिनांक 7 अप्रैल 1976

सं० ई० 1/5072/579-सलेक्शन, 74 (श्रेणी II)—श्री जे० एम० शर्मा, ज्योडीय परिकलक को सर्वेक्षक अधिकारी के पद पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की ग्रुप 'बी' सेवा में अस्थायी पद के प्रति 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40 1000-द० रो०-40-1200 रु० के संशोधित वेतनमान में 650 रु० प्रतिमाह पर 30 मार्च 1976 से एक साल तक के लिए स्थानापन्न रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

के० एल० खोसला,
कर्नल,
भारत के महासर्वेक्षक

देहरादून, दिनांक 12 मई 1976

सं० स्था० 1—5073/पी० एफ० (ल० प्र०)—भारत के महासर्वेक्षक, श्री ललता प्रसाद, सहायक प्रबन्धक सं० 101 (हा० लि० का०) मुद्रण वर्ग (मानचित्र प्रकाशन) भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून को सेवाकाल की अवधि के समाप्त होने पर दिनांक 31 मार्च, 1976 अपराह्न से सरकारी सेवा से सहर्ष निवृत्त करते हैं।

डी० पी० गुप्ता,
मेजर इंजीनियर,
सहायक महासर्वेक्षक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

राष्ट्रीय एटलस संस्था

कलकत्ता-700019, दिनांक 15 मई 1976

सं० 29-12/75-स्थापना—निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय एटलस संस्था में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर तारीख 11-5-1976 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

क्रम संख्या	नाम
1.	श्री सिसिर कुमार विश्वास
2.	श्री गोपीनाथ साहा

एस० पी० दासगुप्ता,
निदेशक

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक मई 1976

सं० 2/5/68-एस-दो—महानिदेशालय, आकाशवाणी, श्री पी० डी० आचारी, लेखाकार, आकाशवाणी, पणजी को दिनांक 26-4-76 (पूर्वाह्न) से आकाशवाणी, पणजी में तदर्थ आधार पर, प्रशासनिक अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

दिनांक 11 मई 1976

सं० 2/39/60-एस-दो—केन्द्रीय असैनिक सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 48 की व्यवस्थाओं और मूल नियम 56(के) के अन्तर्गत आकाशवाणी, रांची के प्रशासनिक अधिकारी श्री एन० एन० घोष, 30-4-76 (पूर्वाह्न) से स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त हो गए।

इन्द्र सेन पाँधी,
अनुभाग अधिकारी,
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1976

सं० 13-16/74-एडमिन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने डा० आई० के० भाटिया को 1 अगस्त, 1971 से सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में दंत चिकित्सक के स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त किया है।

दिनांक 5 मई 1976

सं० ए० 39012/1/76-सी० एच० एस०-2—अपना इस्तीफा मंजूर हो जाने के फलस्वरूप डा० पी० एन० रंगन ने 5 फरवरी, 1976 के अपराह्न को ग्राम स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़ में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (तदर्थ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 11 मई 1976

सं० 9-9/72-एडमिन-1—शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अनौपचारिक (प्रौढ़) शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप श्री डी० वी० शर्मा ने 31 मार्च 1976 के पूर्वाह्न को राजकुमारी अमृतकौर परिचर्या महाविद्यालय, नई दिल्ली में शिक्षा के वरिष्ठ प्राध्यापक के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० 17-76/73-एडमिन-1—शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अनौपचारिक (प्रौढ़) शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप श्रीमती आर० एस० शफी ने 30 मार्च 1976 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में प्रचार अधिकारी (श्रव्य दृश्य साधन) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

दिनांक 15 मई 1976

सं० 6-9/70-एडमिन-1—श्री एफ० सी० मेहरू ने मुर्गी-पालन परियोजना, चंडीगढ़ से प्रतिनियुक्ति की वापसी पर 7 अप्रैल 1976 के पूर्वाह्न को केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में सहायक इलैक्ट्रीकल इंजीनियर के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 19-64/70-एडमिन-1—सहायक भौतिकविद् के पद के भौतिकविद के पद के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप श्री एस० रंगाराव का जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा

एवं अनुसंधान संस्थान पांडिचेरी में सहायक भौतिकविद के पद पर प्रत्यावर्तन हो गया और 3 अप्रैल, 1976 के प्रवाह्न से उसी संस्थान में भौतिकविद् के परिवर्तित पद पर नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति हो गई।

सं० 26-19/75-एडमिन-1—राष्ट्रपति ने श्री इन्द्रजीत रावल को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, बंगलौर के प्लेग सर्वेक्षा एकक में अनुसंधान अधिकारी (अणुजीव विज्ञान) के पद पर 1 अप्रैल 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है।

सं० ए०-39012/3/76-सी० एच० एस०-3—डा० एम० नरसिमहामूर्ति ने अपना त्यागपत्र मंजूर हो जाने के फलस्वरूप 22 मार्च, 1976 के अपराह्न को जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (तदर्थ) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

इस निदेशालय की 19 अप्रैल, 1976 की अधिसूचना सं० ए०-39012/3/76-सी० एच० एस०-2 को रद्द समझा जाए।

रवीन्द्र नाथ तिवारी,
उप निदेशक प्रशासन

परमाणु ऊर्जा विभाग

तारापुर परमाणु विद्युत् परियोजना

तारापुर-401504, दिनांक 3 मार्च 1976

सं० टी० ए० पी० एस०/प्रशा/735-ए—परमाणु ऊर्जा विभाग के तारापुर परमाणु बिजलीघर के मुख्य अधीक्षक सर्वश्री पी० गणपति तथा वी० के० पी० पिल्ले की सहायक कार्मिक अधिकारियों के पदों पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि को 1-3-1976 से 30-6-1976 तक चार मास के लिए अथवा उन पदों के नियमित रूप से भरे जाने तक, दोनों में जो भी पहले घटित हो, बढ़ाते हैं।

के० वी० सेतुमाधवन,
मुख्य प्रशासन अधिकारी

क्रय एवं भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 30 मार्च 1976

सं० डी० पी० एस०/ए०/32011/2/75-स्थापना—इस निदेशालय की दिनांक 9 सितम्बर, 1975 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, निदेशक, क्रय एवं भंडार, गुजरात के महालेखापाल के कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री वी० आर० नटराजन को, जो इस निदेशालय में प्रतिनियुक्त है, इसी निदेशालय में 1 अक्तूबर, 1975 से 30 मार्च, 1976 तक की और अवधि के लिए तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के० पी० जोसफ
प्रशासन अधिकारी

बम्बई-400001, दिनांक 5 अप्रैल 1976

सं० डी० पी० एस०/ए/32011/2/75/स्था०—क्रय एवं भंडार के निदेशक पश्चिमी रेलवे के स्थायी सहायक लेखापाल तथा स्थानापन्न लेखापाल श्री बाबूभाई मोहनलाल गणात्रा को, जो इस निदेशालय में उसी पद पर प्रतिनियुक्त हैं, सहायक लेखा अधिकारी श्री पी० एस० राव, जिन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है, के स्थान पर 17-11-1975 से 21-2-1976 तक रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

बी० जी० कुलकर्णी,
सहायक कार्मिक अधिकारी

बम्बई-400001, दिनांक 8 अप्रैल 1976

सं० डी० पी० एस०/ए/11013/64/75/स्था०—इस निदेशालय की दिनांक 19 फरवरी, 1976 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशालय के निदेशक, कलकत्ता स्थित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान परियोजना के भंडार यूनिट (क्रय एवं भंडार निदेशालय) के स्थानापन्न भंडारी श्री परारी किज़ाकोड्डन राधाकृष्णन को उसी निदेशालय में 30 जून, 1976 तक दो मास की और अवधि के लिए 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000- द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

बी० पी० चोपड़ा,
प्रशासन अधिकारी

विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग

बम्बई-5, दिनांक 30 अप्रैल 1976

सं० पी० पी० ई० डी०/3(262)/76-प्रशासन—निदेशक, विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग, बम्बई इस प्रभाग के स्थायिवत् सहायक कार्मिक अधिकारी श्री टी० टी० पिशोरी को श्री आर० जे० भाटिया, जिन्हें प्रशासन-अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है, के स्थान पर 19 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से 5 जून, 1976 के अपराह्न तक उसी प्रभाग में अस्थायी रूप से सामान्य प्रशासन-अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० पी० पी० ई० डी० 3(262)/76-प्रशासन—निदेशक, विद्युत् परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग, बम्बई, फार्वर्ड मार्केट कमीशन के कार्यालय के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा इस प्रभाग के स्थानापन्न प्रवरण कोटि लिपिक श्री के० ओ० आसफ को श्री टी० टी० पिशोरी, सहायक कार्मिक अधिकारी, जिनकी सामान्य प्रशासन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की गई है, के स्थान पर 19 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से 5 जून, 1976 के अपराह्न तक अस्थायी रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

(नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना)

बम्बई, दिनांक 30 अप्रैल 1976

सं० एन० ए० पी० पी०/18/94/75-प्रशासन—विद्युत् परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग के निदेशक, केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की (उत्तर प्रदेश) के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री पी० के० मौलिक को 5 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नरोरा परमाणु विद्युत् परियोजना, नरोरा में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

आर० जे० भाटिया
प्रशासन-अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500762, दिनांक 6 मई 1976

संदर्भ पी० ए० आर/9704—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, नायब-अधिकारी श्री पी० भास्कर को 7-5-1976 से 5-6-1976 की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले घटित हो, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद, में तदर्थ रूप से स्टेशन अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 15 मई 1976

सं० पी० ए० आर०/0704/944—मुख्य कार्य पालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री वी० आर० विजयन, सहायक, को 8-5-1976 से 3-7-1976 की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, जो भी पहले घटित हो, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद, में स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

श्री प० म्हाल्ले
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

परमाणु खनिज प्रभाग

हैदराबाद-500016, दिनांक 6 मई 1976

सं० ए० एम० डी०-1/18/75-प्रशासन—परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक श्री मृनल कान्ति राय को 28 अप्रैल 1976 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश जारी होने तक के लिए उसी प्रभाग में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

दिनांक 14 मई 1976

सं० ए० एम० डी०-I/II/76-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक, आन्ध्र प्रदेश के महालेखाकार के कार्यालय के अनुभाग अधिकारी श्री संभाशिव राव को परमाणु खनिज प्रभाग में पहली मार्च 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश जारी होने तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न रूप से सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस० रंगनाथन
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना

कलपक्कम-603102, दिनांक मई 1976

सं० 3(146)/67-प्रशासन—विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग के निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी वैज्ञानिक सहायक 'बी' तथा मद्रास परमाणु विद्युत् परियोजना के स्थानापन्न वैज्ञानिक सहायक 'सी' श्री सी० एन० गोपालकृष्णन नायर को 1 फरवरी, 1976 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उसी परियोजना में अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-एस० बी० नियुक्त करते हैं।

के० बालाकृष्णन
प्रशासन-अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

त्रिवेन्द्रम-695022, दिनांक 10 अप्रैल 1976

सं० वि० सा० अं० के०/ई० एस० टी०/01-37—विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के निदेशक, निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नामों के सामने दी गई तारीखों के पूर्वाह्न से वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी० के पद पर, अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में रु० 650–30–740–35–880–ई० रो०–40–960 के वेतनमान में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	पदनाम	प्रभाग	दिनांक
1.	श्री एम० रामचन्द्रन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	ए० आर० डी०	1-1-76
2.	श्री पी० मादास्वामी आचार्य	,,	सी० जी० आई०	1-7-75
3.	श्री टी० पी० प्रेमाराजन	,,	,,	1-7-75
4.	श्री आर० वेंकटरमन	,,	,,	1-7-75
5.	श्री एम० वेंकटरमन	,,	सी० डब्ल्यू० एस०	1-7-75
6.	श्री एन० गोपालस्वामी	,,	ई० एल० डी०	1-3-76
7.	श्री एस० पी० एम० सुन्दरम	,,	,,	1-8-75

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्रभाग	दिनांक
8.	श्री ई० सी० चाकू	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	ई० टी० डी०	1-1-76
9.	श्री यू० आर० फर्नान्डेज	,,	एफ० आर० पी०	1-7-75
10.	श्री पी० बालाकृष्णन	,,	एम० क्यू० सी०	20-4-75
11.	श्रीमती एम० एन० राधाकुमारी	,,	,,	1-1-76
12.	श्री एम० ए० नंजूनदास्वामी	,,	पी० ई० डी०	1-7-75
13.	श्री लेमा प्रेम कुमार	,,	,,	1-7-75
14.	श्री एम० जे० वर्गिज	,,	,,	1-1-76
15.	श्री के० वेणुगोपालन	,,	,,	1-7-75
16.	श्री मनियान नम्बीकुट्टी	,,	पी० एस० एन०	1-7-75
17.	श्री जोसेफ एम० डोमिनिक	,,	आर० एफ० एफ०	1-7-75
18.	श्री के० भास्करन नायर	,,	,,	1-7-75
19.	श्री ए० आर० एम० कुंजु	,,	,,	1-7-75
20.	श्री एम० सुरेन्द्र कुरुप	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	,,	24-7-75
21.	श्री के० ओ० दामोदरन नम्बियार	,,	एस० एल० बी०	1-1-76
22.	श्री एस० जगदेशन	,,	,,	1-7-75
23.	श्री पी० वी० रामचन्द्रन पिल्लै	,,	,,	1-7-75
24.	श्री सालिक राम पटेल	,,	,,	1-7-75
25.	श्री एम० सी० वर्गिज	,,	,,	1-7-75
26.	श्री ए० गोपाला अय्यर	,,	एस० आर० एफ०	1-1-76
27.	श्री के० राघवन	,,	एस० टी० आर०	18-6-75
28.	श्री ओ० टी० जाय	,,	जी० एस० डी०/टी०	1-1-76
29.	श्री ए० मारिस्वामी	,,	,,	1-7-75
30.	श्री वी० रविन्द्रन पिल्लै	,,	,,	1-4-75
31.	श्री पी० के० नारायणन	,,	आर० ई० डी०/टी०	1-7-75
32.	श्री एम० त्यागासुन्दरम	,,	,,	1-7-75
33.	श्री एन० वेलाप्पन नायर	,,	,,	1-7-75
34.	श्री पी० बालाकृष्णन	,,	बी० एफ० टी०/टी०	11-9-75
35.	श्री मुन्ना लाल बारंग	,,	विकास	1-7-75
36.	श्री पी० शिवरामकृष्णैया	,,	,,	1-7-75

सं० वि० सा० अ० के०/ई० एस० डी०/01.37—भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से एक सरकारी निकाय के रूप में बदल जाने के परिणामस्वरूप अनुबन्ध में दिए गए निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नामों के सामने दिए गए पदों पर दिनांक 1 अप्रैल, 1975 से विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवेन्द्रम में नियुक्त किया जाता है।

अनुबन्ध

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्रभाग	ग्रेड
1.	श्री एम० करुणाकरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	ए० आर० डी०	रु० 650-30-740-35-880-ई० रो०-40-960
2.	श्री के० के० उन्नीथन	,,	,,	,,
3.	श्री ई० एन० राजू	,,	सी० जी० आई०	,,
4.	श्री एस० वेंकटरमण	,,	,,	,,

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्रभाग	ग्रेड
5.	श्री एन० गिरिजन	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	सी० डब्ल्यू० एस०	रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960।
6.	श्री पी० साम जेकब	,,	,,	,,
7.	श्री वी० शंकरनारायणन	,,	,,	,,
8.	श्रीमती के० राधम्मा	,,	ई० एल० डी०	,,
9.	श्री पी० थर्मा कूज	,,	ई० टी० डी०	,,
10.	श्री पी० एन० प्रभाकरन	,,	एफ० आर० पी०	,,
11.	श्री एस० कृष्णामूर्ति	,,	आई० पी० एस० ओ०	,,
12.	श्री सी० एस० रामानटराजन	,,	,,	,,
13.	श्री ए० जार्ज	,,	एम० क्यू० सी०	,,
14.	श्री सी० एम० चाकू	,,	पी० ई० डी०	,,
15.	श्री एस० एस० फ्रेडरिक	,,	,,	,,
16.	श्री के० हरिदास	,,	,,	,,
17.	श्री ए० वी० कृष्णन	,,	,,	,,
18.	श्री के० एम० मैथ्यू	,,	,,	,,
19.	श्री पी० पद्माकुमारन	,,	,,	,,
20.	श्री एम० आर० रविन्द्र प्रसाद	,,	,,	,,
21.	श्री के० श्रीनिवास भट 3	,,	,,	,,
22.	श्री के० पी० कामथ	,,	पी० एम० डी०	,,
23.	श्री एम० एस० गायकवाड	,,	पी० एस० एम०	,,
24.	श्रीमती राजलक्ष्मी गोपाल	,,	,,	,,
25.	श्री वी० रविन्द्रानाथन	,,	,,	,,
26.	श्री एच० वेंकटेश्वर अय्यर	,,	,,	,,
27.	श्री जे० किशन राव	,,	क्यू० ए० डी०	,,
28.	श्री के० धनंजयन	,,	आर० एफ० एफ०	,,
29.	श्री के० मैथ्यू	,,	,,	,,
30.	श्री जी० एम० पिल्लै	,,	,,	,,
31.	श्री के० जे० पोलूस	,,	,,	,,
32.	श्री वी० शिवरामकृष्णन	,,	,,	,,
33.	श्री टी० श्रीधरण	,,	,,	,,
34.	श्री सी० एस० विश्वम्भरन नायर	,,	,,	,,
35.	श्री के० वी० आर० वारियर	,,	,,	,,
36.	श्री के० के० धनदेवन	,,	आर० पी० पी०	,,
37.	श्री एस० गोपालकृष्णन नायर	,,	,,	,,
38.	श्री के० वी० हरिहरण नायर	,,	,,	,,
39.	श्री वी० के० जॉन	,,	,,	,,
40.	श्री के० कृष्णन	,,	,,	,,
41.	श्री वी० आर० शशिधरा कैमल	,,	,,	,,
42.	श्री सी० शशिधरण नायर	,,	,,	,,
43.	श्री एम० वेंकटाचालम	,,	,,	,,
44.	श्री जी० सुब्रह्मनियन	,,	आर० एस० आई०	,,
45.	श्री पी० अरुमुगम	,,	आर० एस० आर०	,,
46.	श्री के० चेलियाप्पन	,,	,,	,,
47.	श्री के० रामाचन्द्र	,,	एस० एल० वी०	,,

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्रभाग	ग्रेड
48.	श्री एम० इबेनेजर	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	एस० आर० एफ०	रु० 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960
49.	श्री एम० लक्ष्मणन	,,	,,	,,
50.	श्री वी० पदमानाभन	पर्यवेक्षक ए० जी० आर०	,,	,,
51.	श्री के० रामाचन्द्र कुरुप	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० बी०	एस० टी० एफ०	,,
52.	श्री ई० एस० एम० वेणा	,,	एस० टी० आर०	,,
53.	श्री आर० एम० दिवाकरन	,,	,,	,,
54.	श्री एन० गोपालास्वामी	,,	ए० डब्ल्यू० एम०	,,
55.	श्री पी० वी० वर्गिज	,,	सी० ओ० एम०/टी०	,,
56.	श्री बी० गौरीशंकर	,,	आर० ई० डी०/टी०	,,
57.	श्री पी० रंगराजन	,,	पी० टी० यू०	,,
58.	श्री के० सुब्रह्मनियन	,,	विकास	,,

के० एस० नायर
प्रशासन अधिकारी-II (ई० एस० टी०)
कृते निदेशक

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 10 मई 1976

सं० ई० (1) 04285—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के उपमहानिदेशक (जलवायु विज्ञान और भू-भौतिकी), पूना के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री एम० वी० परमेश्वरन को 19-4-76 के पूर्वाह्न से 19-6-76 तक बासठ दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञ के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री परमेश्वरन, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञ, वेधशालाओं के उपमहानिदेशक (जलवायु विज्ञान और भू-भौतिकी), पूना के कार्यालय में ही तैनात रहेंगे।

दिनांक, 12 मई 1976

सं० ई०-(1) 05868—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री चन्द्र प्रकाश को 1-4-76 के पूर्वाह्न से 17-5-76 तक 47 दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञ के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री चन्द्र प्रकाश, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञ वेधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय में ही तैनात रहेंगे।

गुरुमुख राम गुप्ता
मौसम विज्ञ
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1976

सं० ए० 31011/1/75-ई०सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित तीन अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन में स्थायी रूप में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है :—

1. श्री एस० सी० मजूमदार	4-9-1971
2. श्री के० वी० एन० मूर्ति	26-2-1973
3. श्री आर० एस० गोयला	3-3-1973

सं० ए० 32013/4/76-ई०सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से 6 मास तक या नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से

जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त किया है और उन्हें प्रत्यक के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है :—

क्रम सं०	नाम और पदनाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती स्टेशन
1.	श्री बी० एन० गोडबोले, सहायक तकनीकी अधिकारी	7-4-76 पूर्वान्ह	क्षेत्रीय कार्यालय, बम्बई
2.	श्री पी० जी० अय्यर, सहायक तकनीकी अधिकारी	9-4-76 (पूर्वाह्न)	वैमानिक संचार स्टेशन, कलकत्ता
3.	श्री वी० अलागिरी, सहायक तकनीकी अधिकारी	8-4-76 (पूर्वाह्न)	वैमानिक संचार स्टेशन, मद्रास
4.	श्री एल० पी० सिंह, सहायक तकनीकी अधिकारी	19-4-76 (पूर्वाह्न)	वैमानिक संचार स्टेशन, जयपुर

सं० ए० 31014/2/75-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित दो अधिकारियों को नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन में 1 मई, 1976 से सहायक तकनीकी अधिकारी के ग्रेड में स्थायी रूप से नियुक्त किया है :—

1. श्री एच० एस० गहले
2. श्री एस० के० दास

सं० ए० 22015/14/76 ई० एस०—लेखाओं का विभागीयकरण हो जाने के परिणामस्वरूप श्री जी० सी० पंत ने 1 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागर विमानन विभाग, नई दिल्ली के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

दिनांक 10 मई, 1976

सं० ए-2015/16/76-ई० एस०—श्री पी० एस० रामाचन्द्रन ने 1 अप्रैल, 1976 से क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, नागर विमानन विभाग मद्रास में लेखा अधिकारी, के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

दिनांक 18 मई, 1976

सं० ए-32013/18/75-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित दो अधिकारियों को, प्रत्येक के सामने दिखाई तारीख से तथा अगले आदेश होने तक, नियमित आधार पर सहायक निदेशक संचार के ग्रेड में नियुक्त किया है तथा उसी कार्यालय में तैनात किया है :—

क्रम सं०	नाम तथा पदनाम	तारीख
1.	श्री एस० एम० गुप्ता, वरिष्ठ संचार अधिकारी नागर विमानन विभाग, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।	20-4-76
2.	श्री ए० एन० नाथ, वरिष्ठ, तकनीकी अधिकारी नागर विमानन विभाग, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली ।	20-4-76

सं० ए-38012/1/75-ई० सी०—निवर्तन आयु प्राप्त करने पर क्षेत्रीय निदेशक, मद्रास, क्षेत्र, मद्रास एयरपोर्ट, मद्रास के कार्यालय, के श्री एस० वी० अय्यर, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी ने सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर 30-4-1976 (अपराह्न) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया ।

हरबंस लाल कोहली,
उप निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1976

सं० ए-19014/37/72-ई० एच०—श्री बी० एस० मित्तल का स्थानान्तरण केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में हो जाने के कारण उन्होंने 30 अप्रैल, 1976 (अपराह्न) से नागर विमानन विभाग के सांख्यिकीय अधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया है ।

सुरजीत लाल खण्डपुर,
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक मई, 1976

सं० 1/404/76-स्था०:—कलकत्ता शाखा के स्थायी अधीक्षक श्री एस० दास गुप्ता, को 8 अप्रैल, 1976 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक फील्ड कार्यालय, देहरादून में स्थानापन्न रूप से सहायक प्रशासन अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

पु० ग० दामले, महानिदेशक

बम्बई, दिनांक मई, 1976

सं० 1/254/76-स्था०—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा मद्रास शाखा के स्थायी पर्यवेक्षक, श्री एफ० पालिआथ को अल्पकालिक रिक्त स्थान पर 26-2-76 से लेकर

3-4-76 (दोनों दिन समेत) तक की अवधि के लिये उसी शाखा में स्थानापन्न रूप से उप परियात प्रबन्धक नियुक्त करते हैं ।

एम० एस० कृष्णास्वामी
प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

पटना, दिनांक 6 मई, 1976

सं० 11(7) 5-स्था०/75—4001—श्री बी० पी० गुप्ता, स्थायी अधीक्षक श्रेणी-II केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय, पटना निवर्तन की आयु पूरी करके दिनांक 31-3-76 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए ।

दिनांक 10 मई, 1976

सं० 11(7)/5-स्था०/75—स्थापना आदेश सं० 133/76, दिनांक 21-4-1976 जो मि० सं० 11-(3) 51-स्था०/76/28093,151, दिनांक 21-4-1976 द्वारा पृष्ठांकित किया गया तथा जिसके द्वारा श्री बी० एल० घोष, कार्यालय, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क को 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 तथा नियमान्तर्गत देय सामान्य भत्तों के सहित के वेतनमान में प्रशासन पदाधिकारी केन्द्रीय उत्पाद, द्वितीय श्रेणी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया था, के अनुसरण में श्री बी० एल० घोष ने प्रशासन, पदाधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद, प्रमण्डल पटना के रूप में दिनांक 26-4-76 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया ।

हरी नारायण साहु, समाहर्ता

निरीक्षण निदेशालय —

सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 18 मई, 1976

सं०/76/फा० सं० 1092/5/76—निरीक्षण निदेशक, सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नई दिल्ली को यह सूचना देते हुए दुःख है कि श्री एस० आर० नारंग, जोकि निरीक्षण निदेशालय, सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में, निरीक्षण अधिकारी, श्रेणी-II के पद पर नियुक्त थे, की मृत्यु दिनांक 28-3-76 को हो गई ।

सु० वेंकटरामन
निरीक्षण निदेशक,
सीमा तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

ऊर्जा मंत्रालय

विद्युत विभाग

वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखाधिकारी केन्द्रीय जल-विद्युत परियोजना नियन्त्रण बोर्ड का कार्यालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 4 मई, 1976

सं० एफ ए०/एस्ट 1(29)—उत्तर रेलवे के मुख्य लेखा परीक्षक के कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री रामकृष्ण गुप्त को वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी, जल-विद्युत परियोजना नियन्त्रण बोर्ड के कार्यालय नई दिल्ली में निरीक्षण अधिकारी के रूप में 11 मार्च, 1976 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाता है ।

के० आर० रवीन्द्रनाथ

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 6 मई 1976

सं० क-19012/577/76-प्रशा०-पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री एम० एस० रंधावा, व्यावसायिक सहायक (जल मौसम विज्ञान) को केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) के पद पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में 5 अप्रैल, 1976 से आगामी आदेश होने तक पूर्णतः अस्थाई तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्री एम० एस० रंधावा ने उपर्युक्त तिथि तथा समय के केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक (जल मौसम विज्ञान) का पदभार ग्रहण कर लिया है ।

सं० क-19012/304/72-प्रशा०-पांच—श्री डी० एन० ईसर द्वारा सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप उन्होंने केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से दिनांक 31 मार्च 1976 के अपराह्न से सहायक अनुसंधान अधिकारी का पदभार सौंप दिया है तथा उसी दिनांक तथा समय से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं ।

दिनांक 7 मई 1976

सं० क-12017/5/76-प्रशा०-पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग अपने प्रसाद से श्री ए० टी० दास, अनुसंधान सहायक (रसायन) को केन्द्रीय जल आयोग में सहायक अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञानिक-रसायन वर्ग) के पद पर 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपए के वेतनमान में दिनांक 7-4-1976 के पूर्वाह्न से 6 माह की अवधि के लिए, जब इस पद के नियमित अधि-

कारी श्री डी० के० सुंड उपलब्ध होंगे अथवा श्री ए० के० पालित के पदावनत होने तक—जो भी पहले हो, के लिए पूर्णतः अस्थाई तथा तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं :—

जसवंत सिंह
अवर सचिव,
कृते अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग

प्रमुख इंजीनियर कार्यालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मई 1976

सं० 27 ई०/एम० (47)/71-ई० सी०-2—श्री एम० सी० माथुर, निर्माण सर्वेक्षक का जो अधीक्षक निर्माण सर्वेक्षक (द० प० अं०) के० लो० नि० वि०, बम्बई के साथ लगे थे तारीख 30-3-76 को देहान्त हो गया ।

पी० एस० पारवानी
प्रशासन उपनिदेशक

केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण

नई दिल्ली-110022, दिनांक 3 अप्रैल 1976

सं० 4/5/75-प्रशासन-तीन—अध्यक्ष, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, श्री शशि कांत को भारतीय दुभाषिया के ग्रेड में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, नई दिल्ली में 16-9-72 से स्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं ।

महेन्द्र लाल हांडा
अवर सचिव,
कृते अध्यक्ष

रेल मंत्रालय

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन

लखनऊ-226011, दिनांक 11 मई 1976

सं० ई०-II/ई० एस०/सी० एफ० एस०/साइ० टेक/0—श्री शिव कुमार सिंह को अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ के मनो-तकनीकी एकक में दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 से कनिष्ठ वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (मनो विज्ञान) के रूप में स्थायी किया जाता है ।

2. श्री कृष्ण गोपाल विरमानी को अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ के मनो तकनीकी एकक में द्वितीय श्रेणी में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनो विज्ञान) के रूप में दिनांक 22 दिसम्बर, 1975 से स्थायी किया जाता है ।

रा० मी० सांबमूर्ति
महा निदेशक

सवारी डिब्बा कारखाना

महा प्रबन्धक का कार्यालय

कार्मिक शाखा/शेल

मद्रास-600038, दिनांक 8 मई 1976

सं० का० शा०/रा० सा०/9/विविध-II—श्री एम० एच० बालकृष्णन, स्थानापन्न आंकड़े, प्रक्रिया प्रबंधक (व० मा०) को क० प्रशासनिक ग्रेड में तदर्थ रूप से स्थानापन्न उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/योजना (क० प्र०) के पद पर दिनांक 10-3-76 के अपराह्न से पदोन्नति की गई है ।

श्री पी० आर० नारायणन, स्थानापन्न यांत्रिक इंजीनियर/जिग व टूल (श्रेणी II) को वरिष्ठ मान में तदर्थ रूप से उत्पादन इंजीनियर/योजना/फर्नीचर के पद पर दिनांक 10-3-1976 के अपराह्न से पदोन्नति की गई है ।

श्री सी० शंकरन, स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी/आरक्षण (श्रेणी-II) (तात्कालिक) को श्रेणी III सेवा को दिनांक 19-3-1976 से रिवर्ट किया गया है । फिर भी उन्हें फिर से स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी/आरक्षण के पद पर श्रेणी-II सेवा को तात्कालिक रूप से दिनांक 1-4-1976 से पदोन्नति की गई है ।

एस० सुब्रमणियन,
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी
कृते महा प्रबन्धक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

पांडु, दिनांक 6 मई 1976

(1) ई०/283-III/128 पी० III(0)—श्री ए० सी० बनर्जी, सहायक बिजली इंजीनियर (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 7-9-75 से प्रवर वेतनमान में मंडल बिजली इंजीनियर के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(2) ई०/283/III/133-पी०IV(0)—श्री सी० आर० मुखर्जी, मुख्य दूर संचार निरीक्षक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 8-9-1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(3) ई०/283/III/128 पी० III(0)—श्री के० के० दत्त, सहायक बिजली इंजीनियर (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 11-9-1975 से प्रवर वेतनमान में मंडल बिजली इंजीनियर के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(4) ई०/283/III/54/पी० VII (0)—श्री एम० आर० मंडल, शाप अधीक्षक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 23-9-1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक कारखाना प्रबंधक के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(5) ई०/283/82 पी० टी० X (0)—श्री एस० सी० दे, सहायक परिचालन अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 1-10-1975 से प्रवर वेतनमान में मंडल संरक्षा अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(6) ई०/283/82 पी० टी० X (0)—श्री जे० सी० तालुकदार, मुख्य वाणिज्य अधीक्षक के वैयक्तिक सहायक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 1-10-1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक वाणिज्य अधीक्षक के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जात है ।

(7) ई०/283/82/पी०X(0)—श्री एन० एन० सरकार, उप नियंत्रक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 3-10-1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक परिचालन अधीक्षक के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(8) ई०/283/III/142 पी० II (0)—श्री आर० एन० प्रसाद, अभियोजन निरीक्षक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 14-11-1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(9) ई०/283/III/142 पी० II (0)—श्री जी० के० दास, निरीक्षक अग्निशमन (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 17-11-75 से द्वितीय श्रेणी के सेवा में सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(10) ई०/283/31/पी० टी० VIII (0)—श्री ए० टी० मैत्र, सहायक इंजीनियर (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 21-11-75 से प्रवर वेतनमान में मुख्य इंजीनियर के वैयक्तिक सहायक के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(11) ई०/283/31/पी० टी० VIII (0)—श्री ए० के० मित्र, प्रधान प्रारूपकार (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 25-11-75 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(12) ई०/283/31 पी० टी० VIII (0)—श्री एम० एम० सिंह महापात्र, पुल निरीक्षक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 25-11-1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सचायक पुल इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(13) ई०/283/31 पी० टी० VIII (0)—श्री एस० के० राय, सहायक इंजीनियर (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 26-11-1975 से प्रवर वेतन मान में मंडल इंजीनियर के पद पर पूर्णतः तदथा आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(14) ई०/283/31 पी० टी० VIII(0)—श्री यू० आर० चक्रवर्ती, सहायक पुल इंजीनियर (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 27-11-1975 से प्रवर वेतनमान में कार्यपालक इंजीनियर के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(15) ई०/283/III/142 पी० III (0)—श्री बी० के० बनर्जी, चौधरी निरीक्षक, सुरक्षा दल (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 12-12-1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर स्थादापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(16) ई०/283/III/142 पी०/III (0)—श्री ए० के० भौमिक, निरीक्षक सुरक्षा दल (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 16-12-1975 से द्वितीय श्रणी की सेवा में सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(17) ई०/283/31 पी० टी० VIII (0)—श्री एम० एन० शमी, पुल निरीक्षक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 24-12-1975 से द्वितीय श्रेणी की सेवा के सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(18) पी० एन. ओ०/ए० डी०/66/215/पी० टी० IV—श्री ए० सी० विश्वास निरीक्षक, भण्डार लेखा (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 8-1-1976 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(19) पी० एन० ओ०/ए० डी०/66/215 पी० टी०IV—श्री आर० एन० भागर्व, यातायात लेखा निरीक्षक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 9-1-1976 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(20) ई०/283/III/54 पी० टी० VII (0)—श्री ए० दासगुप्त, लोको निरीक्षक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 30-1-76 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक यांत्रिक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

(21) पी० एन० ओ०/ए० डी०/65/215 पी० टी० IV—श्री के० बी० मजूमदार अनुभाग अधिकारी (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 1-2-1976 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(22) ई०/283/iii/54 पी० VII (0)—श्री डी० सरकार, सहायक यांत्रिक इंजीनियर (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 3-2-1976 से प्रवर वेतनमान में मंडल यांत्रिक इंजीनियर के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(23) पी० एन० ओ०/ए० डी०/65/215/पी० टी०IV—श्री आर० के० कर, अनुभाग अधिकारी (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 4-2-1976 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(24) ई०/283/iii/54 पी० V (0)—श्री के० वी० एस० एस० प्रसाद राव, स्वेकटो ग्राफ अधीक्षक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 9-2-1976 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक रसायनज्ञ एवं धातुकर्मी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

(25) ई०/283/31 पी० टी० IX (0)—श्री एस० घोष, मुख्य अभिकल्प सहायक (तृतीय श्रेणी) को दिनांक 17-2-1976 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में सहायक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(26) ई०/283/82/पी० टी० पी० X (0)—श्री एच० एन० पाकराशि, सहायक वाणिज्य अधीक्षक (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 25-2-1976 से प्रवर वेतनमान में क्षेत्र अधिकारी के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

(27) ई०/283/31/पी० टी० IX (0)—श्री एम० के० देव वर्मा, सहायक इंजीनियर (द्वितीय श्रेणी) को दिनांक 27-2-1976 से प्रवर वेतनमान में कार्यपालक इंजीनियर के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है ।

हरबंस लाल वर्मा
महाप्रबन्धक

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1976

सं० 9—श्री वी० पी० श्रीवास्तव, सहायक कार्मिक अधिकारी (दर्जा II) को जो इस समय मध्य रेलवे में काम कर रहे हैं, 14-12-1972 से अनन्तिम रूप से तथा 1-7-1973 में अन्तिम रूप से सिविल इंजीनियरिंग विभाग में स्थायी किया जाता है ।

पी० आ० पुसलकार
महाप्रबन्धक

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

पूर्ति विभाग

राष्ट्रीय परीक्षण गृह

कलकत्ता-27, दिनांक 5 मई 1976

सं० जी०-65/बी० (कान)—इस कार्यालय की इसी सं० दिनांक 14-8-75 की अधिसूचना के क्रम में निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता के वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन), श्री एस० सी० पर्वत की स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि 31-12-1975 से आगे आगामी आदेश तक बढ़ाते हैं ।

सं० जी०-65/बी० (कान)—इस कार्यालय की इसी सं० दिनांक 14-8-1975 की अधिसूचना के क्रम में निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता, राष्ट्रीय परीक्षण गृह, कलकत्ता के वैज्ञानिक अधिकारी (विद्युत्) श्री पी० सी० प्रधान की स्थानापन्न नियुक्ति की अवधि 31-12-1975 से आगे आगामी आदेश तक बढ़ाते हैं ।

सुजित कुमार चट्टोपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)
कृते निदेशक, राष्ट्रीय परीक्षण गृह

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं नरकतीयागंज शुगर मिल्स लिमिटेड के विषय में

बम्बई-400002, दिनांक 4 मई 1976

सं० 16454/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि नरकतीयागंज शुगर मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं फोरमोस्ट एजेन्सीज लिमिटेड के विषय में

बम्बई-400002, दिनांक 10 मई 1976

सं० 15763/560 (3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर फोरमोस्ट एजेन्सीज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं प्रेसीडेंसी इंडस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड के विषय में

बम्बई-40,0002, दिनांक 10 मई 1976

सं० 2566/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रेसिडेंसी इंडिस्ट्रीयल बैंक लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं गॉलिलीओ इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के विषय में

बम्बई-400002, दिनांक 10 मई 1976

सं० 12347(560)(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर गॉलिलीओ इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

एस० नारायणन्
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और टि० भि० एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 5 मई 1976

सं० 10760/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि टि० भि० एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और हिन्दुस्तान जुट डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 5 मई 1976

सं० 19471/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि हिन्दुस्तान जुट डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और डाका पिकचर पेलेस लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 5 मई 1976

सं० 5204/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि डाका पिकचर पेलेस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और आईडियल फेब्रिकेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 5 मई 1976

सं० 26554/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आईडियल फेब्रिकेशन वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और बसाक एण्ड बसाक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 5 मई 1976

सं० 22139/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बसाक एण्ड बसाक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

एस० सि० नाथ
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और दी सिसीयर मनी ऐन्टर-प्राइसिज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 10 मई 1976

सं० 885टी० 560(5)—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि दी सिसीयर मनी ऐन्टरप्राइसिज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

ओम प्रकाश जैन
कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स पंकज ट्रेड ऐन्टर-प्राइसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 12 मई 1976

सं० 560/1768—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स पंकज ट्रेड ऐन्टरप्राईसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सी० बीज्स एक्सट्रेक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 12 मई 1976

सं० 560/2587—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सी० बीड्स एक्सट्रेक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

जे० गो० गाथा
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य
अहमदाबाद

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445 (2) के अधीन सूचना

कोचीन, दिनांक 12 मई 1976

सं० 2197/लिक०/6226/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में और रैप्स एण्ड पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में सिविल अर्जि सं० 17/1974 में केरल में स्थान न्यायालय के तारीख 16-9-1975 के आदेश द्वारा रैप्स एण्ड पैक्स प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापन करने का आदेश दिया गया है ।

पी० एस० आनवर
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
केरल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और वीटो लेबोरेट्रीज लिमिटेड (लिक्विडेशन में) के विषय में

जालन्धर, दिनांक 15 मई 1976

सं० स्टेट/1320 लिक०/560—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि वीटो लेबोरेट्रीज लिमिटेड (लिक्विडेशन में) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

प्रभु शंकर माथुर
कम्पनियों का पंजीकार, पंजाब
हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यू-23-I-1036(395)/1-1/75-76—यतः मुझे, जे० कथूरिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 7, है, जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 10 सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रुपालीबेन चंदूलाल पटेल, उसमानपुरा गांव, अहमदाबाद । (अन्तरक)

2. सौमिल फ्लैट्स को० ओप० हाऊसिंग सोसायटी लि० मार्फत :—श्री कगुभाई भगुभाई पटेल, अमी कार्पोरेशन, 5, रायल एपार्टमेन्ट्स, अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 833 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 7 है तथा जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबाद में स्थित है ।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 15-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यू-23-I-1037(396)/1-1/75-76.—यत: मुझे, जे० कथूरिया,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 5, है, जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 10 सितम्बर, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रशमीकांत चंदूलाल पटेल, उसमानपुरा गांव, अहमदाबाद। (अन्तरक)

2. सौमिल फ्लैट्स को० ओप० हाऊसिंग सोसायटी लि०, मार्फत :—श्री कनुभाई भगुभाई पटेल, अमी कार्पोरेशन, 5, रायल एपार्टमेन्ट्स, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 834 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 5 है तथा जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 15-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1038(397)/1-1/75-76—यतः मुझे जे० कथूरिया,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 2, है, जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-9-75
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रुकमणी पुरुषोत्तमदास पटेल,
उसमानपुरा गांव, अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

2. सौमिल फ्लैट्स को० आप० हाउसिंग सोसायटी लि०
मार्फत : श्री कनुभाई, भगुभाई पटेल,
अमी कार्पोरेशन, 5, रायल एपार्टमेन्ट्स,
अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 2500 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 2 है, तथा जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबाद में स्थित है । तथा जिसकी बिक्री दो निम्नलिखित बिक्री दस्तावेजों द्वारा की गयी है :—

1. दस्तावेज नं० 12576 तारीख 10-9-75, क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज, सब प्लाट नं० 2, सर्वे नं० 81/ए तथा बिक्री कीमत 41,250/- रु० है ।

2. दस्तावेज नं० 12590 तारीख 10-9-75, क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज, सब प्लाट नं० 2, सर्वे नं० 81/ए तथा बिक्री कीमत 41,250/- रु० है ।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख: 15-5-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1039(398)/1-1/75-76—यतः मुझे, जे० कथूरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 3 है, जो मेमनगर ड्राईव-इन-सिनेमा के पास अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-9-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मनोज कुमार हरीभाई पटेल, उसमानपुरा गांव, अहमदाबाद ।

(अन्तरक)

2. सौमिल फ्लैट्स को० ओप० हाउसिंग सोसायटी लि० मार्फत : श्री कनुभाई भगुभाई पटेल, अमी कार्पोरेशन, 5, रायल एपार्टमेन्ट्स, अहमदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 2500 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 3, है तथा जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबाद में स्थित है, तथा जिसकी बिक्री दो निम्नलिखित बिक्री दस्तावेजों द्वारा की गयी है :—

1. दस्तावेज नं० 12594, तारीख 10-9-75 क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज, सब प्लाट नं०/सर्वे नं० 3, बिक्री कीमत 41,250/- रु० ।

2. दस्तावेज नं० 12595, तारीख 10-9-75, क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज, सब प्लाट नं० 3, सर्वे नं० 81/ए, बिक्री कीमत 41,250/- रु० ।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख : 15-5-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1040(399)/1-1/75-76—यतः मुझे, जे० कथूरिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 11 है, जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-9-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री नरेश कुमार बचूभाई पटेल,
उसमानपुरा गांव, अहमदाबाद ।
(अन्तरक)

2. सौमिल फ्लैट्स को० ओप० हाउसिंग सोसायटी लि०
मार्फत: श्री कनुभाई भगुभाई पटेल,
अमी कार्पोरेशन, 5, रायल एपार्टमेन्ट्स,
अहमदाबाद ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 11 है तथा जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख: 15-5-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 15 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1041(400)/1-1/75-76—यतः मुझे, जे० कथूरिया,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 12 है तथा जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबद में स्थित है) (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कुसुमबेन बंसीलाल पटेल,
उसमानपुरा गांव, अहमदाबाद ।
(अन्तरक)

2. सौमिल फ्लैट्स को० ओप० हाउसिंग सोसायटी लि०
मार्फत: श्री कनुभाई भगुभाई पटेल,
अमी कार्पोरेशन, 5, रायल एपार्टमेन्ट्स,
अहमदाबाद । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 1250 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 81/ए, सब प्लाट नं० 12 है, तथा जो मेमनगर, ड्राईव-इन-सिनेमा के पास, अहमदाबाद में स्थित है ।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख: 15-5-76
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, धारवाड़ का कार्यालय

धारवाड़, दिनांक 15 मई, 1976

निदेश सं० 116/76-77/एक्यु०—यतः, मुझे जी० एम० कुलकर्णी,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सूंडहल्ली काफी एस्टेट है, जो हासन जिल्ला, मंजराबाद तालुक के सूंड हल्ली ग्राम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सकलेशपुर में डाकुमेंट नं० 713 के अन्तर्गत 18-9-1975 के दिन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा० राजा सर मुत्तरया चेट्टीयार, चेट्टीनाड, चेट्टीनाड हाऊस, राजा अण्णामलैपुरम्, मद्रास-28, में स्थित। (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती जीनेट मेनेझिस
(2) श्रीमती एमिड प्रभुस
(3) श्री आर्थर जे पिंटो
(4) कुमारी जेनेविन पिंटो।
(5) कुमारी रोस मेरी पिंटो
(6) कुमारी जोनिय पिंटो (अल्पवयी संरक्षकदार
(7) एम० आर० जे० बि० मार्टीन उसका पिता नि० एफ० पिंटो)

सभी सूंड हल्ली एस्टेट, सूंडहल्ली ग्राम, बलगोडु (पोस्ट) मंजराबाद (तालुक) हासन जिल्ला के रहवासी) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त-अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

हासन जिल्ला, मंजराबाद तालुक सूंडहल्ली ग्राम में स्थित सूंडहल्ली काफी एस्टेट जिसका विस्तीर्ण 305 एकड़ और 8 गुंटे का है।

जी० एम० कुलकर्णी,
सक्षम प्राधिकारी)
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हुबली धारवाड़

तारीख : 15-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

धारवाड़, दिनांक 15 मई 1976

निदेश सं० 115/76-77/एक्यु०—यतः, मुझे जी० एम०, कुलकर्णी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है और जिसकी सं० काफी एस्टेट नामका दोड लक्काडा काफी एस्टेट है, जो लक्कोंडा ग्राम, बेलूर तालुक, हासन जिल्ला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बेल्लूर डाक्युमेंट नं० 1180 के अंतर्गत 18-9-1975 के दिन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन,

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० राजा सर मुत्तय्या चेट्टीयार,
चेट्टीनाड
स्वर्गीय राजा सर अन्नामलै चेट्टीयार का पुत्र,
चेट्टीनाड हाउस राजा अन्नमलैपुर,
मद्रास-28।

(2) डा० राजा सर मुत्तय्या चेट्टीयार,
चेट्टीनाड का पुत्र
श्री एम० ए० एम० रामस्वामी चेट्टीयार,
चेट्टीनाड (पता जैसे अनुक्रतम सं० (1) में है)।

(3) कुमारी राजा एम० एम० एम० मुत्तय्या चेट्टीयार,
चेट्टीनाड की विधवा
कुमारी रानी मीनाक्षी अचि, चेट्टीनाड
पता जैसे अनुक्रम सं० (1) में है। (अन्तरक)

2. श्री बि० ए० साल्डाना
(2) श्री फिलिप एफ० साल्डाना
(3) श्री एन० एफ० पि० साल्डाना
(4) श्री आर० जी० साल्डाना

सभी नोरवर्ट एस्टेट, कुंबूर (पोस्ट), मूडिशेरे (तालुक) हासन, जिल्ला के रहवासी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

लक्कोंडा ग्राम, बेलूर तालुक, हासन जिल्ला में स्थित दोड लक्कोंडा काफी एस्टेट जो विस्तीर्ण में 301 एकड़, और 38 गुंठे का है।

जी० एम० कुलकर्णी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, धारवाड़

दिनांक : 15-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अप्रैल 1976

निदेश सं० 338/एसीक्यू०-23-478/6-1/75-76—अतः, मुझे, पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 266 है, जो तरसाली, जिला बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री धुलाभाई प्रभुदास पटेल
तरसाली, जिला : बड़ौदा।
(अन्तरक)

(2) श्री अरविंदभाई मोरारजी भक्ता तथा अन्य
चोरवाड, त० वाघरा, जिला बड़ौदा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 266 कुल माप 8 एकर 3 गुंथा है तथा जो तरसाली, जिला बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5136 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद।

दिनांक : 17-4-1976।

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अप्रैल, 1976

निदेश सं० 339/एसीक्यू० 23-481/6-2/75-76—अतः मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और और जिसकी सं० 113 और 155 है, जो सुभानपुरा, बड़ौदा में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

5—106GI/76

(1) श्री शंकरभाई कालीदास पटेल
सुभानपुरा, बड़ौदा

(अन्तरक)

(2) मै० शैमी को० आप० हाउसिंग सोसायटी लि०
मारफत जे० सी० पटेल, कुलमुखतार,
वकील, डांडिया बाजार, बड़ौदा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के प्रति आक्षेप यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 113 और 155 कुल माप 2 एकर 33 गुंथा है तथा जो सुभानपुरा, बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4705, 4707 और 4709 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 17-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 अप्रैल, 1976।

निदेश सं० 340/एसीक्यू०/23-581/6-1/75-76—यतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपये से अधिक है और जिसकी सं० स० नं० 627, 628 और 629 है, जो कालाली रोड, अटलादरा में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजारमूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मेसर्स पाम मेन्युफेक्चरिंग कारपोरेशन 'शोभिम' हरी भक्ति कालोनी, रेस कोर्स, बड़ौदा-7.

(अन्तरक)

(2) मै० ट्रांस्पेक इन्डस्ट्री प्रा० लि०
635, कालाली रोड, अटलादरा, जिला बड़ौदा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

इमारत, जमीन, टेंक इत्यादि सहित अचल सम्पत्ति का वह समस्त भाग जिसका क्षेत्रफल 17.25M × 31M बांध काम सहित 5 एकर 35 गुंथा है तथा जो स नं० 627, 628 और 629 कालाली रोड, अटलादरा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5142 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 17-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 अप्रैल, 1976

निदेश सं० 342/ए सी क्यू०/23-667/19-8/75-76—अतः, मुझे पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी संख्या नोंध नं० 300ए वार्ड नं० 13, एफ० पी० नं० 279 है, तथा जो अठवा लाइन्स सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम; 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० नगीनदास चुनीलाल जरीवाला
बालाजी रोड, सार्वजनिक हाई स्कूल फार गर्ल्स के सामने।
सूरत-395003
(अन्तरक)

(2) मै० मजमुदार एण्ड एसोसियेट्स,
मारफत : एम० जे० इंजीनियर्स एन्ड बिल्डर्स,
11/208, भगातलाव, सूरत
(मारफत : अविनाश एस० मजमुदार, भागीदार)।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंध नं० 300ए यार्ड नं० 13, फाईनल प्लॉट नं० 279 और कुल माप 832 वर्ग गज है तथा जो अठवा लाइन्स, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2065 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 22-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 1976

निर्देश सं० 343/ए सी क्यू०/23-511/19-7/75-76—

यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० स० नं० 136 पैकी प्लोट नं० 1 है तथा जो मोजे फुलपाडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 11-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) करसनदास रणछोडदास
   (2) डाली बेन करसनदास,
   (3) रमेशचन्द्र करसनदास
   (4) प्रवीनभाई करसनदास
   सभी बन्दुकारा नाका, लाल दरवाजा, सूरत।
   (5) लिलीबेन, घेलाभाई रणछोडदास की विधवा,
   (6) हसमुखलाल घेलाभाई
   (7) धनसुखदास घेलाभाई
   (8) चिमन लाल घेलाभाई
   सभी नवसारी बाजार, दक्षणी मोहल्ला, सूरत
   (अन्तरक)
2. मै० रसिक लैण्ड डेवेलोपर्स एन्ड आर्गेनाइजर्स,
   10/750, हवाडिया चकला, अंबाजी रोड,
   सूरत की ओर से उसके कार्यवाहक भागीदार :—
   (1) बाबुभाई मूलचन्ददास मोदी,
   (2) प्रामणशंकर फकीरभाई राव।
   (अन्तरिती)
3. मै० विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल को० सोसायटी
   (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 136 पैकी प्लोट नं० 1, कुल माप 1805 वर्ग गज है तथा जो मोजे फुलपाडा ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4858 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 22-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 1976

निर्देश सं० 344/ए सी क्यू० 23–511/19-7/75-76—यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 136 पैकी प्लोट नं० 2 है तथा जो मोजे फुलपाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री करसनदास रणछोडदास, (2) डालीबेन करसनदास, (3) रमेशचन्द्र करसनदास, (4) प्रवीनभाई करसनदास, सभी बंदुकारा नाका, लाल दरवाजा, सूरत (5) लिलीबेन घेलाभाई रणछोडदास की विधवा, (6) हसमुखलाल घेलाभाई, (7) धनमुखलाल घेलाभाई (8) चिमन लाल घेलाभाई, सभी नवसारी बाजार, दक्षिणी मोहलो, सूरत (अन्तरक)

2. रसिक लैण्ड डेवेलोपर्स एण्ड आर्गेनाइजर्स, 10/750, हवाडिया चकला, अंबाजी रोड, सूरत की ओर से उसके कार्यकारी भागीदार :—

(1) बाबुभाई मूलचन्ददास मोदी,

(2) प्राणशंकर फकीरभाई रावल (अन्तरिती)

3. मै० विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल को० सोसायटी (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 136 पैकी प्लोट नं० 2, कुल माप 1480 वर्ग गज है तथा जो मोजे फुलपाडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4856 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 1976

निर्देश सं० 345/ए सी क्यू० 23-511/19-7/75-76—
यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 136 पैकी प्लोट नं० 3 है तथा जो मोजे फुलपाडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री करसनदास रणछोडदास, (2) डालीबेन करसनदास, (3) रमेशचन्द्र करसनदास, (4) प्रवीनभाई करसनदास, सभी बंदुकारा नाका, लाल दरवाजा, सूरत, (5) लिलीबेन, घेलाभाई रणछोडदास की विधवा, (6) हसमुखलाल घेलाभाई, (7) धनसुखलाल घेलाभाई, (8) चिमनलाल घेलाभाई, सभी नवसारी बाजार, दक्षिणी मोहलो, सूरत (अन्तरक)

2. रसिक लैण्ड डेवेलोपर्स एण्ड आर्गेनाइजर्स, 10/750, हवाडिया चकला, अंबाजी रोड, सूरत की ओर से उसके कार्यकारी भागीदार :—
(1) बाबुभाई मूलचन्ददास मोदी,
(2) प्राणशंकर फकीरभाई रावल (अन्तरिती)

3. मै० विश्वकर्मा इन्डस्ट्रीयल को० सोसायती (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 136 पैकी प्लोट नं० 3, कुल माप 715 वर्ग गज है तथा जो मोजे फुलपाडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4857 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 1976

निर्देश सं० 346/ए सी क्यू० 23-511/19-7/75-76——यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 136 पैकी प्लोट नं० 4 है तथा जो मोजे फुलपाडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूणरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री करसनदास रणछोडदास, (2) डालीबेन करसनदास, (3) रमेशचन्द्र करसनदास, (4) प्रवीन भाई करसनदास, सब बंदुकारा नाका, लाल दरवाजा, सूरत, (5) लिलीबेन, घेलाभाई रणछोडदास की विधवा, (6) हसमुखलाल घेलाभाई, (7) धनसुखलाल घेलाभाई, (8) चिमन लाल घेलाभाई, सब नवसारी बाजार, दक्षिणी मोहला, सूरत (अन्तरक)

2. रसिक लैण्ड डेवेलोपर्स एण्ड आर्गेनाइजर्स, 10/750, हवाडिया चकला, अंबाजी रोड, सूरत की ओर से उसके कार्यकारी भागीदार :—

(1) बाबुभाई मूलचन्ददास मोदी,

(2) प्राणशंकर फकीरभाई रावल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और जो पदों का, उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 136 पैकी प्लोट न० 4, कुल माप 2406 वर्ग गज है तथा जो मोजे फुलपाडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4861 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद कार्यालय

अहमदाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 1976

निर्देश सं० 347/ए० सी० क्यू० 23-511/19-7/75-76-

यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह, विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 136 पैकी प्लोट नं० 5 है, तथा जो मोजे फुलपाडा, ता० चोरासी, जिला, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री करसन दास रणछोड दास, (2) डालीबेन करसनदास, (3) रमेश चन्द्र करसन दास, (4) पृवीन भाई करसन दास, सब बंदुकारा नाका, लाल दरवाजा, सूरत, (5) लिलीबेन, धेला भाई रणछोड दास की विधवा, (6) हसमुख लाल धेला भाई, (7) धनसुख लाल धेला भाई, (8) चिमन लाल धेलाभाई, सब नवसारी बाजार, दक्षिणी मोहल्ला, सूरत (अन्तरक)

2. रसीक लेन्ड डवेलोपर्स एण्ड आर्गेनाइजर्स 10/750, हथाडिया चकला, अम्बाजी रोड, सूरत की ओर से उसके कार्यकारी भागीदार :—

(1) बाबु लाल मूल चन्द दास मोदी
(2) प्रान शंकर फकीर भाई रावल, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 136 पैकी प्लोट नं० 5 कुल माप 1983 वर्ग गज है तथा जो मोजे फुलपाडा ता० चोरासी जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4859 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 1976

निदश सं० 348/ए० सी० क्यू० 23-511/19-7/75-76—यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 136 पैकी प्लोट नं० 6 है, तथा जो मोजे फुलपाडा ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री करसन दास रणछोड दास, (2) डालीबेन करसन दास (3) रमेश चन्द्र करसनदास, (4) पूनीन भाई करसनदास, सब बंदुकारा नाका, लाल दरवाजा, सूरत, (5) लिलीबेन, धेला भाई रणछोडदास की विधवा (6) हसमुखलाल धेला भाई, (7) धनसुख लाल धेला भाई, (8) चिमन लाल धेला भाई, सब नवसारी बाजार, दक्षिणी मोहल्ला, सूरत (अन्तरक)

2. रसीक लेण्ड डेवेलोपर्स एण्ड आर्गेनाईज़र्स 10/750 हथाडिया चकला, अंबाजी रोड, सूरत की ओर से उसके कार्यकारी भागीदार :—

(1) बाबु भाई मूलचन्द दास मोदी,

(2) प्रान शंकर फकीर भाई रावल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 136 पैकी प्लोट नं० 6 कुल माप 2490 वर्ग गज है तथा जो मोजे फुलपाडा, ना० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4860 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 22-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 23 अप्रैल 1976

निर्देश सं० 349/ए० सी० क्यू० 23-667/19-7/75-76—

यतः मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० स० नं० 16 प्लाट नं० 42/2 हिस्सा खुली जमीन है, तथा जो उमरबाडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) मे० हरिकिशन दास नारायण दास एण्ड कं० सलाबनपुरा, धामलाबाड, सूरत,
(2) कमलाबेन, हरिकिशन दास नारणदास की विधवा,
(3) चन्दु लाल हरकिशन दास, (4) शंभु लाल हरकिशन दास,
(5) छगनलाल हरकिशन दास, (6) गनपत राम हरकिशन दास,
(7) रति लाल हरकिशन दास, (8) केशवराम हरकिशन दास,
(9) सनमुख लाल हरकिशन दास (अन्तरक)

2. श्री मूल चन्द दास कचराभाई,
श्री चिमन लाल मूलचन्द दास,
श्री चन्द्रकांत मूलचन्द दास,
श्रीमती शांताबेन मूलचन्द दास, सूरत टेक्सटाईल मार्किट के सामने, रिंग रोड, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 16, प्लोट नं० 42/2 पैकी कुल माप 2563.3 वर्ग गज है तथा जो मोजे उमरवांडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 537 और 538 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 23-4-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 मई 1976

निर्देश सं० 350/ए० सी० क्यू० 23–509/19-7/75-76

––यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है)

की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 74 पैकी है, तथा जो मजूरा, ता० चोरासी, जिला, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती गुलाबबेन, बेचर दास खुशलदास की विधवा, सग्रामपुरा, पोपट शेरी, सूरत (अन्तरक)

2. औरोबोल को० आप० हाउसिंग सोसायटी लि० की ओर से उसके मुख्य प्रयोजक :—

श्री हसमुख लाल रतिलाल, सग्रामपुरा, नरसिंह शेरी, सुरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अरर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० स० नं० 74 मूल माप 24621.34 वर्ग गज टी० पी० एस० नं० 6, फाईनल प्लोट नं० 23 कुल माप 15328.34 वर्ग गज है तथा जो मजूरा ता० चोरासी, जिला, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्टीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्टीकृत विलेख नं० 4376 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 4-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद कार्यालय

अहमदाबाद, दिनांक 3 मई 1976

निर्देश सं० 351/ए० सी० क्यू० 23-560/19-7/75-76

—यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० रे० स० नं० 169, पैकी है, तथा जो मजूरा ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्टीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दयालजी कासनजी भाटरकर सग्रामपुरा, देसाई शेरी, सूरत (अन्तरक)

2. श्री सत्यनारायण इन्डस्टीयल को-आपरेटिव सर्विसीज सोसायटी लि० की ओर से उसके प्रमुख प्रयोजक :—
श्री जयंतिलाल मोहन लाल, शोर शेरी, वाली पालिया, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जो मजूरा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जिसका रे० स० नं० 169 पैकी कुल माप 17908 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्टीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्टीकृत विलेख नं० 3517 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-2, अहमदाबाद

तारीख : 3-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 मई 1976

निदेश सं० 352 ए० सी० क्यू० 23-574/198/75-76—अतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 44/2, पैकी खुली जमीन है, तथा जो मजूरा, ना० चौरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री महेन्द्र कुमार बलवंतराय देसाई, संग्राम पुरा. मेन रोड, सूरत।
   (2) श्री अरुनकुमार बलवंतराय, देसाई, संग्रामपुरा, मेन रोड, सूरत।
   (3) श्री अनिल कुमार बलवंतराय देसाई, संग्रामपुरा, मेन रोड, सूरत।
   (4) बेबी एलियास जयबाला बलवंतराय देसाई, गुणवंतराय गांडा भाई देसाई की पत्नि, दादर, बम्बई।
   (5) कुंदनबेन बलवंतराय देसाई, भासकरराय रुघनाथ जी देसाई की पत्नि, बम्बई।

   (अन्तरक)

2. इन्दु को० आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी की ओर से उसके प्रमुख प्रयोजक :
   श्री कान्तीलाल, मोहनलाल,
   वाली फालिया, स्टोर शेरी, सूरत।

   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० स० नं० 44/2 पैकी जिसका मूल माप 13,214 वर्ग गज, एफ० पी० नं० 28-ए और 28-बी, टी० पी०एस० नं० 6 कुल माप 9014 वर्ग गज है तथा जो मजूरा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख में नं० 4931 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 4-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 मई, 1976

निदेश सं० 353/ए०क्यु० 23-575/19-8/75-76——अतः मुझे पी० एन० मित्तल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 44/2 पैकी मजूरा ता० चौरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ध के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री महेन्द्र कुमार बलवंतराय देसाई, संग्रामपुरा, मेन रोड, सूरत।
   (2) श्री अरुनकुमार बलवंतराय देसाई, संग्रामपुरा, मेन रोड, सूरत।
   (3) श्री अनिल कुमार बलवंतराय देसाई, संग्रामपुरा, मेन रोड, सूरत।
   (4) कुंदन बेन बलवंतराय देसाई, भासकरराय सखनाथजी की पत्नी, गोरेगांव, बम्बई।
   (5) बेबी एलियास जयबाला बलवंतराय देसाई गुणवंतराय गांडाभाई देसाई की पत्नी, दादर, बम्बई।

(अन्तरक)

2. आनन्द मंगल को० आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० की ओर से उसके

उप प्रमुख:—नवनीत लाल ठाकोरदास धारीवाला, सलाबतपुरा, मदवाली शेरी, सूरत।

मानद मंत्री:—जेकिसनदास डाह्याभाई, मशरूवाला, सलाबतपुरा, बचली शेरी, सूरत।

मेम्बर :— जयन्तीलाल हरकिसनदास राना, नथापुरा, राना वाड, अम्बेदेवी शेरी, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० स० नं० 44/2, पैकी मूल प्लॉट का माप 13657 वर्ग गज, फाईनल प्लॉट 28-ए, टी० पी० एस० नं० 6 कुल माप 11352 वर्ग गज है तथा जो मजूरा, भातार रोड, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 495 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 4-5-76
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 मई 1976

निदेश सं० 354/ए०क्यु० 23-715/19-8/75-76—

अतः मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 13, ब्लाक नं० ए/21, रोड नं० 10, है तथा जो उधना, उद्योगनगर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री चन्द्रमानी शान्तीलाल शाह श्रेयास सोसायटी, नानपुरा, सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री हरेशचन्द्र ठाकोरदास जोशी और ताराबेन हरेशचन्द्र जोशी, (हाल यू०एस० ए० में) अपने कुलमुख्तार हरीशचन्द्र, ठाकोरदास भगत द्वारा, नानी देसाई, पोल सोनी, फलिया, सूरत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका प्लॉट नं० 13, ब्लाक नं० ए/21, रोड नं० 10, कुल माप 1067 वर्ग गज है तथा जो उधना, उद्योगनगर ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2931 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 4-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 4 मई, 1976

निदेश सं० 355/एक्यु०-23-716/19-8/75-76—अतः मुझे, पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० स० नं० 30+35—2, पैकी प्लॉट नं० 9 है, तथा जो अठवा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-9-1975 को पर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. लाता बेन भुलाभाई पटल,
82-बी, एम्बसी एपार्टमेन्टस, 46, नेपीयन रोड,
बम्बई-2 ।

(अन्तरक)

2. पुष्पा बेन दोलतभाई पटेल,
बांकानेर, ता० बारडोली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 30 और 35-2, पैकी प्लॉट नं 9 कुल माप 711 वर्ग गज है तथा जो अठवा ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2087 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अमहदाबाद

तारीख: 4-5-1976

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अमहदाबाद, दिनांक 5 मई 1976

निदेश सं० 356/एक्यु०-23-717/19-7/75-76--- अतः मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 24, टी० पी० एस० नं० 8 तथा एफ० पी० नं० 139 सब प्लाट नं० 6-ए है तथा जो उमरवाडा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:---

1. श्री मूलचन्द दास नारनदास माली,
चौक बाजार, सोपारी गली, सूरत।
(अन्तरक)

2. (1) अम्बा बेन, शांतिलाल,
नथापुरा, करवा रोड, सूरत
(2) पदमा बेन मोहनलाल, नवापुरा, करवा रोड, सूरत
(3) पदमा बेन मनसुख लाल, नवापुरा, करवा रोड, सूरत
(4) मनसुखलाल शांतिलाल नवापुरा, करवा रोड, सूरत
(5) मोहनलाल, शांतिलाल, नवापुरा, करवा रोड, सूरत।
(अन्तरिती)

4. विस्को लैण्ड कार्पोरेशन की ओर से उसके सहियारी :
श्री चम्पकलाल चुनीलाल जीनवाला,
नवापुरा, सूरत।
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० स० नं० 24 टी० पी० एस० नं० 8, एफ० पी० नं० 139, पैकी सब प्लाट नं० 6ए, कुल माप 1147 वर्ग गज है तथा जो उमरवाडा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्टीकर्ता अधिकारी सूरत के, सितम्बर, 1975 के रजिस्टीकृत विलेख नं० 5825 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 5-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 मई 1976

निदेश सं० 357/ए० क्यु०-23-718/19-8/75-76——अतः मुझे पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 24 टी० पी० एस० नं० 8, एफ० पी० नं० 139, सब प्लाट नं० 7-ए, है तथा जो उमरवाडा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-9-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में, सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री मूलचन्द दास, नारनदास माली, चौक बाजार, सोपारी गली, सूरत।

(अन्तरक)

2. (1) श्री गंगाबेन चन्दुलाल, वाडी फालिया, चकावाडा शेरी, सूरत।
(2) मंगलबेन गिरधरलाल, वाडी फालिया, चकावाडा शेरी, सूरत।
(3) मंजूलाबेन धनसुखलाल, वाडी फालिया, चकावाडा शेरी, सूरत।
(4) पुष्पाबेन हीरालाल, वाडी फालिया, चकावाडा शेरी, सूरत।
(5) धनगौरी सोमाभाई, वाडी फालिया, चकावाडा शेरी, सूरत।

(अन्तरिती)

4. विस्को लैण्ड कारपोरेशन की ओर से उसके सहियारी : चम्पकलाल चुनीलाल जीनवाला, नानपुरा, सूरत।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है के कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० स० नं० 24, टी० पी० एस० नं० 8, एफ० पी० नं० 139, पैकी सब प्लाट 7ए, कुल माप 1117 वर्ग गज है तथा जो उमरवाडा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्टीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5126 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 5-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 मई, 1976

निदेश सं० 358/ए क्यु० 23-719/19-7/75-76—
अतः मुझे, पी० एन० मित्तल
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० नं० 97, फाईनल प्लॉट नं० 50 है तथा जो उमरवाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-9-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री वीरेन्द्र रमणीक लाल, कपाडिया,
9/466, स्टोर शेरी वाडी फालिया, सूरत।
(अन्तरक)

2. मैं० वीरेन टेक्सटाईल्स की ओर से उसके सहियारी :
(1) श्री हसमुखबेन रमणीकलाल कपाडिया,
9/466, स्टोर शेरी, वाडी फालिया, सूरत।
(2) सुसमाबेन विनोद चन्द्र कपाडिया,
20, नरमद नगर, सोसायटी, अठवां, सूरत।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पाये तक के बांध काम वाली खुली जमीन जिसका सं० नं० 97, पैकी फाईनल प्लाट नं० 50, कुल माप 859 वर्ग गज है तथा जो उमरवाडा, ता० चौरासी, जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2776 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

तारीख: 5-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मई 1976

निदेश सं० 359/एक्यू०-23-585/6-1/75-76—अतः मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० स० नं० 368 (भाग), सावद, जिला बड़ौदा है तथा जो बारसिया कालोनी के पास, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालये, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-9-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चतुरभाई पुरुषोत्तम दास पटेल, हनुमान चौक, भुनडी जाम्पा, बड़ौदा।
(अन्तरक)

2. राजधानी को० आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि०, बालाजी मंदिर, जुबली बाग के पास, बड़ौदा।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 368(भाग) कुल माप 174240 वर्ग फुट है तथा जो सावद गांव, बारसिया कालोनी के पास बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5822 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 6-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 6 मई 1976

निदेश सं० 360/ए० सी० क्यु० 23-720/19-7/75-76—
अतः मुझे, पी० एन० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 174, पैकी ब्लाक नं० 1 है तथा जो मजूरा, ता० चौरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-9-1975 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० मयूर कार्पोरेशन की ओर से उसके सहियारी :
   (1) श्री भगवान दास, भखनदास, जरीवाला, संग्रामपुरा, मेन रोड, सूरत ।
   (2) पोपटलाल, आत्माराम राशीवाला, क्षेत्रपाल शेरी, गोपीपुरा, सूरत ।
   (अन्तरक)
2. दर्शन इन्डस्ट्रीयल को० आपरेटिव मॉर्विम सोसायटी लि० की ओर से उसके :
   (1) प्रमुख : हीरेन हरकिशन दास जरीवाला
   (2) सेक्रेटरी: अरविन्द कुमार चम्पकलाल शेरडीवाला मेन रोड, संग्रामपुरा सूरत ।
   (3) जायन्ट सेक्रेटरी : मनहरलाल छगनलाल पटेल, सोनी फालिया, मेन रोड, सूरत
   (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से, किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 174 पैकी ब्लाक नं० 1 कुल माप 5300 वर्ग गज है तथा जो मजूरा (उधना भगदला रोड पर) सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 6-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश सं० 361/ए० सी०क्यु० 23-721/19-8/75-76—

अतः मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 24, पैकी मूल प्लाट नं० 33 एफ० पी० नं० 139, सब प्लाट नं० 6 है तथा जो उमरवाडा, ता० चौरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि **यथापूर्वोक्त सम्पत्ति** का उचित बाजार मूल्य, उसके **दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक** (अन्तरकों) **और** अन्तरिती (अन्तरितियों) **के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण** लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. के० मारफतिया एण्ड कं० की ओर से उसके सहियारी :
   (1) श्री चम्पकलाल भोगीलाल मास्टर, रानी तलाब, सूरत।
   (2) मोहनलाल मंगलदास, मार फतिया, सोनी फालिया, सूरत, ।
   अपने कुल मुख्तार द्वारा :
   (i) कान्तीलाल मनसुखलाल, इन्दरपुरा, बेदरी रोड, सूरत ।
   (ii) सबीता बेन मनसुखलाल, इन्दरपुरा, बेदरी रोड, सूरत ।

   (अन्तरक)

2. (1) श्री अशोक कुमार कान्तीलाल शाह, माही ।
   (2) जयन्ती लाल चुनी लाल शाह, व्यारा ।
   (3) बाबूलाल चुनी लाल शाह, व्यारा । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० सं० नं० 24 पैकी मूल प्लाट नं० 33, एफ पी० नं० 139, पैकी सब प्लाट नं० 6 और कुल माप 971 वर्ग गज है, तथा जो उमरवाडा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5364 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-76

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन-रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई, 1976

निदेश सं० 362/ए०सी०क्यू०-23-722/6-2-75-76—

यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, बड़ौदा इन्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कारपोरेशन, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) बड़ौदा इन्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कारपोरेशन, गोखा, बड़ौदा। (अन्तरक)

(2) मे० लस्टर सेरामिक्स (प्रा०) लि०, इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, गोखा, बड़ौदा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तिगों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

, जमीन जिसका कुल माप 13065 वर्ग फुट है तथा जो बड़ौदा इन्डस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लि० गोखा, बड़ौदा के इन्डस्ट्रीयल एस्टेट में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5423 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन-रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई, 1976

निदेश सं० 363/ए० सी० क्यु-23-723/7-4/75-76—
यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 12 और 12-1 पैकी प्लाट नं० 43 और 44 है, जो जवेरी रोड, नवसारी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 3-9-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) महाबीर नगर को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, नवसारी की ओर से उसके:
प्रमुख : कांतीलाल वीरचन्द शाह:
सेक्रेटरी : बाबुलाल केसरी चन्द शाह (अन्तरक)

(2) श्रीजी को-आपरेटिव हाउसिंग सो० लि० की ओर से उसके :
1. प्रमुख : गिरीश रमणलाल पारीख
जोशी मोहल्ला, नवसारी
2. सेक्रेटरी : राजेश रमणलाल मेहता
दादन्ग वाड, नवसारी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 12 और 12-1 पैकी प्लाट नं० 43 और 44 कुल माप 11082 वर्ग फुट है तथा जो जवेरी रोड, नवसारी में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नवसारी के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2641 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 17 मई, 1976

निदेश सं० 364/ए० सी० क्यू० 23-483/6-2/75-76—

यत: मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 919/2 कुल माप 87120 वर्ग फुट है तथा जो बापड़ सिम वाघोडिया रोड, बड़ौदा में स्थित है (और इससे पाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1975 को

सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री (1) हरमनभाई रामभाई पटेल
(2) चन्द्रकान्त रामभाई पटेल
(3) रविन्द्र कुमार रामभाई पटेल
रानोली, जिला बड़ौदा (अन्तरक)

(2) उमा कालोनी को० आपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी लि०
प्रमुख : बाबुभाई केशवलाल शाह
संस्था वसाहत, बड़ौदा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका रे० स० नं० 919/2 कुल माप 2 एकड़ अर्थात् 87120 वर्ग फुट है तथा जो बापड़ सीम, वाडी बाई वाघोडिया रोड, बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5143/75 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश सं० 365/ए० सी० क्यू०-23-724/6-1/75-76—

यतः मुझे पी० एस० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० स० नं० 79 (भाग) है तथा जो फतेह गंज, स्नेहल एपार्टमेन्टस के पास, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1-9-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बरसोजी बी० दलाल,
कुल मुखतार श्री पी० डी० दलाल,
पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर
फतेह गंज, बड़ौदा। (अन्तरक)

(2) श्री बकुलेश आर० गुप्ता
रेड क्रास सोसायटी के पास,
खारी वाव रोड,
रावपुरा बड़ौदा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 79 (भाग) कुल माप 4927 वर्ग फुट है तथा जो फतेह गंज, स्नेहल एपार्टमेन्टस के पास स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 को रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4927 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1976
मोहर :

प्रूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश नं० 366/ए० सी० क्यु० 23-725/6-1/75-76—यतः मुझे, पी० एन० मित्तल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० स० नं० 266 है तथा जो नरसाली सीम, सुसेन कम्पनी के पीछे, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री धुलाभाई प्रभुदास पटेल
गांव नरसाली, जिला बड़ौदा (अन्तरक)

(2) श्री (1) अरविन्दभाई मोरारजी भक्ता
4, राजेन्द्र सोसायटी, मांजलपुर,
बड़ौदा
(2) कान्तीलाल नानालाल पटेल
शेखवाडी, खंमान, जिला खेडा
(3) देवेन्द्रभाई कुबेरभाई पटेल
(4) परागदास नरोत्तमदास पटेल,
(5) मंजुला बेन जयन्तीलाल राय
(6) नटवरलाल नानालाल देसाई
(7) भीखुभाई गोविन्दजी पटेल
(8) बुधदेवभाई डाह्याभाई भक्ता,
(9) रमेशभाई हरीभाई पटेल
(10) हसमुखलाल नानालाल पटेल
(11) घीस भाई मोरारजी भक्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 266 कुल माप 8 एकड़ 3 गुन्था है तथा जो नरसाली सीम, सुसेन कं० के पीछे, मकरपुरा रोड, बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5136 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख: 7-5-1976
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश सं० 367/ए० सी० क्यू० 23-726/13-1/75-76—

यत: मुझे पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961

(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० स० नं० 755/2 है, जो वल्लभ विद्यानगर रोड, आनंद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आनन्द में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-9-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति

के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1). श्री पटेल गिरीशभाई मगन भाई
स्वामीनारायण सोसायटी
आनन्द निम्नलिखित के कुल
मुख्तार :—
(1) काशीबेन, हरमनीभाई रणछोड़ भाई
की पत्नी, कासूजी खड़की,
(2) कपिला बेन, हरमनभाई रणछोड़ भाई
की पुत्री नाना अधड़ आनन्द
(3) शारदा बेन, हरमनभाई रणछोड़ भाई
की पुत्री नाना अधड़ आनन्द (अन्तरक)

(2). (1) श्री पटेल मगनभाई चतुरभाई
एलियास बाबरभाई, स्वामी नारायण
सोसायटी, आनन्द
(2) पटेल अरविन्दभाई मगनभाई,
स्वामी नारायण सोसायटी आनन्द । (अन्तरिती)
(3) सहजानन्द कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी
वल्लभ विद्यानगर रोड,
आनन्द, की ओर से
धनजीभाई जी० पटेल, आनन्द ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 755/2, कुल माप 1 एकड़ और 14 गुन्था (6434 वर्ग गज) है तथा जो आनन्द विद्यानगर रोड, आनन्द में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आनन्द के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1149 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
[अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश सं० 368/ए० सी० क्यु०-23-727/6-2/75-76—यतः मुझे पी० एन० मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 750/2 है, जो गोरवा, पौशक लि० के पास, बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1975 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री चन्दुभाई वेरीभाई पटेल गोरवा, बड़ौदा (अन्तरक)

(2) पौशक लिमिटेड, एलेम्बिक रोड, बड़ौदा-3। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति का वह समस्त भाग जिसका कुल माप 1 एकर 19 गुंथा—उसका चौथा भाग है तथा जो गोरवा पौशक लिमिटेड, बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5688 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई, 1976

निदेश सं० 369/ए० सी० क्यु०-23-727/6-2/75-76

——यत: मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 750/2 है, जो गोरवा पौशक लि० के पास बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ध की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री अंबालाल परसोत्तमभाई पटेल गोरवा, बड़ोदा (अन्तरक)

(2) पौशक लिमिटेड, एलेम्बक रोड, बड़ौदा-3 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपत्ति का वह समस्त भाग सर्वे नं० 750/2 जिसका कुल माप 1 एकर 19 गुंथा—उसका चौथा भाग है तथा जो गोरवा, पौशक लिमिटेड बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5687 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 7-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश सं० 370/ए० सी० क्यु०-23/727/6-2/75-76—

यत: मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिस की सं० 750/2 है, जो गोरवा, पौशक लि० के पास बडौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, बडौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रुप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अत: अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री छोटाभाई वेरीभाई पटेल, गोरवा, बडौदा (अन्तरक)

(2) पौशक लिमिटेड एलेम्बक रोड, बडौदा-3 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल संपत्ति का वह समस्त भाग सर्वे नं० 750/2 जिसका कुल माप 1 एकर 19 गूंथा—उसका चौथा भाग है तथा जो गोरवा, पौशक लिमिटेड बड़ौदा में स्थित है जैसाकि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नें 5683 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक: 7 मई 1976
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश सं० 371/ए० सी० क्यू० 23/727/6-2/75-76

——यतः मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 750/2 है, जो गोरवा पौशक लि० के पास बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री चीमन भाई वेरीभाई पटेल, गोरवा बड़ौदा (अन्तरक)

(2) पौशक लिमिटेड एलेम्बक रोड़, बड़ौदा-3 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपत्ति का वह समस्त भाग जिसका कुल माप 10 एकड़ 14 गुंथा 90 वर्ग गज 6.75 वर्ग फुट पैकी है तथा जो गोरवा, पौशक लिमिटेड बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5681 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक: 7 मई 1976
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक, 7 मई 1976

निदेश स० नं० 372/ए० सी० क्यू० 23/727/6/75-76—

यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० 741/1 तथा 1015/1 (हिस्सा) तथा नोन बेरिंग स० नं० ना लैण्ड है, जो गोरवा, पौशक लि० के पास बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 75 को

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

9—106GI/76

(1) प्रत्यक्ष अधिकारी मै० एलेम्बीक केमिकल वर्कस कं० लि० एलेम्बीक रोड़, बड़ौदा

(अन्तरक)

(2) प्रत्यक्ष अधिकारी पौशक लि० एलम्बीक रोड़ बड़ौदा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 741/1 कुल माप 2 एकड़ 29 गुंथा 106 वर्ग गज तथा स० नं० 1015/1 हिस्सा कुल माप 0-एकड़ 14 गुंथा 64 वर्ग गज तथा नोन बेरींग स० नं० ना लैण्ड 1 एकड़ 32 गुंठा है तथा जो गोरवा पौशक लिमिटेड बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5170 प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक: 7 मई 1976
मोहर :

प्रारूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश नं० 373/ए० सी० क्यू० 23-576/6-1/75-76—

अतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० नं० 113 है, तथा जो गांव सामा, कादम नगर, जिला—बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 20 सितम्बर 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री यशेश चन्द्र भाउसाहेब कावम, इन्दिरा निवास, प्रतापनगर, बड़ौदा।

(अन्तरक)

(2) मैं० बड़ौदा लैण्ड ट्रेडर्स की ओर से उसके सहियारी: नवीन चन्द्र केशव लाल पटेल मारफत : वसंत प्राथमिक विद्यालय, भाउ कालेनी गली, रावपुरा, बड़ौदा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 113 कुल माप 48269.39 वर्ग फुट है तथा जो सामा गांव, कादम नगर प्लाट नं० 30, 32, 33, 35, 36, 51, 58, 73, 81 और 18/19 पर स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 5665 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

दिनांक: 7 मई 1976
मोहर :

प्रारूप आई० टी०एन० एस————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन-रेंज-II अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 7 मई 1976

निदेश सं० नं० 374/ए० सी० क्यू० 23-576/6-1/75-76 —अतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है),
की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की स० नं० 113 है, तथा जो गांव सामा कदमनगर जिला बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 20 सितम्बर 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री यशेश चन्द्र भाउसाहेब कदम, इन्दिरा निवास, प्रतापनगर बड़ौदा ।

(अन्तरक)

(2) मै० बड़ौदा लैण्ड ट्रेडर्स की ओर से उसके सहियारी: नविन चन्द्र केशवलाल पटेल मारफत : वसंत प्राथमिक विद्यालय भाउ कालेनी गली रावपुरा बड़ौदा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका स० नं० 113 कुल माप 49700.44 वर्ग फुट है तथा जो सामा गांव कदमनगर प्लाट नं० 105, 106, 110, 135, 146, 147, 148, 150 स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5671 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II अहमदाबाद

दिनांक: 5-7-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश सं० 375/ए० सी० क्यू० 23/576/6-1/75-76—

यतः, मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 113 है तथा जो गांव सामा कदमनगर जिला बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बड़ौदा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 20 सितम्बर 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री यशेशचन्द्र भाउसाहेब कदम, इन्दिरा निवास, प्रतापनगर, बड़ौदा

(अन्तरक)

(2) मैं० बड़ौदा लैण्ड ट्रेडर्स की ओर से उसके सहियारी: नविन चन्द्र केशवलाल पटेल मारफत वसंत प्राथमिक विद्यालय भाउ कालेनी गली, रावपुरा, बड़ौदा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिस का सं० नं० 113 कुल माप 4821 वर्ग मीटर या 51873.96 वर्ग फुट है तथा जो सामा गांव कदमनगर प्लाट नं० 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 और 56 स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5663 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 7 मई 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश नं० 376/ए० सी० क्यू० 23-728/19-7/75-76—

अतः मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिस की सं० नौध नं० 1255/बी एफ० पी० नं० 4 वार्ड नं० 1 है, तथा जो निमलियावाड, नानपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 3 सितम्बर 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री विनाज बेजानजी सिधवा
2. केसु बेजानजी सिधवा
सिधवा बिल्डिंग, 281, प्रिंसेस स्ट्रीट, बम्बई ।
3. नर्गिस मिनोचर आंतिया
4. अस्पी मिनोचर आंतिया
5. बेहराम मिनोचर आंतिया
6. बेरुज मिनोचर आंतिया
अपने कुल मुखतार: नर्गिस मिनोचर आंतिया द्वारा
7. जारसीस मिनोचर आंतिया (सगीर) नर्गिस मिनोचर आंतिया (वाली)

(अन्तरक)

(2) मे० श्रीनाथजी लैण्ड डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन की ओर से उसके सहियारी :—
(1) अजीतभाई नरसीभाई पटेल (2) चिमनलाल नरसीभाई पटेल (3) नरसीभाई गोविन्दजी पटेल (4) धनसुखलाल चुनीलाल लुहार (5) मणीलाल चुनीलाल जुडासमा (6) उत्तमलाल चुनीलाल मिस्त्री (7) पुषीनचन्द्र चुनीलाल चुडासमा सूरत

(अन्तरिती)

(3) श्री मगनलाल जीनाभाई पटेल, कंफरमींग पार्टी की हैसियत में, मालेसर, तंबोली शेरी, सूरत

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पुराने बांध काम सहित खुली जमीन जिसका नौंध नं० 1255/बी, फाइनल प्लाट नं० 4 पैकी कुल माप 335 वर्ग गज है तथा निमलियावाड, नानपुरा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3314 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 7 मई 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश नं० 377/ए० सी० क्यू-23-729/19-7/75-76—

अतः मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिस की सं० नौध नं० 1255/बी एफ० पी० नं० 4 वार्ड नं० 1 है, तथा जो निमलियावाड, नानपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 3 सितम्बर 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. (1) सर्वश्री दिनाज बेजानजी सिधवा
   (2) केतु बेजानजी सिधवा
   सिधवा बिल्डिंग 281, प्रिंसेस स्ट्रीट, बम्बई-2
   (3) नर्गिस मिनोचर आंतिया, 282, प्रिंसेस स्ट्रीट बम्बई ।
   (4) अस्पी मिनोचर आंतिया } अपने कुल मुख्तार :
   (5) बेहराम मिनोचर आंतिया } नर्गिस मिनोचर
   (6) बेसज मिनोचर आंतिया } आंतिया द्वारा
   (7) जारसिस मिनोचर आंतिया (सगीर) नर्गिस मिनोचर आंतिया द्वारा (वाली)

(अन्तरक)

2. मै० श्रीनाथजी लैण्ड डेवेलपमेंट कार्पोरेशन की ओर से उसके सहियारी :
   (1) अजीतभाई नरसीभाई पटेल (2) चिमनलाल नरसीभाई पटेल (3) नरसीभाई गोविंदजी पटेल (4) धनसुखलाल चुनीलाल लुहार (5) मणीलाल चुनीलाल चुडासमा (6) उत्तमलाल चुनीलाल मिस्त्री (7) प्रवीनचन्द्र चुनीलाल चुडासमा, सूरत । (अन्तरिती)

3. श्री मगनलाल जीनाभाई पटेल, कंफरमींग पार्टी की हैसियत में, मालेसर, तंबोली शेरी, नवसारी
   (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पुराने बांध काम सहित खुली जमीन जिसका नोंध नं० 1255/बी फाइनल प्लाट नं० 4 पैकी 334 वर्ग गज माप है तथा जो निमलियाबाड नानपुरा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3313 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 7 मई 1976
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद
अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश नं० 378/ए० सी० क्यू० 23-730/19-7/75-76—

अतः मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० नौध नं० 1255/बी एफ० पी० नं० 4 वार्ड नं० 1 है, तथा जो निमलियावाड, नानपुरा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 3 सितम्बर 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दिनाज़ बेजानजी सिधवा
(2) केतु बेजानजी सिधवा
सिधवा बिल्डिंग, 281, प्रिंसेस स्ट्रीट, बम्बई-2

(3) नर्गिस मिनोचर आंतिया } अपने कुल मुख्तार :
(4) अस्पी मिनोचर आंतिया } नर्गिस मिनोचर आंतिया
(5) बेहराम मिनोचर आंतिया } आंतिया द्वारा
(6) बेरुज़ मिनोचर आंतिया }
(7) जारसिस मिनोचर आंतिया (सगीर) नर्गिस मिनोचर आंतिया द्वारा (वाली)

2. मै० श्रीनाथजी लैण्ड डेवेलपमेंट कारपोरेशन की ओर से उसके सहियारी :—
(1) अजीतभाई नरसीभाई पटेल (2) चिमनलाल नरसीभाई पटेल (3) नरसीभाई गोविंदजी पटेल (4) धनसुखलाल चुनीलाल लुहार (5) मणीलाल चुनी लाल चुडासमा (6) उत्तमलाल चुनीलाल मिस्त्री (7) प्रवीनचन्द्र चुनीलाल चुडासमा, सूरत।
(अन्तरिती)

3. श्री मगनलाल जीनाभाई पटेल, कंफरमींग पार्टी की हैसियत में मालेसर, तंबोली शेरी, सूरत
(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पुराने बांध काम सहित खुली जमीन जिसका नौंध नं० 1255/बी फाईनल प्लाट नं० 4 पैकी कुल माप 257 वर्ग गज़ है तथा जो निमलियावाड, नानपुरा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3317 में प्रदर्शित है

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 7 मई 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निदेश नं० 379/ए० सी० क्यू० 23/731/6-1/75-76—

यत: मुझे, पी० एन० मित्तल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 150(का हिस्सा) है, जो 150 रेसकोर्स सर्कल, जे पुजारी होस्पीटल के सामने बड़ौदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 1908 का 16) के अधीन, दिनांक सितम्बर 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत : अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नटुभाई चतुरभाई पटेल और दीपकभाई नटुभाई पटेल 51-52 श्रीनगर सोसायटी, जेतलपुर बड़ौदा

(अन्तरक)

(2) श्रीमती लीलाबेन नटुभाई पटेल 51,52 श्रीनगर सोसायटी जेत्तलपुर बड़ौदा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सं० नं० 150 (का हिस्सा) कुलमाप 21384 वर्ग फुट तथा जो जेत्तलपुर सीम, रेसकोर्स सर्कल जे पूजारी के होस्पीटल के सामने बड़ौदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ौदा के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5447 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 7 मई 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269- घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निर्देश सं० 380/ए सी क्यु-23-732/13-1/75-76—

यतः मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 395 है, तथा जो विठल उद्योग नगर, ता० आनंद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आनंद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 29 सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार

मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मे० हिस्टील फास्टनर्स की ओर से उसके सहियारी : श्री सी० एच० अमीन, वल्लभविद्यानगर, आनंद। (अन्तरक)

2. मे० वल्लभ पेस्टीसाईडस मेन्युफेक्चरिंग कं० की ओर से उसके सहियारी : श्री एम० जे० देसाई, आई हास्पीटल के पास, आनंद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपत्ति का वह समस्त भाग जो सब प्लाट नं० एच-1 सब-प्लाट नं० एच सर्वे नं० 395 विठल उद्योग नगर में स्थित है जिसका कुल माप 3399 वर्ग फुट है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आनंद के 29 सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1400 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 7-5-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निर्देश सं० 381/ए सी क्यु-23-733/13-1/75-76 — यत: मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० नं० 395 है, जो विठल उद्योग नगर, ता० आनंद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आनंद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 क 16) के अधीन, दिनांक 30 सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मे० हिस्टील फास्टनर्स की ओर से उसके सहियारी श्री सी० एच० अमीन, वल्लभविद्यानगर, आनंद। (अन्तरक)

2. मे० वल्लभ पेस्टीसाईडस मेन्युफेक्चरिंग कं० की ओर से उसके सहियारी, श्री एम० जे० देसाई, हास्पीटल के पास, आनंद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सं० नं० 395 कुल माप 45675 वर्ग फुट तथा 41984 वर्ग फुट है तथा विठल उद्योगनगर, आनंद में स्थित है जैसा कि रजिस्टीकर्ता अधिकारी आनंद के 30 सितम्बर, 1975 के रजिस्टीकृत विलेख नं० 1372 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 7-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 7 मई 1976

निर्देश सं० 382/ए सी क्यू-23-734/6-1/75-76—

यतः मुझे, पी० एन० मित्तल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 79(हिस्सा) है, जो फतेह गंज, स्नेहल एपार्ट्मेन्टस के पास, बड़ोदा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ोदा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बरजोरजी बी० दलाल, फुल मुखत्तार श्री पी० डी० दलाल, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, फतेह गंज, बड़ोदा । (अन्तरक)

2. मे० स्टार बिल्डर्स, वहीवर कर्ता तथा भागीदार : श्री बी० आर० गुप्ता, रेड क्रास सोसायटी के पास, खारीवाव रोड, बड़ोदा । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं० 79 (हिस्सा) और कुल माप 4964 वर्गफुट है तथा जो फतेह गंज, स्नेहल एपार्ट्मेन्टस के पास बड़ोदा में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बड़ोदा के, सितम्बर, 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5074 में प्रदर्शित है ।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 7-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 18 मई 1976

निर्देश सं० 383/ए सी क्यु-23-670/19-7/75-76—यतः मुझे, पी० एन मित्तल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० नोंध नं० 4, प्लोट नं० 3 वार्ड नं० 13 है तथा जो अठवा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 30 सितम्बर, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती लीलावतीबेन, अंबालाल मानेकलाल शाह की विधवा, बिपिन चन्द्र अंबालाल शाह, अतुलभाई अंबालालशाह, दिनेश चन्द्र अंबालाल शाह, कुलमुखतार : लीलावती बेन, भाटीशेरी बेगमपुरा, सूरत। (अन्तरक)

2. (1) श्री नवीनचन्द्रए लियास बाबु लाल छगनलाल जरीवाला, (2) चन्द्रकुमार नवीनचन्द्र जरीवाला, श्रीमाली नगर, हार्कनेस रोड, (3) प्रकाश चन्द्र, अंबालालशाह बम्बई। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका नोंध नं० 4 प्लोट नं० 3 वार्ड नं० 13 है तथा कुल माप 835.3 वर्ग गज है तथा जो अठवा, सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत के सितम्बर 1975 के रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1813 में प्रदर्शित है।

पी० एन० मित्तल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक: 18-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 18 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यु०-23-I-1042(401)/1-1/75-76—यतः मुझे, जे० कथूरिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सब प्लाट नं० बी, फायनल प्लाट नं० 139, टी० पी० एस० नं०-16 है, जो गोमतीपुर रोड, रखीयाल, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 17 सितम्बर, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. एच० एम० इन्वेस्टमेंट प्रा० लि०, "शीतल" गोमतीपुर रोड, अहमदाबाद। (अन्तरक)

2. न्यू असाखा मेन्युफेक्चरिंग कं० लि०, "शीतल" गोमतीपुर रोड, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

4. पटेल मिल्स कं० लि० (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वह समस्त भूभाग जिसका क्षेत्रफल 4806 वर्ग गज है तथा जिसका सब प्लाट नं० बी०, एफ० पी० नं० 139, टी० पी० एस० नं० 16 है तथा जो मोजे रखीयाल, तालुका सिटी, अहमदाबाद में स्थित है तथा जो डिस्ट्रिक्ट, सब-डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद में रेजिस्टर किया गया है। तथा वह समस्त जगह, मकान, बिल्डिंग तथा स्ट्रक्चर जो "शीतल" थियेटर के नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसका सब प्लाट नं० बी/1, एफ० पी० नं० 139, टी० पी० एस० नं० 16 (रखीयाल) है तथा जो प्लाट तथा मशीनरी इत्यादि सहित है।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 18-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद
अहमदाबाद, दिनांक 18 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यू०-23-I-778(402)/1-1/75-76—

यतः मुझे, जे० कथूरिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 162/ए-2, टी० पी० एस० नं० 14, फायनल प्लाट नं० 203 है, जो दरीयापुर काजीपुर, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 23 सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बल्लूभाई कृष्णलाल मजूमदार, (2) श्रीमती लीलावती बेन लालभाई, शाही बाग, अहमदाबाद। (अन्तरक)

2. जय प्रेम को० ओप० हाउसिंग सोसायटी (प्रोपोज्ड) की ओर से : प्रोमोटर्स : (1) श्री सुरेशकुमार लक्ष्मीनारायण, न्यू क्लाथ मार्केट, अहमदाबाद। (2) श्री महेशकुमार द्वारकाप्रसाद, मार्फत : सुभाष चंद्र एण्ड ब्रदर्स, पुराना माधुपुरा, अहमदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक 3509 वर्ग गज भूमि वाला प्लाट जिसका बांध काम पिलिंथ तक किया गया है तथा जिसका सर्वे नं० 162/ए/2, फायनल प्लाट नं० 203, टी० पी० एस० नं० 14 है तथा जो दरीयापुर काजीपुर, अहमदाबाद में स्थित है।

जे० कथूरिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 18-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 18 मई 1976

निर्देश सं० ए० सी० क्यु-23-I-790(403)/1-1/75-76—यतः मुझे, जे० कथूरिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 433-2 (भाग) फायनल प्लाट नं० 24-बी, टी० पी० एस० नं० 12, है, जो असारवा, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 2 सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. दी कोमर्शियल मिल्स लि० नरोडा, रोड, अहमदाबाद । (अन्तरक)

2. अहमदाबाद कोट्टन वेस्ट मरचेंट्स को० आप० मार्केटिंग एन्ड वेयर हाऊसिंग सोसायटी (प्रोपोज्ड) अहमदाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या इससंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 16751 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 433-2 (भाग), फायनल प्लाट नं० 24/बी, टी० पी० एस० नं० 12, है तथा जो असारवा, अहमदाबाद में स्थित है ।

जे० कथूरिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 18-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4901/75-76/ए० सी० क्यू०/बी०—यतः मुझे, आर० कृष्णमूर्ति,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 15,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 72, 73, 74, 125 और 126 है, तथा जो गुडनहल्ली गांव, आनेकल तालूका, बंगलूर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आनेकल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 4 सितम्बर, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती महबूब बी, पत्नी श्री मोहम्मद उसमान शरीफ़ उर्फ बाबा होसपेट, आनेकल तालूक, बंगलूर जिला। (अन्तरक)।

2. ए० श्रीनिवास रेड्डी, सुपुत्र श्री एम० चिक्कप्पन्न रेड्डी, शेट्टीहल्ली, मरसूर (पो०) आनेकल तालूका, बंगलूर जिला। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् कार्यवाहियां द्वारा शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1532/75-76 दिनांक 4-9-75)

सूखी खेती जमीन—सर्वे नं० 72, 73, 74, 125 और 126, गुडनहल्ली गांव, आनेकल तालूका, कसबा हाब्ली, बंगलूर जिला में स्थित।

क्षेत्रफल : 18 एकड़ 07 गुण्टास

सीमाएं :—

पूर्व : मारप्पा की जमीन व सरकारी सड़क।

पश्चिम : जनबन्दे चिक्कनय्या की जमीन।

उत्तर : येलल्पा की जमीन तथा नागप्पा व रामय्या की

दक्षिण : येलल्पा, मारप्पा व चिक्कन्नप्पा की जमीन।

आर० कृष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 8-4-1976

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4903/75-76/ए० सी० क्यु०/बी०—यतः मुझे, आर० कृष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 65 है, तथा जो कृष्णराजपुरम एक्सटेंशन, बंगलूर सौथ तालूका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंगलूर सौथावालूका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 18 सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बी० एस० नंजण्डय्या, सुपुत्र श्री बी० श्रीकण्ठय्या, नं० 335/1 कृष्णराजपुरम, बंगलूर-36। (अन्तरक)

2. श्री एम० ए० नारायण रेड्डी, सुपुत्र स्व० आंजनेय रेड्डी, मालूर टाउन मालूर तालूका, कोलार जिला। (अन्तरिती)

3. सर्वश्री (1) बी० पी० उखले, (2) पी० सुब्बरत्नम, (3) वै० ई० आनन्द, (4) प्रेम कुमार (5) चेलवराज (वह, व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद् द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2764/75-76 दिनांक 18-9-75)
गृह नं० 65—कृष्णराजपुरम एक्सटेंशन, बंगलूर
अवस्थान क्षेत्रफल : पूर्व से पश्चिम : 44 फुट, उत्तर से दक्षिण : 60 फुट, } 2640 वर्ग फीट
गृह क्षेत्र : 14 स्कोयर्स }
सीमाएं :—
पूर्व : श्रीमती राहत आरा बैगम की अहाता दीवार।
पश्चिम : सड़क
उत्तर : कोण्सर्वेन्सी जमीन
दक्षिण : प्रधान सड़क

आर० कृष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 8-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 13 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4904/75-76/ए० सी०क्यू०/बी०—यतः मुझे, आर० कृष्णमूर्ति आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 36 है, तथा जो अवलहल्ली गांव, उत्तरहल्ली होब्ली, बंगलूर साउथ तालुका में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बंगलूर साउथ तालुका में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 20 सितम्बर, 1975 को बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शारदम्मा विधवा स्व० बी० जयराम, अवलहल्ली गांव, उत्तर हल्ली होब्ली, बंगलूर साउथ तालुका (अन्तरक)

2. (1) मे० अलॅपैड इन्डस्ट्रियल प्रोडक्टस (पी) लिमिटेड श्री कृष्णा बिल्डिंग्स, अवन्यू रोड, बंगलूर-2 प्रतिनिधि : श्री जे० सुरेन्द्र रेड्डी सुपुत्र स्व० बी० जयराम नं० 54 बासप्पा क्रास रोड, शान्तिनगर, बंगलूर-27। (2) श्री० जिआउल्ला मेक्की, सुपुत्र एम० अरीफुल्ला मेक्की नं० 49 खासी स्ट्रीट, बसवगुडी, बंगलूर-4 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

[दस्तावेज सं० 2772/75-76 दिनांक 20-9-75]

जमीन—2 एकड़ (8102 वर्ग मीटर्स)—सर्वे नं० 36 अवलहल्ली गांव, उत्तरहल्ली होब्ली, बंगलूर साउथ तालुका में स्थित

पूर्व : बंगलूर-अमृतनगर टॉक बंड रोड

पश्चिम : सर्वे नं० 40 व 41

उत्तर : सर्वे नं० 36 का भाग जो बेचने वाले की है

दक्षिण : —— ,, ——

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

दिनांक : 13-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 13 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4910 (ए)/75-76/एक्यु०/बी०—यतः, मुझे, आर० कृष्णमूर्ति, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० है, तथा जो हसरुवल्ली गांव, त्यामगोंडलू हाब्ली, नीलमंगला तालुका बंगलूर जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नीलमंगला तालूका, बंगलूर जिला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 16-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा 1 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हाजी एम० अब्दुल हाफिज़ साब पुत्र साहुकार मोहम्मद साब, त्यामगोण्डल होब्ली, नीलमंगला तालुका, बंगलूर जिला। (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती हाजी मेहरुन्निसा बेगम पत्नी हाजी मेहबुल्ला शरीफ़।

(2) श्री नरमुल्ला शरीफ़,

(3) श्री सराफरजुल्ला शरीफ़ पुत्रान हाजी मेहबुल्ला शरीफ़, नं० 62/1 स्टीफेन्स रोड, फ्रेजर टाउन, बंगलूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1778/75-76 ता० 16-9-75)

खेती जमीन—20 एकड़ 15 गुण्टास व 24 एकड़ 38 गुण्टास (45 एकड़ व 13 गुण्टास)—सर्वेण नं० 135 व 134 हसरुवल्ली गांव, त्यामगोण्डल होब्ली, नीलमंगला तालुका, बंगलूर जिला में स्थित।

सीमाएं नं० 135 : पूर्व : श्री बालय्या की ज़मीन।
पश्चिम : श्री शीतकल्ला नंज्जुडय्या की।
दक्षिण : श्री सुब्बारायन की ज़मीन।
उत्तर : सड़क।

सीमाएं नं० 134 : पूर्व : श्री बालय्या की ज़मीन।
उत्तर : श्री दास नायक की जमीन।
पश्चिम : सड़क।
दक्षिण : बरदियल्ले।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 13-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अप्रैल, 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4914/75-76/एक्यू०/बी०—

यतः, मुझे, आर० कृष्णमूर्ति,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 18 (नया नं० 10/1) है, तथा जो 2 क्रास रोड़, राणोजीराव रोड़, बंसवंगुडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बसवंगुडी, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 1-9-1975

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे

यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती ताराबाई देवदासन पत्नी स्व० एस० एम० देवदासन

(2) श्रीमती गीता वाणी देवदासन

(3) श्रीमती सुधा देवदासन

(4) श्रीमती कान्ता देवदासन

(5) श्रीमती शीला देवदासन

(सब श्रीमती ताराबाई देवदासन की पुत्रियां हैं) 10/1 22, क्रास रोड, राणोजीराव रोड, बसवनगुडी, बंगलूर-4। (अन्तरक)

2. श्री डी० टी० सुन्दर पुत्र स्व० श्री डी० टी० एस० अय्यंगार नं० 43 IV ब्लाक, जयनगर, बंगलूर-11। (अन्तरिती)

3. श्री अहमद सीट टायर्स आफ इण्डिया बंगलूर। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1950/75-76 ता० 1-9-75)

कोने का भूखण्ड गृह सहित पुराना नं० 18, नया नं० 10/1, II क्रास रोड, राणोजी राव रोड, बसवंगुडी, बंगलूर-4।

अवस्थान क्षेत्रफल :

पूर्व से पश्चिम : 50′
उत्तर से दक्षिण : 60′ } 3000 वर्गफीट

गृह क्षेत्र : निचली मंजिल : करीब 1300 वर्गफीट

पहली मंजिल : करीब 1100 ,,

सीमाएं : पूर्व : श्रीमती हेमा सोप्स का गृह।

पश्चिम : सड़क।

उत्तर : श्रीमती हेमा सोप्स का गृह।

दक्षिण : सड़क।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-4-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 24 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4944/75-76/एक्यु०/बी०—

यतः, मुझे, आर० कृष्णमूर्ति,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 13-2-58 (पुराना नं० 13-767) है, तथा जो 13 मार्केट वार्ड, कसबा बाजार, मंगलूर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 18-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चन्नप्पा के० शेट, जमींदार, पुत्र कोरगप्पा, हम्मनकट्टा मंगलूर शहर। (अन्तरक)

2. श्री बी० विट्ठोबा नागवेकर, पुत्र स्व० बी० शिवन्ना शेट साझेदार :—मैं० न्यू कोमला स्वीटस स्टाल हम्पनकट्टा, मंगलूर। (अन्तरिती)

3. मैं० न्यू कोमला स्वीट स्टाल (कोमला रेड रोस) (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 681/75-76 ता० 18-9-1975)

संपत्ति—मूलि अधिकार पर—13 मार्केट वार्ड, कसबा बाजार गांव, मंगलूर तालुक, मंगलूर शहर, दक्षिण कन्नड़ जिला में स्थित।

आर० एस० नं०	टी० एस० नं०	किस्म
584	1999	बगीचा
590-2	198-2	पुंजा
भाग	परिधि	निर्धारण
पूर्वार्द्ध	2 3/4 गुण्टास	25 पै
पश्चिम	1/14 गुण्टास	12 पै

ऊपरी संपत्ति, एक साथ मिली हुई, खपरैल वाला मकान सहित नं० 13-767—नया नं० 13-2-58 उसमें अंकित अन्य संपत्ति सहित व अधिकारों के साथ निम्न सीमा के साथ :—

उत्तर : साधारण रास्ता।

दक्षिण : मार्केट रोड।

पूर्व : श्रीमती लीलावती का ब्रोकफील्ड मकान।

पश्चिम : हेमावती की संपत्ति।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 24-4-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 23 अप्रैल, 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4945/75-76/एक्यु०/बी०—

यतः मुझे आर० कृष्णमूर्ति,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 9-521 (नया नं० 9-9-519) है, तथा जो जे० एम० रोड़, कसबा बाजार गांव, मंगलूर में स्थित है) (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 19-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पतु उर्फ खातूनु, पुत्री मोनु उर्फ मोहम्मद बाबा व पत्नी एम० उमर, ओल्ड केंट रोड़, मंगलूर-1। (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती भानुबेन आर० पटेल पत्नी श्री जे० बी० पटेल, साझेदार, मै० संदीप एंटरप्रैसस, नं० 9-521 (नया नं० 9-9-519), जे० एम० रोड़, मंगलूर

(2) श्रीमती गविलाबेन आर० पटेल पत्नी श्री आर० आर० पटेल, साझेदार मै० एस० विट्ठलदास एन्ड कम्पनी, बंदर, मंगलूर-2। (अन्तरिती)

3. मै० नटवरलाल जयन्तिलाल अन्ड कम्पनी, सुपारी व्यापारी, बंदर, मंगलूर। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 692/75-76 दि० 19-9-75)

अनखेती स्थावर संपत्ति, मूली अधिकार पर, कसबा बाजार गांव, बंदर वार्ड, मंगलूर टाउन, दक्षिण कन्नड़ जिला में स्थित :—

आर० एस० नं०	टी० एस० नं०	किस्म
I 1270/बी० 2	261/ बी० 2	बागायत
II 1271	262	,,

भाग	परिधि	निर्धारण
दक्षिण-पूर्व	1 गुण्टा	0.81 पै०
पश्चिम	5 गुण्टास	0.97 पैसे

उपर्युक्त दो संपत्तियां एक साथ 6 सेंट्स या 2610 वर्गफीट या 242 वर्ग मीटर्स—खपरैल वाला मकान—नं० 9-521 (नया नं० 9-9-519) निर्धारण नं० 25508, स्नानगृह, पाखाना, कुंआ, पेड़ पौधे व अन्य संपत्तियां सहित।

सीमा आर० एस० नं० I :

उत्तर : बंटवारा करण के डी० अनुसूची में दिया भूखण्ड।
पूर्व : अनुसूची सी० में दिया भूखण्ड।
दक्षिण : सर्वे रेखा
पश्चिम : सड़क

सीमा आर० एस० नं० II :

उत्तर : सर्वे रेखा
पूर्व : सी० अनुसूची में दी संपत्ति
दक्षिण : सर्वे रेखा
पश्चिम : सड़क।

गृह क्षेत्र : निचली मंजिल : 2056 वर्गफीट या 190 वर्ग-मीटर्स।

पहली मंजिल : 827 1/2 वर्गफीट या 81 वर्ग मीटर्स।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 23-4-1976
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4948/एक्यु०/बी०/75-76—यतः मुझे आर० कृष्णमूर्ति,

अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 4 (पुराना नं० 7) 1/3 भाग है, तथा जो रोगेर्स रोड, रिचेर्ड्स टाउन, बंगलूर में स्थित है (और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजीनगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 17-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री अशोका चाट्टर्जी
(2) रोमिर चाटर्जी
(3) पेमीला चाट्टर्जी
(4) मिरै चाट्टर्जी
(5) प्रिया चाट्टर्जी, प्रतिनिधि अधिकारी 1 व 2 का श्रीमती रोमिला चाट्टर्जी रक्षाकर्ता (4) व (5) का श्रीमती पमीला चाट्टर्जी नं० 39 लावेले रोड, बंगलूर। (अन्तरक)

2. श्री के० एच० अब्दुल मजीद व श्रीमती के० एच० सुबेदा मजीद नं० 4 कन्दस्वामी मुदलियार रोड, रिचेर्ड्स टाऊन बंगलूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1926/75-76 ता० 17-9-75)

कोने में स्थित अवस्थान 1/3 भाग—गृह नं० 4 (पुराना नं० 7) रोगेर्स रोड, रिचेर्ड्स टाउन, बंगलूर का।

अवस्थान क्षेत्रफल : पूर्व से पश्चिम : 46'
उत्तर से दक्षिण : 70' } 3220 वर्गफीट

सीमाएं : पूर्व : रोगेर्स रोड़
पश्चिम : गृह नं० 4 (पुराना नं० 7) का भाग
उत्तर : कन्दस्वामी मुदलियार रोड
दक्षिण: गृह नं० 5 रोगेर्स रोड

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर,

तारीख : 9-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4954/75-76/एक्यू०/बी०---यतः मुझे आर० कृष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 109 है, तथा जो डिफेन्स कालोनी, 2nd मैन रोड़, IV क्रास, ,बंगलूर 38 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-9-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई

है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्री ले० कर्नल सि० आर० एस० मूर्ति पुत्र स्व० सी० बी० राम राव, नं० 656 IV T ब्लाक जयनगर, बंगलूर-II। (अन्तरक)

2. श्री ए० बी० मदन मोहन राय पुत्र स्व० श्री ए० जी० विल्ला राय नं० 109 डिफेन्स कालोनी, 2 मैन, 4 क्रास इन्दिरा नगर, बंगलूर-38। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1979/75-76 ता० 20-9-75)

गृह नं० 109 डिफेन्स कालोनी, 2 मैन रोड़, 4 क्रास भिन्नमंगला ले आउट, इन्दिरा नगर, बंगलूर।

अवस्थान क्षेत्रफल : पूर्व से पश्चिम : 90' } 5400 वर्ग फीट
उत्तर से दक्षिण : 60' }

गृह क्षेत्र : निचली मंजिल : 1327 वर्ग फीट
पहली मंजिल : 608 ,,
गैरेज : 200 ,,

सीमाएं :—
पूर्व : सड़क
पश्चिम : अवस्थान नं० 101
उत्तर : ,, नं० 110
दक्षिण : ,, नं० 108

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 9-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4963/75-76/एक्यु० /बी०—यत: मुझे, आर० कृष्णमूर्ति,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3 (पुराना) 3, 3ए (नया) है, तथा जो होस्पिटल रोड क्रास, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शिवाजी नगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्री बिजय कुमार कपूर पुत्र मोहनलाल कपूर, नं० 45 ग्रान्ट रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर। (अन्तरक)

2. (1) मन्सूर अहमद पुत्र स्व० हाजी अब्दुल खुद्दूस

(2) श्रीमती बी० अबीदुन्नीसा बेगम पत्नी बी० मोहम्मद सनाउल्ला साहब

(3) श्रीमती श्यामसुन्नीसा बेगम पत्नी बी० मोहम्मद नुरुल्ला साहेब नं० 3 होस्पिटल रोड क्रास, सिविल स्टेशन, बंगलूर। (अन्तरिती)

3. श्री तेजुमल किशनचन्द मोयिनानी (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2065/75-76 ता० 29-9-75)

गृह पुराना नं० 3, नया नं० 3 व 3ए, होस्पिटल रोड क्रास, बंगलूर में स्थित।

अवस्थान क्षेत्रफल : 2650 वर्ग फीट (निचली मंजिल)

2425 ,, (पहली मंजिल)

सीमाएं :—पूर्व : अस्पताल रोड क्रास

पश्चिम : गीता देविस हाउस

उत्तर : जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्डस् दूकानें।

दक्षिण : पुराना नं० 2, अस्पताल रोड क्रास जो जकारिया मर्तीन सैट की है।

आर० कृष्णमूर्ति,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 9-4-1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 13 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/4982/75-76/एक्यु०/बी०—यतः मुझे, आर० कृष्णमूर्ति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 1/1/14 है, तथा जो 1 ब्लाक, ईस्ट बैरसान्द्रा II क्रास, जयनगर, बंगलूर-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयनगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 25-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० नारायणप्पा
   (2) एम० वेंकटेश
   (3) एम० अनन्तमूर्ति
   (4) एम० अश्वत्थन पुत्र स्व० मुनिस्वामप्पा । नं० 309 X क्रास, विल्सन गार्डन (डिवीजन नं० 26) बंगलूर । (अन्तरक)

2. श्री के० बी० चिक्कण्णा पुत्र स्व० वेंकटरमणप्पा नं० 386/9, 14 क्रास, VI मैन, लक्कसान्द्रा एक्सटेंशन (डिवीजन नं० 36), बंगलूर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 1965/75-76 दि० 25-9-75)

कोने का खाली अवस्थान नं० $^{1}/_{1}$/14-I ब्लाक ईस्ट बैरसान्द्रा II क्रास (डिवीजन नं० 35), जयनगर, बंगलूर-11।

अवस्थान क्षेत्रफल : पूर्व से पश्चिम : 30' } 2190 वर्गफीट
उत्तर से दक्षिण : 73' }

सीमाएं :—पूर्व : सी० आई० टी० बी० बोर्ड
पश्चिम : हमारा घर अहाता
उत्तर : II क्रास रोड
दक्षिण: III क्रास रोड ।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 13-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 9 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/4985/75-76/एक्यु०/बी०—यतः मुझे, आर० कृष्णमूर्ति

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 12 (पुराना नं० 27/1) है, तथा जो कण्णिगम रोड़, बंगलूर-1 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्रीमती सुलोचना इन्दुलाल मजुंदार पत्नी स्व० इन्दुराय मजुंदार

(2) श्री रवि मजुंदार पुत्र आर० के० मजुंदार दोनों बरोड़ा में रहने में वाले हैं।

प्रतिनिधि: यामिनी बाई रेसेन्द्रहाई मजुंदार (वै० आर० मजुंदार, 26 ग्रांट रोड, बंगलूर। (अन्तरक)

2. (1) गिर्धारी दास पुत्र श्रीमती करमचन्द छब्रिया (परिवार के मार्फत) कर्ता की हैसियत से।

(2) गिरिधारी दास पुत्र करमचन्द्र छब्रिया।

(3) श्रीमती जानकी बाई पुत्र गिरिधारी दास छब्रिया

(4) अमरलाल पुत्र गिरिधारी दास छब्रिया।

(5) लालचन्द्र पुत्र करमचन्द छब्रिया (कर्ता की हैसियत से परिवार के मार्फत)

(6) लालचन्द पुत्र करमचन्द छब्रिया

(7) निर्मला बाई पत्नी लाल चन्द छब्रिया नं० 27/1 या नया नं० 12 काण्णिगम रोड़, बंगलूर। (अन्तरिती)

3. श्री लालचन्द करमचन्द छब्रिया—अमर राजेश अण्ड कम्पनी। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2334/75-76 ता० 17-9-75)

दो मंजिला वाला मकान "गोल्फ व्यू"—नया नं० 12—(पुराना नं० 27/1), कण्णिगम रोड़, बंगलूर-1

अवस्थान क्षेत्रफल : पूर्व से पश्चिम : 100' } 7500 वर्ग फीट
उत्तर से दक्षिण : 75' }

गृह क्षेत्र : निचली मंजिल : 3465 वर्ग फीट
पहली मंजिल : 3165 ,,

सीमाएं :—उत्तर : पुराना अवस्थान नं० 11/17 संकी रोड़ जो रिजर्व बैंक के निवासस्थान है।

दक्षिण : कण्णिगम रोड़।

पूर्व : गृह नं० 27/जे० कण्णिगम रोड़, बंगलूर।

पश्चिम : गृह नं० 27/एच० कण्णिगम रोड, बंगलूर।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 9-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 8 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी०आर० 62/4993/75-76/एक्यु०/बी०—

यतः मुझे आर० कृष्णमूर्ति,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 79-18 है, तथा जो गायत्री देवी पार्क एक्सटेंशन बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधी नगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 26-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए

अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री के० एन० केम्पन्ना पुत्र श्री नारायणस्वामी नं० 442 मिडिल स्कूल रोड़, विश्वेश्वरपुरम, बंगलूर-4।

(अन्तरक)

2. श्री बी० मारियप्पा पुत्र श्री बसवय्या मालिक: जयलक्ष्मी आटो गरेज, पैप लाइन रोड़ के नजदीक, यशवन्तपुरम, बंगलूर-22। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2465/75-76 ता० 26-9-75)

खाली कोने का भूखण्ड नं० 559-18 गायत्री देवी पार्क एक्सटेंशन बंगलूर (डिवीजन नं० 5) में स्थित।

अवस्थान क्षेत्रफल : पूर्व से पश्चिम : 54' / उत्तर से दक्षिण : 58' } 3132 वर्ग फीट

सीमाएं :—पूर्व : अवस्थान नं० 79।

उत्तर : अवस्थान नं० 55।

दक्षिण : सड़क।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 8-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 13 अप्रैल 1976

निर्देश सं० सी० आर० 62/5023/75-76/एक्यू०/बी०—

यतः मुझे, आर० कृष्णमूर्ति,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 13 (पुराना नं० 12/1) है, जो रिछमंड रोड, सिविल स्टेशन, बंगलूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिवाजी नगर, बंगलूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन ता० 26-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

1. श्री कर्नल रोबर्ट चार्लस पुरवेस देवार पुराना नं० 5/2, नया नं० 4, कोण्वेंट रोड, बंगलूर। (अन्तरक)

2. श्रीमती डोरीन लोना पुरवेस देविस पत्नी ले० कर्नल एच० डब्ल्यू० देविस नं० 13 नोरिस रोड, रिछमंड टाउन, बंगलूर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2098/75-76 ता० 26-9-75)

1/4 भाग गृह नं० 13 नोरिस रोड, रिछमंड टाउन (पुराना नं० 12/1) सिविल स्टेशन, बंगलूर (डिवीजन नं० 60)

अवस्थान क्षेत्रफल : उत्तर : 61'.7"
दक्षिण : 69'.6"
पूर्व : 96'.5"
पश्चिम : 96'.6"
} 7000 वर्ग फीट

गृह क्षेत्र : 2000 वर्ग फीट।

सीमाएं :—उत्तर : नं० 38 व 39 वेलिंगटन स्ट्रीट
दक्षिण : वेलिंगटन स्ट्रीट क्रास (मर्डर लेन)
पूर्व : 37 वेलिंगटन स्ट्रीट
पश्चिम : 12 नोरिस रोड।

आर० कृष्णमूर्ति
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 13-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई 1976

निदेश सं० रिवाड़ी/1608/75-76:—यतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सरकुलर रोड़ पर गिर्जा घर के नजदीक स्थित एक मकान और इसके पीछे की खुली भूमि है तथा जो रिवाडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रिवाड़ी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (i) श्रीमती शकुन्तला देवी विधवा श्री नेमी चन्द जैन,
(ii) श्रीमति सवित्री देवी } पुत्रियां
(iii) श्रीमति ऊषा देवी } श्री नेमी चन्द जैन
निवासी रिवाडी, जिला महिन्द्रगढ़ ।

(अन्तरक)

2. डा० रमेश चन्द, ध्याना, पुत्र डा० रामजस ध्याना, निवासी गुरद्वारा रोड़, रिवाड़ी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिवाड़ी में सरकुलर रोड़ पर गिर्जा घर के नजदीक स्थित एक मकान और उस के पीछे की खुली भूमि ।

उत्तर:—गिर्जा घर ।

दक्षिण:—बेचने वाले की संपत्ति ।

पूर्व:—सरकुलर रोड़ ।

पश्चिम :—रेलवे लाईन सीमा ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1133 सितम्बर 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रिवाड़ी के कार्यालय में लिखा है ।

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी
चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई 1976

निदेश सं० रिवाड़ी/1609/75-76:—अतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम,
1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सरकुलर रोड़ पर गिर्जाघर के नजदीक स्थित एक मकान और उस के पीछे की खुली भूमि है तथा जो रिवाड़ी में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रिवाड़ी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (i) श्रीमति शकुंतला देवी, विधवा श्री नेमी चन्द जैन,
(ii) श्रीमति सवित्री देवी, } पुत्रियां
(iii) श्रीमति ऊषा देवी, } श्री नेमी चन्द जैन
निवासी रिवाड़ी, जिला महिन्द्रगढ़ ।

(अन्तरक)

2. श्री सुभाश चन्द, पुत्र डा० रामजस भ्याना, निवासी गुरद्वारा रोड़, रिवाड़ी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

रिवाड़ी में सरकुलर रोड़ पर गिर्जा घर के नजदीक स्थित एक मकान और उस के पीछे की खुली भूमि ।

उत्तर:—गिर्जा घर ।
दक्षिण:—बेचने वाले की सम्पत्ति ।
पूर्व:—सरकुलर रोड़ ।
पश्चिम:—रेलवे लाईन सीमा ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1133 सितम्बर, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रिवाड़ी के कार्यालय में लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी०

चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई 1976

निदेश सं० रिवाड़ी/1610/75-76:—यतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सरकुलर रोड पर गिर्जा घर के नजदीक स्थित एक मकान और उस के पीछे की खुली भूमि है तथा जो रिवाड़ी, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रिवाड़ी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उस से बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमति शकुंतला देवी, विधवा श्री नेमी चन्द, जैन,
(2) श्रीमति सवित्री देवी } पुत्रियां
(3) श्रीमति ऊषा देवी } श्री नेमी चन्द जैन,
निवासी रिवाड़ी, जिला महिन्द्रगढ़ ।

(अन्तरक)

2. श्री अशोक कुमार भ्याना, पुत्र डा० रामजस भ्याना, निवासी गुरुद्वारा रोड, रिवाड़ी ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

रिवाड़ी में सरकुलर रोड पर गिर्जा घर में नजदीक स्थित एक मकान और उस के पीछे की खुली भूमि ।

उत्तर:—गिर्जा घर ।

दक्षिण:—बेचने वाले की सम्पत्ति ।

पूर्व:—सरकुलर रोड ।

पश्चिम:—रेलवे लाईन सीमा ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1135 सितम्बर, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी रिवाड़ी के कार्यालय में लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई 1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़
156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई 1976

निदेश सं० रिवाड़ी/1611/75-76:—यतः, मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सरकुलर रोड पर गिर्जा घर के नजदीक स्थित एक मकान और उस के पीछे की खुली भूमि है तथा जो रिवाड़ी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रिवाड़ी, में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्रीमति शकुंतला देवी, विधवा श्री नेमी चन्द, जैन,
(2) श्रीमति सवित्री देवी } पुत्रियां
(3) श्रीमति ऊषा देवी } श्री नेमी चन्द जैन,
निवासी रिवाड़ी, जिला महिन्द्रगढ़ ।
(अन्तरक)

2. डा० सुरेन्द्र कुमार भ्याना, पुत्र डा० रामजस भ्याना, निवासी गुरद्वारा रोड, रिवाड़ी ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिवाड़ी में सरकुलर रोड पर गिर्जा घर के नजदीक स्थित एक मकान और उस के पीछे की खुली जमीन ।

उत्तर:—गिर्जा घर ।
दक्षिण:—बेचने वाले की सम्पत्ति ।
पूर्व:—सरकुलर रोड ।
पश्चिम :—रेलवे लाईन सीमा ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 1136, सितम्बर, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, रिवाड़ी के कार्यालय में लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई 1976

निदेश सं० बहादुरगढ़/1516/75-76:—यतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रू० से अधिक है और जिसकी सं० फैक्ट्री प्लाट नं० 12, 11, 10 और 9 का भाग है तथा जो मोडर्न इन्डस्ट्रीयल स्टेट, बहादुरगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बहादुरगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री चेतन दास अहुजा, पुत्र श्री तेज भान, तथा उसके पुत्र सर्वश्री जगन्नाथ, दवेन्द्र आहूजा और डोगरमल, 1-सी०/15, रोहतक रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० इन्डीयन रैफरीजरेशन, इन्डस्ट्रीज 7/115, कीर्ति नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फैक्ट्री प्लाट नं० 12, 11, 10 और 9 का भाग माडर्न इन्डस्ट्रीयल स्टेट, बहादुरगढ़।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 785, सितम्बर, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बहादुरगढ़ के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,

156, सैक्टर 9-बी०, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई 1976

निर्देश सं० लुधियाना/सी०/1440/75-76:—यतः, मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज चण्डीगढ़ ।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 79-के, है तथा जो सराभा नगर, लुधियाना, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमर सिंह, पुत्र श्री सीरा सिंह, निवासी गांव सुनेत त० और जिला लुधियाना ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती कुलवन्त कौर पत्नी श्री हरभजन सिंह, झाऊ गंज पटना (बिहार) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 79-के, सराभा नगर लुधियाना ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 4953, सितम्बर, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है) ।

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई, 1976

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज,
156, सैक्टर 9-बी०चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई, 1976

निदेश सं० लुधियाना/सी०/1446/75-76:—यतः, मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो गांव पीरू बंदा लुधियाना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लुधियाना, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के

उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (i) श्री कुलवन्त सिंह, पुत्र श्री दर्शन सिंह,
   (ii) श्रीमति दतार विधवा श्री दर्शन सिंह,
   (iii) श्रीमति अमरजीत कौर, पुत्री श्री दर्शन सिंह, निवासी दीप नगर, लुधियाना ।

(अन्तरक)

2. श्रीमति राम दुलारी, पत्नी श्री बनारसी दास, एडवोकेट, घुमार मण्डी, लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि जोकि गांव पीरू बंदा, (दीप नगर, आर्या स्कूल के पीछे बूढे नाले के साथ लुधियाना) में स्थित है।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 5176 सितम्बर 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता के अधिकारी लुधियाना के कार्यालय में लिखा है।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई, 1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज,

156, सैक्टर 9-बी०, चण्डीगढ़

चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई 1976

निर्देश सं० जगराओं/1183/75-76:—यतः, मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि 31 कनाल 17 मरले है तथा जो गांव अगवाड़ गुजरां, तहसील जगराओं में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराओं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों), और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सौदागर सिंह, पुत्र श्री चनन सिंह, निवासी गांव अगवाड़ गुजरां, तहसील जगराओं, जिला लुधियाना ।

(अन्तरक)

2. सर्व श्री

(i) कुलवन्त सिंह
(ii) कुलदीप सिंह
(iii) गुरचरन सिंह
(iv) परमजीत सिंह
(v) लखबीर सिंह

} पुत्रान श्री गुरदेव सिंह

निवासी (कोठे वगु) अगवाड़ गुजरां, तहसील जगराओं, जिला लुधियाना ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि 31 कनाल 17 मरले जोकि गांव अगवाड़ गुजरां, तहसील जगराओं, जिला लुधियाना में स्थित है ।

खता नं० 1169/1239, 1396/1479, आयत नं० 11 किला नं० 15-7-13-14 सालम और किला नं० 16/1 (6 कनाल 4 मरले) किला नं० 17 (6 कनाल 4 मरले) किला नं० 18 (5 कनाल 19 मरले) जमाबन्दी साल 1969-70 ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3235, सितम्बर 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जगराओं के कार्यालय में लिखा है ।

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई, 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156 सैक्टर 9-बी०

चण्डीगढ़, दिनांक 11 मई, 1976

निर्देश सं० जगराओं/1184/75-76:—यत: मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि 23 कनाल 10 मरले गांव अगवाड़ गुजरां तहसील जगराओं में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जगराओं में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बलवन्त सिंह पुत्र श्री चन्दा सिंह, निवासी गांव अगवाड़ गुजरां, तहसील जगराओं ।

(अन्तरक)

2. (i) श्रीमति महिन्द्र कौर, पत्नी श्री मुख्त्यार सिंह,
(ii) श्री हरविन्द्र सिंह } पुत्र श्री मुखतार सिंह
(iii) श्री सतवंत सिंह }
निवासी (कोठे शेरगंज) अगवाड़ गुजरां, तहसील जगराओं जिला लुधियाना ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 23 कनाल 10 मरले जोकि गांव अगवाड़ गुजरां, तहसील जगराओं जिला लुधियाना में स्थित है ।

खाता नं० 1382/1466, आयत नं० 35, किला नं० 14–15 16/1 और किला नं० 6/2 मिन दक्षण, किला नं० 7/1, मिन दक्षण, जमाबन्दी साल 1969-70 ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3354 सितम्बर 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जगराओं के कार्यालय में लिखा है) ।

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 11 मई, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी,

चण्डीगढ़, दिनांक 12 मई, 1976

निदेश सं० करनाल/1026/75-76:—यतः मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० रनधीर गली में इमारत और प्लाट नं० 6 है तथा जो करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सितम्बर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)के अधीन, तारीख सितम्बर 1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. दी करनाल कैथल कोआप्रेटिव ट्रांसपोर्ट सोसायटी लिमिटेड द्वारा बाबा ज्ञान सिंह, पुत्र बाबा नानक सिंह, डाइरेक्टर, करनाल ।

(अन्तरक)

2. स० हरपरीत सिंह मालिक पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह मलिक, 190-सी० माडल टाऊन करनाल ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

इमारत और प्लाट नं० 6, रनधीर गली, करनाल ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 3551 सितम्बर, 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी करनाल के कार्यालय में लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 12 मई, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

156, सैक्टर 9-बी

चण्डीगढ़, दिनांक 12 मई, 1976

निर्देश सं० सोनीपत/1084/75-76:—यतः, मुझे, विवेक प्रकाश मिनोचा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, चण्डीगढ़,

आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि और फैक्टरी/इमारत है तथा जो रसोई, जिला सोनीपत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सोनीपत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मै० जसबरो एण्ड कम्पनी रसोई (रजिस्टर्ड) गांव रसोई, जिला सोनीपत ।

(अन्तरक)

2. मै० जसबरो कम्पनी दिल्ली (रजिस्टर्ड) गांव रसोई, जिला सोनीपत ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि, जिस का खसरा नं० 5/24, 25 14/4/1 5-16 7-12 1—7 है गांव रसोई, जिला सोनीपत फैक्टरी ईमारतों के सहित ।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत के विलेख नं० 2274 सितम्बर 1975 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सोनीपत के कार्यालय में लिखा है ।)

विवेक प्रकाश मिनोचा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, चण्डीगढ़

तारीख : 12 मई, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/617— यत:, मुझे, वी० के० सिन्हा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है, जो सागर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सागर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-9-75 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. श्रीमती जगरानी बाई बेवा पत्नि बालमुकुन्द पटेल रामपुरा वार्ड, सागर ।

(अन्तरक)

2. श्री दुली चन्द्र पुत्र कानता प्रसाद खरीक चकरा घाट, सागर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट ख० नं० 1781 जो कि रामपुरा वार्ड सागर में स्थित है ।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 24-4-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/618—
यतः, मुझे, वी० के० सिन्हा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो पिपरिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पिपरिया में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-9-75
को पूर्वोक्त सम्पत्ति
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती डा० शशिकला सिन्हा पत्नि रमेश चन्द्र निवासी, अकोला।

(अन्तरक)

2. श्री प्रेम कुमार पुत्र हरी सिंह ग्यानी निवासी खापर खेड़ा, तह० सहागपुर, जिला होशंगाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

तीन मंजिल मकान म० नं० 126 से 128/1 तक, जोकि सादिया रोड़, अशोक वार्ड, पिपरिया में स्थित है ।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28 अप्रैल 1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल, 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्सी/भोपाल/76-77/618—यतः मुझे, बी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, जो बालाघाट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बालाघाट में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-9-75 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री सिद्धकरन (2) जयचन्द्र (3) रिषम दास (4) चन्द्र प्रकाश (5) अभय कुमार, निवासी वार्ड नं० 9 बालाघाट ।

(अन्तरक)

2. श्री सूरज भवन थेरीटिबल ट्रस्ट बाला घाट ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान जो कि वार्ड नं० 9 बालाघाट में स्थित है ।

बी० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28 अप्रैल, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल, 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/620—यतः, मुझे, वी० के० सिन्हा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है, जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-9-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्री भिन्देराव (2) श्रीमती कुन्दिन (3) किरन कुमार (4) कु० गुरुबाला सभी निवासी 12 मीरा पथ कालोनी, इन्दौर ।
(अन्तरक)

2. (1) श्री दौलत राम ठाकुर दास (2) सज्जन लाल ठाकुर दास, निवासी सकार बाजार, इन्दौर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो 'उक्त अधिनियम,' के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 17 मीरा पथ कालोनी, इन्दौर ।

वी० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28 अप्रैल, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्सी०/भोपाल/76-77/621—यतः, मुझे, वी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट है, जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8-9-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मीरेश्वर पुत्र शंकर राव देसाई 17 प्रशांत नगर पश्चावट लार्माट अजनी चौक नागपुर। (अन्तरक)
2. (i) श्री हीरोश पुत्र बनवारी लाल महेश्वरी (ii) अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल महेश्वरी, निवासी 18 यशवंत कालोनी, इन्दौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट वि० नं० 16 जो कि नार्थ तुकोगंज यशवंत कालोनी, इन्दौर में स्थित है।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28 अप्रैल, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/622—

यतः, मुझे, वी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, जो ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-9-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री गंगाराम बादिल पुत्र श्री केशर मल निवासी लोहिया बाजार लश्कर, ग्वालियर ।

(अन्तरक)

2. श्री इन्दर जीत सिंह पुत्र भान सिंह, निवासी मोहल्ला पदीयम, जीरा, जिला फिरोजपुर (पंजाब) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जो कि वार्ड नं० 3 लक्ष्मी बाई रोड़, लश्कर ग्वालियर में स्थित है ।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28 अप्रैल, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपपाल/76-77/623—

यतः, मुझे, बी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-9-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल से लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त

सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नि बाबू लाल गुप्ता, अधिवक्ता, हाई कोर्ट रोड़, लश्कर, ग्वालियर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती गुलजीत वालिया पत्नि एस० एस० अहलुवालिया, निवासी 23 होस्टग्स, रोड़, आगरा।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जो कि वार्ड नं० 3 लक्ष्मी बाई रोड़, लश्कर, ग्वालियर में स्थित है।

बी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28 अप्रैल, 1975
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/624—

यतः, मुझे, वी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, जो ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 16-9-75

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गंगा राम बादिल पुत्र श्री केशर मल निवासी लोहिया बाजार लश्कर, ग्वालियर ।

(अन्तरक)

2. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री भान सिंह, निवासी जीरा, फिरोजपुर, (पंजाब) ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जो कि वार्ड नं० 3, लक्ष्मी बाई रोड़, लश्कर, ग्वालियर में स्थित है ।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28 अप्रैल, 1976

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 1976

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/625—

यतः मुझे, वी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-9-76

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ख की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नि श्री बाबू लाल गुप्ता, अधिवक्ता निवासी हाई कोर्ट रोड़, लश्कर, ग्वालियर ।

(अन्तरक)

2. श्री मनप्रीत सिंह पुत्र श्री एस० एस० अहलुवालिया, निवासी 23 होस्टेग्स, रोड़, आगरा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जो कि वार्ड नं० 3 लक्ष्मी बाई रोड़, लश्कर, ग्वालियर में स्थित है ।

वी० के० सिन्हा,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 28 अप्रैल 1976

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/629—
अतः, मुझे, वी० के० सिन्हा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान तथा जमीन है, जो रायगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, रायगढ़ में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री मुकुन्द राव वैद सुपुत्र श्री माधोराव, तिलक नगर (वर्तमान पता : श्री मुकुन्द राव वैद, बी/26, 7-मन्जिला, नेपियन सी रोड, बम्बई-30004)

(2) श्री केशव राव वैद सुपुत्र श्री माधो राव वैद, प्रकाश चश्मा विक्रेता, मुख्य अस्पताल के समक्ष, बिलास पुर (म० प्र०)

(अन्तरक)

1. (1) श्री गुरुबचन सिंह (2) श्री इन्द्र सिंह (3) इकबाल सिंह सुपुत्रान श्री मुकुन्द लाल खनूजा, पंजाब नेशनल होटल, गांधी चौक, रायगढ़ (म० प्र०)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान साथ जमीन एरिया 1643 वर्ग फुट जो कि पुराने कोर्ट के पास रायगढ़ में स्थित है।

वी० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 5-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वी/भोपाल/76-77/630—

यतः, मुझे, वी० के० सिन्हा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० जमीन है, जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. अहिल्या माता गोशाला जिवदिया मंडल इन्दौर द्वारा प्रेसिडेन्ट राज कुमार काशलीवाल पुत्र सेठ हुकम चंद निवासी शीश महल, इन्दौर। (अन्तरक)

2. मैसर्स चन्द्र सेन इन्टरप्राइसेस, पार्टनर मनोहर पुत्र नारायन दास जी हेमनानी, निवासी 8 जयविलडरस, इन्दौर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन रकबा नं० 260 और 259/1, एरिया 67,300 वर्ग फीट, स्थिति, देवास रोड, इन्दौर, म० प्र० ।

वी० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल ।

तारीख : 5-5-1976
मोहर ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/631—

यतः, मुझे, वी० के० सिन्हा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, जो उज्जैन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती विमलाबाई बेवा पत्नी राजेन्द्र कुमार, (2) सरोज कुमारी, (3) सरिता, (4) रानी कुमारी, (5) रजनी, (6) सुनील कुमार, (7) अनिल कुमार, (8) नीलू, (9) किशोरी लाल सभी निवासी बम्बाखाना, फ्रीगंज, उज्जैन (अन्तरक)

2. (1) श्री जवाहर लाल पुत्र मानकलाल अग्रवाल, (2) श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री मानकलाल अग्रवाल, (3) श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री मानक लाल अग्रवाल, निवासी रतलाम (म० प्र०)। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 1/1240 कौशल पुरा, शीर सागर, कालोनी, उज्जैन। क्षेत्रफल 2,286,19 वर्ग मीटर।

वी० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख : 5 मई, 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 मई 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/76-77/632--

अतः मुझे वी० के० सिन्हा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० खुली भूमि है, जो उज्जैन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19-9-1975 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (i) श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री पन्नालाल जी गोयल, 3 : 5-पारसी मोहल्ला, इन्दौर। (ii) श्री भीमराज पुत्र श्री शेषागिरी राव कुलकरनी, 4 मार्तन्ड चौक, इन्दौर। (अन्तरक)

2. (i) श्री कैलाश चन्द्र, (ii) श्री प्रह्लाद दास, (iii) श्री सुभाष चन्द्र, (iv) श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बदरी लाल जी और श्रीमती ग्यारसी बाई, पत्नी श्री पन्नालाल, निवासी उषागंज, मेन रोड, इन्दौर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुला क्षेत्र साथ में शेड जिसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट, जो कि साजन नगर, उज्जैन में स्थित है।

वी० के० सिन्हा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 5-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर
कानपुर, दिनांक 11 मई 1976

निर्देश सं० 1023-ए/अर्जन/गाजियाबाद/75-76/502--

यतः मुझे विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन याय आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शशी प्रभा पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद नि० 6422 कटरा बड़ियान, कललान, देहली-6। (अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश बत्रा, निवासी 160 न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति दो मंजिला रिहायशी मकान स्थित 160, न्यू गांधी नगर, गाजियाबाद जो 1,00,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 11-5-1976

मोहर :—

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 11 मई 1976

निर्देश सं० 1032-ए०/अर्जन/कानपुर/75-76—यतः, मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-12-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री गोधन दास निवासी 16/19-सी, सिविल लाईन, कानपुर। (अन्तरक)

2. श्री चेतन दास पुत्र श्री आसन दास, (2) गुरुमुख दास पुत्र आसन दास, (3) आत्मा राम पुत्र पारस राम, (4) हरी राम पुत्र पारस राम, नि० 125/के/102, गोविन्दनगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 22, क्षेत्रफल 539 वर्ग गज बाकै प्लाट 'एच', स्कीम 1, गोविन्दनगर, कानपुर जो 43,141 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 11-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 17 मई 1976

निर्देश सं० 919-ए०/अर्जन/कानपुर/75-76/504—यतः मुझे विजय भार्गवा
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसके उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-12-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में, वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम,' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम,' या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. दि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा उप सचिव श्री बी० एम० गुप्ता, स्वदेशी हाउस, सिविल लाइन, कानपुर। (अन्तरक)

2. श्री शिव कुमार गोयल, पुत्र स्व० श्री राधे लाल गोयल, निवासी जी-21, शान्ति नगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 11 क्षेत्रफल 555.55 वर्ग गज बाकै आनन्द पुरी कालोनी, जूही, कानपुर जो 49,499.50 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 17-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 10 मई, 1975

निर्देश सं० 1038-ए/अर्जन/कानपुर/75-76—यतः मुझे, विजय भार्गवा,
आयकर अधिनियम, 1961
(1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार है स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,
तारीख 18-12-1975
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण, में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री अयोध्या प्रसाद वल्द नारायन निवासी 111/411 अशोक नगर, हाल लाल बंगला, कानपुर। (अन्तरक)

2. (1) महादेवमल वल्द मीरचन्द, (2) श्री पुरुषोत्तम दास, (3) चुन्नी लाल, (4) भगवान दास, (5) चन्द्र भान, (6) लाल चन्द आत्मज महादेव मल सा० 109/243, राम कृष्णनगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति मकान नं० 111/411, बाकै अशोक नगर, कानपुर जो 45,000 रु० में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 10-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 11 मई, 1976

निर्देश सं० 1082/अर्जन/कानपुर/75-76/506—यतः मुझे विजय भार्गवा
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार, है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-12-1976
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री इन्द्र सिंह मलहोत्रा पुत्र श्री अवतार कृष्ण मलहोत्रा, 124-ए/122, गोविन्द नगर, कानपुर। (अन्तरक)

2. (1) सर्वश्री मथुरा दास, (2) गुलजारी लाल, (3) कुन्दन लाल, (4) हरबन्स लाल पुत्रगण श्री लूरीन्दामल निवासी 124-ए/602, गोविन्द नगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में, दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति प्लाट नं० 30, ब्लाक 'एफ' क्षेत्रफल 575 वर्ग गज बाकै गोविन्द नगर कानपुर जो 35,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 11-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 20 मई 1976

निर्देश सं० 864/अर्जन/मथुरा/75-76/508—यतः, मुझे, विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है।

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार है, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मथुरा में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 'अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम', की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) सर्वश्री एम० के० गुप्ता, (2) आर० के० गुप्ता, (3) डी० के० गुप्ता, (4) एन० के० गुप्ता, (5) बी० के० गुप्ता, पुत्रगण श्री जमुना प्रसाद निवासी डमपियर पार्क, मथुरा। (अन्तरक)

2. सर्वश्री (1) होरी लाल पुत्र भदई, (2) भगवान सिंह पुत्र भदई, (3) अमर सिंह पुत्र भदई, (4) मवासी राम, (5) पती राम, (6) बास देव, (7) मैंगा राम, (8) राम सहाय, (9) फागुन लाल, (10) लाहौर, (11) हरी सिंह, (12) डोली लाल, (13) बनी सिंह, (14) बिसारम, (15) श्यामा, (16) राम स्वरूप, (17) गेंडा लाल, (18) मही लाल, (19) राम लाल पुत्र सामिला, (20) सुमेरा, (21) खेती लाल पुत्र बुद्धा राम, (22) सेवा राम, (23) बाबू लाल, (24) जलाली, (25) बृजवासी, (26) दुर्गा, (27) तुला राम, (28) नेगाराम, (28) दाउजी, (30) समन्ती लाल, (31) नेक्शा, (32) ज्योती प्रसाद, पुत्र लाहौर, (33) यादराम पुत्र होती लाल, (34) राम लाल पुत्र विद्या, निवासीगण, जमजरिया, मौजा करसोरा, तहसील सादाबाद, जिला मथुरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कृषि भूमि क्षेत्रफल 117.56 एकड़, फार्म हाउस, जानवर मशीनरी आदि बाकै इसफा, तहसील और जिला मथुरा जो 6,08,000 रु० में हस्तान्तरित की गई है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 20-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०-------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 20 मई 1976

निर्देश सं० 882/अर्जन/बुढ़ाना/75-76/509/--अतः मुझे विजय भार्गवा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुढ़ाना में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,

तारीख 2-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री इशाक लाल पुत्र नानक निवासी ग्राम दुलैहरा परगना, शिकारपुर, जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरक)

2. सर्वश्री (1) कृष्ण पाल, (2) नरेन्द्र कुमार (बालगान), (3) राम दयाल, (4) ब्रह्मा नन्द (नाबालिग), पुत्रगण ओम प्रकाश, संरक्षक कृष्ण पाल, निवासीगण ग्राम दुलैहरा, जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति ½ भाग कृषि भूमि क्षेत्रफल 18 बीघा 14 बिस्वा बाकै ग्राम दुलैहरा, जिला मुजफ्फरनगर जो 42,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित किया गया है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 20-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 20 मई, 1976

निर्देश सं० 883/अर्जन/बुढ़ाना/75-76—यतः मुझे विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार है, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुढ़ाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 2-9-1975

उक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के लिए में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री इशक लाल पुत्र श्री नानक निवासी दुलैहरा डाक कुटबा परगना शिकारपुर, जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरक)

2. श्री (1) श्याम लाल (बालिग), (2) हरीश (नाबालिग), पुत्रगण इकबाल सिंह, संरक्षक श्याम लाल निवासीगण, दुलैहरा, जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र, में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है,

अनुसूची

अचल सम्पत्ति 1/3 भाग कृषि भूमि क्षेत्रफल 18 बीघा, 14 बिस्वा वाले ग्राम दलैहरा, परगना शिकारपुर, जिला मुजफ्फरनगर जो 42,000 रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर।

तारीख : 20-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 21 मई, 1976

निर्देश सं० 927/अर्जन/मेरठ/75-76/513--यतः मुझे, विजय भार्गवा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार है, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 23-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री रोशन जहां आरा, बेगम पत्नी हाजी अब्दुल अजीज, सपना करम, अली शहर, मेरठ। (अन्तरक)

2. (1) श्री मदन लाल पुत्र मंगल सैन, (2) गुलशन लाल, पुत्र मदन लाल, (3) श्रीमती मोहनी देवी बेवा श्री चन्द खन्दक शहर, मेरठ। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति 1/2 हिस्सा अज बिल्डिंग नं० 223, 224, हाल नं० 372, या 376 वाकै खन्दक शहर, मेरठ जो 12,500 रु० मूल्य में हस्तान्तरित की गई है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 21-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 21 मई, 1976

निर्देश सं० 928/अर्जन/मेरठ/75-76/514—अतः मुझे विजय भार्गवा

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43), (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार है, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-9-1975

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती रोशन जहां आरा बेगम पत्नी हाजी अब्दुल अजीज, सकना करम अली, शहर मेरठ। (अन्तरक)

2. श्री बाल मुकुन्द पुत्र मंगल सैन, (2) लाल चन्द पुत्र मंगल सैन, (3) द्वारका नाथ पुत्र लाल चन्द, खन्दक, मेरठ। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति बिस्फी हिस्सा अज बिल्डिंग नम्बर 223, 224, हाल नं० 372 वा 376 बाकै खन्दवा शहर मेरठ जो 12,500 रु० मूल्य में हस्तांतरित की गई है।

विजय भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 21-5-1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर
अमृतसर, दिनांक 19 मई, 1976

निर्देश सं० ब०ट०ल०/27/76-77—यतः मुझे वी० आर० सगर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जमीन है तथा जो बटाला गरबी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख सितम्बर, 1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री तेजा सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह, वासी बटाला। (अन्तरक)

2. श्री बलदेव सिंह, संतोख सिंह पुत्र श्री तेजा सिंह, वासी बटाला। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3749 सितम्बर, 1975 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बटाला में लिखा है।

वी० आर० सगर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक : 19 मई 1976
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 6 मई, 1976

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस०आर० III/सितम्बर/(62)/964/75-76—अतः मुझे, एस० सी० पारीजा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कृषि भूमि 18 बीघा, 2 बिस्वा है तथा जो सामलका गांव, तहसील महरौली, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 30-9-1975 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम', के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1. श्री अमर चन्द
2. श्री दया चन्द
3. श्री अशोक कुमार
} सुपुत्र स्वर्गीय श्री राम चन्द

4. श्री माहेश चन्द (नाबालिग) श्रीमती विद्या देवी संरक्षक
5. श्रीमती विद्या देवी, विधवा पत्नी श्री राम चन्द
6. श्रीमती विमला रानी, सुपुत्री स्वर्गीय श्री राम चन्द; वा पत्नी श्री सतीश चन्द्र संचल
7. राजेश कुमारी, सुपुत्री स्वर्गीय श्री राम चन्द

सभी निवासी 23/बी-1, न्यू रोहतक रोड़, करौल बाग, दिल्ली (अन्तरक)

(2) 1. मेजर जरनल एम०एस० बोपराए, सुपुत्र एस० इशर सिंह
2. श्रीमती सुवीन्दर, पत्नी मेजर जरनल एम० एस० बोपराए
3. श्री हरदेव सिंह
4. श्री गुरुदेव सिंह
5. श्री ईश्वर देव सिंह

सभी सुपुत्र श्री मेजर जरनल एम० एस० बोपराए, सभी निवासी के-64, हाउस खास, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 18 बीघा तथा 2 बिसवा है, हदबस्त नं० 221, खतौनी नं० 36/44, मुस्तातील नं० 16, किला नं० 1/14, बंजर (4-16 बिसवा), 2/14 बंजर (4 बीघा-16 बिसवा), 3/14 बंजर (4 बीघा 16 बिसवा) तथा 8/1/16 (3 बीघा 14 बिसवा) कुंआ भी सम्मिलित है, सामलका गांव, तहसील महरौली, दिल्ली में है।

एस० सी० पारीजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख: 6-5-1976
मोहर :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 24th April 1976

No. A.32014/2/76-Admn.I.—The Chairman, Union Public Service Commission, has been pleased to allow S/Shri R. L. Thakur and K. Sundaram, permanent Personal Assistants (Grade C of CSSS) cadre of Union Public Service Commission, who were appointed to officiate as Senior Personal Assistants upto 31-3-1976 on purely temporary and *ad-hoc* basis *vide* Notification No. A.32014/1/74-Admn.I dated the 23rd March, 1976, to continue to officiate in the same capacity on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a further period of three months w.e.f. 1-4-1976 to 30-6-1976 or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary
for Chairman
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 24th April 1976

No. A.32014/2/76-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri S. P. Mehra, permanent Personal Assistant (Grade C of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission, to officiate as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) in the same cadre on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a period of 46 days with effect from 1-4-1976 to 16-5-1976.

2. Shri S. P. Mehra should note that his appointment as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) is purely temporary and on *ad-hoc* basis and will not confer any title for absorption in Grade B of Central Secretariat Stenographers' Service or for seniority in that Grade.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary
(Incharge of Administration)
Union Public Service Commission

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMN. REFORMS

ENFORCEMENT DIRECTORATE

New Delhi, the 26th April 1976

APPOINTMENT

No. A-11/4/76.—Shri Nripendra Nath Banerjee, Income Tax Inspector West Bengal Calcutta is appointed to officiate as Enforcement Officer in the Calcutta Zonal Office of this Directorate, with effect from 7-4-76 (F.N.) and until further orders.

NRIPEN BAKSI
Deputy Director (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 5th May 1976

No. A.20014/76/76-AD.I.—Consequent upon his promotion, Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri N. K. Mukherjee Sub-Inspector of Police, Calcutta Branch as Inspector of Police in the Delhi Special Police Establishment, Division of the Central Bureau of Investigation Calcutta Branch in a temporary capacity, with effect from the 2nd April, 1976 (F.N.), until further orders.

No. A.20014/74/76-AD.I.—Consequent upon his promotion, Deputy Inspector General of Police, Special Police Establishment, hereby appoints Shri K. C. Biswas Sub-Inspector of Police, Calcutta Branch as Inspector of Police in the Delhi Special Police Establishment, Division of the Central Bureau of Investigation Calcutta Branch in a temporary capacity, with effect from the 5th April, 1976 (F.N.) until further orders.

G. L. AGARWAL
Administrative Officer (E)
for Deputy Inspector General of Police
Special Police Establishment

New Delhi, the 7th May 1976

No. A31013/2/75-AD.I.—The President is pleased to appoint S/Shri K. M. Rangachari and S. P. Seth, officiating Deputy Legal Advisers in the Central Bureau of Investigation as Deputy Legal Advisers in the Central Bureau of Investigation in a substantive capacity with effect from 28-8-1975 (Forenoon).

G. L. AGARWAL
Administrative Officer (E)
CBI

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 5th May 1976

No. 2/10/76-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Niranjan Lal Sharma, a permanent Assistant of the Central Vigilance Commission as Section Officer in the Commission, in an officiating capacity with effect from the forenoon of 3rd May, 1976, until further orders.

SHRI NIVAS
Under Secretary
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, C.R.P.F.

New Delhi-110001, the 10th May 1976

No. O-II-1040/76-Estt.(CRPF).—The Director General, C.R.P.F., is pleased to appoint Dr. M. Sreenivasa Reddy, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F. on an *ad-hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 15th April, 1976.

The 11th May 1976

No. P. VII-1/76-Estt.—The President is pleased to appoint on promotion on ad-hoc basis the following Assistant Commandants as Commandant in the CRP Force in a temporary capacity until further orders.

2. Their postings and the date of handing/taking over charge are indicated against each :—

Sl. No.	Name	Rank & unit of handing over charge	Date of handing over charge	Rank & unit of taking over charge	Date of taking over charge
1.	Shri Gurmohan Singh	Asstt. Comdt. 7th Bn. CRPF.	8-4-76 (AN)	Commandant 16th Bn. CRPF	17-4-76 (AN)
2.	Shri B. K. Karkra	Asstt. Comdt. GC, CRPF, Delhi.	17-4-76 (AN)	Comdt. 51st. Bn. CRPF.	20-4-76 (AN)

A. K. BANDYOPADHYAY, Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 28th April 1976

No. E-38013(3)/3/76-Ad.I.—On transfer from Central Industrial Security Force Unit, Food Storage Depot, Dighaghat, Patna, Shri Chet Ram Singh assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Artificial Limbs Manufacturing Corporation Ltd., Kanpur with effect from the forenoon of 7th April 1976.

The 30th April 1976

No. E-16013(2)/4/76-Ad.I.—On transfer on deputation from State Government of Karnataka, Shri M. D. Singh, IPS (Karnataka-1968), assumed the charge of the post of Commandant, Central Industrial Security Force Unit, I.O.C. Barauni, with effect from the forenoon of 25th March, 1976.

The 5th May 1976

No. E-16018/2/74-Ad.I.—On transfer from West Bengal Fire Service, Shri D. K. Mitra, Station Officer, assumed the charge of the post of Assistant Commandant (Fire), Central Industrial Security Force Unit, Alloy Steel Plant, Durgapur, with effect from the forenoon of 8th April, 1976.

The 6th May 1976

No. E-38013(3)/7/76-Ad.I.—On transfer, Shri Ajit Singh, Asstt. Commandant/Central Industrial Security Force Unit, B.I.O.P. (Dep. 5) Bailadilla, relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 3rd April 1976 and assumed the charge of the post of Assistant Commandant, Central Industrial Security Force Unit, Space Application Centre, Ahmedabad, with effect from the afternoon of 5th April 1976.

L. S. BISHT
Inspector General

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi-110011, the 10th May 1976

No. 11/4/76-RG(Ad.I)(2).—The President is pleased to appoint Shri R. C. Bhargava, an Investigator in the Office of the Director of Census Operations, Rajasthan, as Assistant Director of Census Operations (Technical), in the same office, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of four months with effect from the afternoon of 8 April 1976 or till the post is regularly filled up, whichever period is shorter.

2. The headquarters of Shri Bhargava will be at Jaipur.

No. 25/15/74-RG(Ad.I).—The President is pleased to appoint Shri S. P. Mishra, Research Officer as Senior Research Officer, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, vice Shri K. S. Krishnan proceeded on leave with effect from the afternoon of 10 May 1974 upto 10 June 1974, with his headquarters at Delhi.

No. 11/4/76-RG(Ad.I)(1).—The President is pleased to appoint Shri M. Panchapakesan, an Investigator in the Office of the Director of Census Operations, Tamil Nadu, as Assistant Director of Census Operations (Technical), in the same office, on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of four months with effect from the forenoon of 9 April 1976 or till the post is regularly filled up, whichever period is shorter.

2. The headquarters of Shri Panchapakesan will be at Madras.

No. 11/4/76-RG(Ad.I)(3).—The President is pleased to appoint Shri G. S. Pabla, Investigator in the office of the Director of Census Operations, Punjab, as Assistant Director of Census Operations (Technical), in the same office on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of four months with effect from the forenoon of 9 April 1976 or till the post is regularly filled up, whichever period is shorter.

2. The headquarters of Shri Pabla will be at Chandigarh.

R. B. CHARI
Registrar General, India and
ex officio Joint Secretary

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS SERVICE
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I MADHYA PRADESH

Gwalior-474002, the 24th April 1976

No. Admn.I/54.—The Accountant General, Madhya Pradesh-I, has been pleased to appoint the following permanent Section Officers as Accounts Officers in an officiating capacity from the date mentioned against each name :

1. Shri T. S. Laxmanan (02/0191)—7-4-76 (Afternoon).
2. Shri K. M. Malvajan (02/0193)—7-4-76 (Afternoon).

S. L. MALHOTRA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL POSTS AND TELEGRAPHS

Delhi-110054, the 10th May 1976

O.O. No. Admn.V-2/23(A)(2)D.—Shri Desh Raj Sharma an Accounts Officer of the office of the Dy. Director of Audit and Accounts, Posts and Telegraphs, Jaipur expired on 7-3-1976.

No. Admn.V-3/23(A)(2)S.—Shri Sri Narain Sharma, a substantive Accounts Officer in the Office of the Director of Audit & Accounts Posts and Telegraphs, Delhi has retired from service with effect from 31-3-1976 (Afternoon).

PRAKASH NARAYAN MALAVIYA
Sr. Dy. Accountant General
(H. QR. I)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, WEST BENGAL

Calcutta-700001, the 11th May 1976

No. Admn. I/947-II/579-617—The Accountant General, West Bengal has been pleased to appoint the following Officiating Accounts Officers borne on the Joint cadre of Accounts Officers of this office and of the office of the Accountant General, Central, Calcutta in substantive capacity in the Accounts Officers' grade with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of confirmation
	S/Shri	
1.	S. Adhikary	1-3-73
2.	G. Poddar	1-7-73
3.	H. Biswas	1-3-74
4.	Naresh Ch. Roy	1-3-74
5.	B. B. Bhattacharjee	1-3-74
6.	Dhruba Pd. Chowdhury	1-3-74
7.	H. P. Dutta	1-3-74
8.	K. L. Bera	1-3-74
9.	Gopal Ch. Ghosh	1-3-74
10.	Asoka Nath Bose	1-12-74
11.	M. Karmakar	29-12-74
12.	S. C. Sen	1-1-75
13.	Probhakar Banerjee	27-1-75
14.	M. N. Karmakar	1-3-75
15.	G. N. Ghosh	1-3-75
16.	K. N. Manna	1-3-75
17.	Samir Banerjee	1-3-75
18.	Umapada Saha	1-3-75
19.	D.D. Mukherjee	1-3-75
20.	Nemai Chand Mukherjee	1-3-75
21.	Prasanta Kr. Sen	1-3-75
22.	P. R. Som	1-3-75
23.	K. L. Saha	1-3-75
24.	S. Viswanathan	1-3-75
25.	Satyendra Ch. Bhattacharjee	1-4-75
26.	B. B. Roy	1-8-75
27.	Amulya Kumar Sen II	1-12-75
28.	S. Gopalakrishnan	1-12-75
29.	Phani Bhusan Banerjee	1-1-76
30.	Nirmal Kanti Mukherjee	1-1-76
31.	T. K. Gupta	1-2-76
32.	H. Gupta	1-2-76

No. Admn-I/1038-XIV/662.—The Accountant General, West Bengal has been pleased to appoint Sri Nepal Chandra Majumdar, permanent Section Officer to officiate as Accounts Officer in temporary and officiating capacity with effect from the forenoon of 10-5-76 or any date thereafter on which he actually takes over charge as Accounts Officer in this office until further orders.

The inter-se-seniority of the officer in the Accounts Officers' grade will be indicated in due course.

GHANSHIAM DAS
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)
West Bengal

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL KARNATAKA

OFFICE ORDER

Bangalore, the 6th March 1976

No. ESI/A4/755.—Sri H. R. Kshetrapalaiah, Officiating Accounts Officer of the Office of the Accountant General, Karnataka, Bangalore is appointed in a substantive capacity in the grade of Accounts Officer with effect from 29-12-75 in the same office.

D. H. VEERAIAH
Accountant General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL GUJARAT

Ahmedabad-1, the 14th May 1976

No. Estt.(A)/GO/2(173)641.—The Accountant General, Gujarat, Ahmedabad is pleased to appoint Shri C. V. Sangani permanent members of the Subordinate Accounts Service; to officiate as Accounts Officer in the office of the Accountant General, Gujarat, Ahmedabad with effect from 5-4-76 (FN) until further orders.

No. Estt.(A)/GO/2(172)643.—The Accountant General, Gujarat, Ahmedabad is pleased to appoint Shri S. L. Bhatt permanent members of the Subordinate Accounts Service; to officiate as Accounts Officer in the office of the Accountant General, Gujarat, Ahmedabad with effect from 22-3-76 (FN) until further orders.

No. Estt.(A)/GO/2(174)/645.—The Accountant General, Gujarat, Ahmedabad is pleased to appoint Shri Dhyan Singh permanent members of the Subordinate Accounts Service; to officiate as Accounts Officer in the office of the Accountant General, Gujarat, Ahmedabad with effect from 5-4-76 (FN) until further orders.

K. H. CHHAYA
Deputy Accountant General (Admn.)
Ahmedabad

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi, the 5th May 1976

No. 40011(2)/75-AN-A.—(1) The undermentioned Accounts Officers were/will be transferred to pension establishment with effect from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation :—

Serial Number	Name with Roster Number	Grade	Date from which transferred to pension establishment	Organisation
	Sarvashri			
1.	V. Natarajan (P/158)	Permanent Accounts Officer	31-7-76	Controller of Defence Accounts (Officers) Poona.
2.	K. S. Ramanujam (P/242)	Permanent Accounts Officer	30-6-76	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad.
3.	H. L. Bhatia (P/254)	Permanent Accounts Officer.	31-7-76	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.
4.	H. R. Agnihotri (P/300)	Permanent Accounts Officer.	31-3-76	Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut.
5.	S. Subbarayudu (P/371)	Permanent Accounts Officer.	31-12-75	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) South, Madras.
6.	S. P. Mathur (P/347)	Permanent Accounts Officer	31-7-76	Controller of Defence Accounts, Central Command Meerut.
7.	K. N. Kalyanasundaram (Old No. O/142)	Permanent Accounts Officer.	31-7-76	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) South, Madras.
8.	S. V. Joshi (NYA)	Officiating Accounts Officer.	31-8-76	Controller of Defence Accounts, Southern Command, Poona.
9.	Sardari Lal Monga (NYA)	Officiating Accounts Officer.	31-7-76	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.
10.	O. P. Gupta (NYA)	Officiating Accounts Officer.	31-7-76	Controller of Defence Accounts, Central Command, Meerut.

Shri V. Natarajan, Permanent Accounts Officer has been granted leave pending retirement from 19-4-76 to 31-7-76.

(2) Having given notice of voluntary retirement from service under the provisions of Article 459 (1) C.S.R. Volumes I, Sri M. L. Sikka, Permanent Accounts Officer (Roster No. P/258), serving in the organisation of the Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut will be transferred to the pension establishment with effect from the forenoon of 11th August 1976.

(3) The following is added as sub para to para (1) of this department notification bearing No. 40011 (2)/75/An-A, dated 5-4-1976.

"(i) Shri V. S. Kamat, Permanent Accounts Officer has been granted earned leave pending retirement from 14-5-1976 to 30-6-76.

(ii) Shri K. N. L. Vatsa, Permanent Accounts Officer has been granted 75 days earned leave from 17-4-76 to 3-6-76 pending retirement."

The 6th May 1976

No. 18065/AN-II.—On attaining the age of 58 years, Shri G. B. Karajagi, Deputy Controller of Defence Accounts will be transferred to the Pension Establishment and struck off the strength of the Department on 31-10-1976 (AN).

The 10th May 1976

No. 40011(1)/76/AN-A.—The Controller General of Defence Accounts, hereby appoints the undermentioned Permanent Section Officers(Accounts) as Accounts Officers in an Officiating capacity with effect from the dates noted against each until further orders :

Sl. No.	Name	Organisation in which serving	Date
	Sarvashri		
1.	L. C. Gupta	Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut.	21-1-76 (FN)
2.	D. Srinivasan	Controller of Defence Accounts (Officers) Poona.	7-1-76 (FN)
3.	Om Prakash Sharma	Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut.	31-1-76 (FN)
4.	M. Balasubramanian	Controller of Defence Accounts (Officers) Poona.	9-3-76 (FN)
5.	O. P. Saharan	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)—North Meerut.	28-1-76 (FN)
6.	Hem Raj Sharma	Controller of Defence Accounts (Other Ranks)—North, Meerut.	20-1-76 (FN)
7.	Prithvi Raj Chopra	Controller of Defence Accounts Central Command, Meerut.	1-4-76 (FN)
8.	Mukand Lal Sehgal	Controller of Defence Accounts Central Command, Meerut.	18-3-76 (FN)
9.	Gian Chand Aggarwalla	Controller of Defence Accounts Patna.	6-4-76'(FN)
10.	Man Mohan Singh	Controller of Defence Accounts Patna.	23-2-76 (FN)
11.	Om Prakash Gupta	Controller of Defence Accounts Central Command, Meerut.	6-2-76 (FN)
12.	C. R. Mazumdar	Controller of Defence Accounts Patna.	16-2-76 (FN)
13.	Har Parkash Bhalla	Jt. Controller of Defence Accounts (Funds) Meerut.	1-3-76 (FN)
14.	E. R. Chakravarty	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.	22-3-76 (FN)
15.	Partap Singh	Controller of Defence Accounts Northern Command, Jammu.	23-3-76 (FN)
16.	Rishi Ram Sareen	Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut.	1-3-76 (FN)
17.	S. M. Dubey	Controller of Defence Accounts Central Command, Meerut.	2-3-76 (FN)
18.	E. Bhannunny	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.	4-3-76 (FN)
19.	S. P. Kapila	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad.	1-4-76 (FN)
20.	Amrik Singh Chatrath	Controller of Defence Accounts (Pensions) Allahabad.	23-4-76 (FN)
21.	V. P. Murtekar	Controller of Defence Accounts (Navy) Bombay.	2-4-76 (FN)
22.	K. V. Varghese	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.	1-4-76 (FN)
23.	M. P. Padmanabha Pillai	Controller of Defence Accounts (Officers) Poona.	1-4-76 (FN)
24.	E. M. Gavaskar	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.	6-4-76 (FN)

The 11th May 1976

No. 3258/AN-II.—On attaining the age of 58 years, Shri K. A. Lakshminarayanan, Controller of Defence Accounts (ORs)—South Madras will be transferred to the Pension Establishment and struck off the strength of the Department from the afternoon of 31-12-1976.

No. 10054/AN-II.—Resignation from the Indian Defence Accounts Service, tendered by Dr. U. K. Banerjee, I.D.A.S. (on deputation as Adviser (Information System) in the Directorate General of Technical Development, Ministry of Industry and Civil Supplies) has been accepted with effect from 28-5-75 (AN). Accordingly, he has been struck off the strength of Defence Accounts Department from the same date.

No. 18331/AN-II.—On attaining the age of 58 years, Shri S. K. Mukherjee, AO/ACDA will be transferred to Pension Establishment and struck off the strength of the Department with effect from the afternoon of 31st October, 1976.

No. 4733/AN-II.—On attaining the age of 58 years, Shri K. Ramamoorthy, Addl. Controller General of Defence Accounts will be transferred to the Pension Establishment and struck off the strength of the Department with effect from 30th November, 1976 (AN).

No. 18280/AN-II.—On attaining the age of 58 years, Shri T. R. Nedungadi, Assistant Controller of Defence Accounts, will be transferred to the Pension Establishment and struck off the strength of the Department w.e.f. 31-10-1976 (AN).

No. 18335/AN-II.—On attaining the age of 58 years, Shri S. Ramachandran, Assistant Controller of Defence Accounts, will be transferred to Pension Establishment and struck off the strength of the Department with effect from 31-10-1976 (AN).

S. K. SUNDARAM
Additional Controller General of Defence Accounts
(Admn.)

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE
DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-16, the 28th April 1976

No. 29/76/G.—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of Addl. DGOF with effect from the dates shown against each.

1. Dr. S. Bhattacharya, Offg. Addl. DGOF—1st May, 1974.
2. Shri P. Rajagopalan, Offg. Addl. DGOF—1st Aug., 1974.

No. 30/76/G.—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of DDGOF/GM(SG) with effect from the date shown against each.

1. Shri K. K. Bishnoi, Offg. DDGOF—19th June, 1973.
2. Shri M. P. Vaidya, Offg. GM (SG)—1st May, 1974.
3. Shri G. R. Narasimhan, Offg. DDGOF—1st Aug., 1974.

No. 31/76/G.—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of ADGOF Gr.I/G.M.Gr. I with effect from the date shown against each.

1. Shri R. R. Wanchoo, offg. GM (SG)
2. Shri G. C. Dass, Offg. ADGOF Gr. I (Retd.)—19th June, 1973.
3. Shri B. M. Taneja, Offg. ADGOF Gr. I (Retd.)—1st May, 1974.
4. Shri R. Swaminathan, Offg. GM (SG)—1st Aug., 1974.
5. Shri K. Narayan, Offg. GM Gr. I—1st Dec., 1974.

R. M. MUZUMDAR
Director General, Ordnance Fys.

Calcutta, the 4th May 1976

No. 32/76/G.—On expiry of his leave preparatory to retirement, Shri T. V. S. Rao, Offg. Manager (Subst. & Permt. Deputy Manager) retired from service with effect from 31st January, 76/AN.

No. 33/76/G.—On attaining the age of 58 years Shri R. D. Sapre, Permt. Deputy Manager retired from service with effect from 30th November 1975 (A/N).

No. 34/76/G.—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of ISO/Asstt. Manager with effect from the dates shown against each :

1. Shri M. R. Jetprole, Offg. Dy. Manager—11th Nov. 1970.
2. Shri A. Saxena, Offg. Dy. Manager—20th Nov. 1970.
3. Shri M. M. Sharma, Offg. Dy. Manager—5th Dec. 1970.
4. Shri A. Vairavan, Offg. Dy. Manager—21st Nov. 1970.
5. Shri S. Chengalvarayan, Offg. Dy. Manager—9th Jan. 1971.
6. Shri V. S. Haste, Ty. Dy. Manager—13th Dec. 1970.
7. Shri P. Francis, Offg. Dy. Manager—13th Dec. 1970.
8. Shri G. Jayarao, Offg. Dy. Manager—8th Dec. 1970.
9. Shri P. K. Roy Choudhury, Offg. Asstt. Manager (Retd.)—13th Dec. 1970.
10. Shri M. A. Alahan, Offg. Dy. Manager—31st Dec. 1973.
11. Shri S. Ghosh, Offg. Dy. Manager—23rd Dec. 1973.
12. Shri N. D. Joshi, Offg. Dy. Manager—11th Feb. 1974.
13. Shri Monohar Prosad, Offg. Dy. Manager—29th March. 1974.
14. Shri P. C. Sengupta, Offg. Asstt. Manager (Retd)—29th March, 1974.
15. Dr. A. K. Boral, Offg. Dy. Manager—18th Sept. 1974.
16. Dr. K. G. Kaimal, Offg. Dy. Manager—1st Sept. 1974.
17. Shri U. C. Saxena, Asstt. Manager (OP)—10th Jan. 1975.
18. Shri Sudhakar Tata, Asstt. Manager (OP)—24th Sept. 1974.
19. Shri Asit Kumar Das, Asstt. Manager (OP)—1st Nov. 1974.
20. Shri P. K. Misra, Asstt. Manager (OP)—3rd Jan. 1974.
21. Shri H. C. Hrangate, Asstt. Manager (OP)—31st Dec. 1973.
22. Shri Subir Mukhopadhyay, Asstt. Manager (OP)—28th Dec. 1974.
23. Shri P. M. Athavale, Offg. Asstt. Manager—28th Dec. 1974.
24. Shri K. V. S. Murthy, Offg. Dy. Manager—30th Nov. 1974.

M. P. R. PILLAI
Asstt. Director General, Ordnance Factories

MINISTRY OF LABOUR

'Cleremont', Simla-171004, the

No. 23/3/76-CPI.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on Base 1960=100 increased by three points to reach 289 (Two hundred and eighty nine) during the month of April, 1976. Converted to Base : 1949=100 the Index for the month of April, 1976 works out to 351 (Three hundred and fifty one).

A. S. BHARADWAJ, Jt. Secy.

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Jagjivannagar, the 12th May 1976

No. Adm.12(3)G/76.—Shri K. C. Verghese a permanent Overseer of the Coal Mines Labour Welfare Organisation is appointed as Asstt. Engineer on *ad-hoc* basis w.e.f. 11-12-75 (F/N) and posted under Executive Engineer, Welfare Works Division No. II, Kalla, Asansol.

R. P. SINHA
Coal Mines Welfare Commissioner
Dhanbad

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

New Delhi, the 11th May 1976

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1129/76-Admn(G)/2965.—The President is pleased to appoint Shri M. C. Satyawadi, IAS as Jt. Chief Controller of Imports & Exports, Bombay with effect from the forenoon of 1st May, 1976.

The 12th May 1976

No. 6/533/58-Admn(G)/2981.—The President is pleased to appoint Shri A. Ramachandran, an officer officiating in the Selection Grade of the CSS and Deputy Chief Controller of Imports & Exports as Jt. Chief Controller of Imports & Exports in this office in an officiating capacity for a period of 60 days with effect from 22-3-1976 (forenoon).

P. K. KAUL
Chief Controller of Imports & Exports

New Delhi, the 10th May 1976

No. 6/1036/74-Admn(G)/2935.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints Shri Sagua Lal, Civilian Assistant Security Officer in the Ministry of Defence, Research and Development Organisation, Instrument Research and Development Estt., Dehradun as Controller of Imports and

Exports Class-II (Non-CSS) in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, in an officiating capacity with effect from the forenoon of 17th April, 1976, until further orders.

2. Shri Sagua Lal as Controller of Imports and Exports will draw pay according to rules in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

A. T. MUKHERJEE
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-400020, the 7th May 1976

CORRIGENDUM

No. CER/1/76.—In the Textile Commissioner's Notification No. CER/1/74, dated the 3rd April, 1974 published in the Gazette of India, Part III Section 1 dated the 1st June, 1974, on page 3446 in the first half page,

(1) in the 13th line from the top, *For* "item (ii)" *Read* "item (iii)".

(2) in the 15th line from the top, *For* "(iii)" *Read* "(iv)"

G. S. BHARGAVA
Joint Textile Commissioner

DEPARTMENT OF SUPPLIES

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(Administration Section A-1)

New Delhi-1, the 11th May 1976

No. A-1/1(850).—Shri M. K. Lahiri permanent Head Clerk and officiating as Assistant Director (Administration) (Grade II) in the office of the Director of Supplies & Disposals, Calcutta retired from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 1976 on attaining the age of superannuation (58 years).

No. A-1/1(456).—The Director General of Supplies & Disposals hereby appoints Shri K. S. Rangasai, Assistant Director (Grade II) in the Directorate of Supplies and Disposals, Madras to officiate as Assistant Director (Grade I) in the Directorate of Supplies (Textiles), Bombay with effect from the forenoon of 15th April, 1976 and until further orders.

2. Shri Rangasai will be on probation for one year from 15-4-76 to 14-4-77.

The 12th May 1976

No. A-1/1(847).—The President is pleased to appoint Shri D. J. Khubchandani permanent Section Officer of the Central Secretariat Service in the Dte. General of Supplies & Disposals, New Delhi to officiate as Deputy Director (Sales Tax) (Scale of pay Rs. 1100—50—1600) in the DGS&D, New Delhi on purely *ad-hoc* basis for a period of three months with effect from the forenoon of 22nd April, 1976 or till such time as the post is filled by regular appointment, whichever is earlier.

The 15th May 1976

No. A-1/1(661).—Shri S. M. Biswas, permanent Superintendent and officiating as Assistant Director (Grade II) in the office of the Director of Supplies and Disposals, Bombay retired from Government service with effect from the afternoon of 30th April, 1976 on attaining the age of superannuation (58 years).

K. L. KOHLI
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

(Admn. Section A-6)

New Delhi, 3rd May 1976

No. A-17011/21/71-A6.—The President is pleased to appoint Shri P. Mukherjee, Inspecting Officer in the Engineering Branch of Grade III of the Indian Inspection Service Class I to officiate as Deputy Director of Inspection in the Engineering Branch of Grade II of the Service with effect from the forenoon of the 5th April, 1976.

Shri P. Mukherjee relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Engg.) and assumed charge of the post of Deputy Director of Inspection (Engg.) in the Calcutta Inspection Circle, Calcutta, from the forenoon of the 5th April, 1976.

The 15th May 1976

No. A-17011/19/71-A6.—The President is pleased to appoint Shri V. Balasubramanian Inspecting Officer in Grade III of the Indian Inspection Service, Engineering Branch to officiate as Deputy Director of Inspection in Grade II of the Service from the forenoon of the 29th April, 1976 until further orders.

Shri Balasubramanian, relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Engineering) at Bangalore in the Madras Inspection Circle in the afternoon of the 21st April, 1976 and assumed charge of the post of Deputy Director of Inspection (Engineering) in the Madras Inspection Circle at Madras in the forenoon of the 29th April, 1976.

SURYA PRAKASH
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL & MINES

DEPARTMENT OF STEEL

IRON & STEEL CONTROL

Calcutta-700020, the 30th April 1976

No. EI-1(10)/74(.).—In modification of this office Notification No. EI-1(10)/74 dated 11-6-1975, in so far as it relates to the appointment of Shri Bhupati Bhusan Biswas, the Iron & Steel Controller hereby appoints Shri Biswas in an officiating capacity in the undermentioned posts for the period mentioned against each :

Name of the post and Period :

1. Dy. Asstt. Iron & Steel Controller—1-8-1973 to 28-2-1975.

2. Assistant Director (Administration)—From 1-3-1975.

A. C. CHATTOPADHYAY
Deputy Director (Administration)

DEPARTMENT OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 12th May 1976

No. A19011(180)/75-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri K. C. P. Singh to the post of Assistant Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity with effect from the forenoon of 19th April, 1976 until further orders.

D. N. BHARGAVA
Controller

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700013, the 14th May 1976

No. 264(23/9)/19A (Vol. III)/76.—The following Senior Technical Assistant (Geology), Geological Survey of India are appointed on promotion as Assistant Geologist in the same department on pay according the rules in the scale of

pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in a temporary capacity with effect from the date shown against each, until further orders.

Sl. No., Name of officer and Date of appointment :

1. Shri Amitava Sen Sarma—1-4-1976 (F.N.).
2. Shri Partha Chakraborty—2-4-1976 (F.N.).

The 15th May 1976

No. 50/66(AKC)/19B.—Shri A. K. Chakravarty has received charge of the post of Shift Boss in the Geological Survey of India on the forenoon of 1st March, 1976, in an officiating capacity on reversion from the Mineral Exploration Corporation Ltd.

The 17th May 1976

No. 2181(SC)(SSN)/19B.—The following officers received charge of the post of Assistant Chemist in the Geological Survey of India in an officiating capacity on reversion from the Mineral Exploration Corporation Limited from the dates shown against each, until further orders :

1. Dr. Subhash Chandra—1-3-1976.
2. Shri S. S. Negi—22-3-1976 (AN).

V. K. S. VARADAN
Director General

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 9th March 1976

No. E1-5050/698-MAP CURATOR.—Shri A. B. Sarkar, appointed as Map Curator (G.C.S. Cl. II) on *ad-hoc* basis in Eastern Circle, Survey of India, Calcutta from 17th December, 1973 *vide* this Office Notification No. C-4805/698-Map Curator dated 1-2-1974 and this Office No. E1-43036/698-Map Curator dated 15/16th October, 1975, is, hereby, reverted to the post of Circle Superintendent w.e.f. 1-3-1976 (Forenoon).

HARI NARAIN
Surveyor General of India

Dehra Dun, the 7th May 1976

No. E1-5072/579-Sel.74(Cl.II).—Shri J. M. Sharma, Geodetic Computer is appointed to officiate as Officer Surveyor in Group 'B' service of the Survey of India on an *ad-hoc* basis for a period not exceeding one year against a temporary post at Rs. 650/- p.m. in the revised scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 with effect from 30th March, 1976.

K. L. KHOSLA
Colonel
Surveyor General of India

Dehra Dun, the 12th May 1976

No. E1-5073/PF(L.P.).—The Surveyor General of India is pleased to retire Shri Lalta Prasad, Assistant Manager, No. 101 (HLO) Printing Group (MP), Survey of India, Dehra Dun from the Government Service on superannuation with effect from the afternoon of 31st March 1976.

D. P. GUPTA
Major Engrs.
Assistant Surveyor General

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY
NATIONAL ATLAS ORGANISATION

Calcutta-700019, the 15th May 1976

No. 29-12/75-Estt.—The following persons are appointed to the post of Scientific Officer in the National Atlas Organisation in a temporary capacity w.e.f. 11-5-76 (F.N.), until further orders—

S/No.	*Name*
1.	Shri Sisir Kumar Biswas
2.	Shri Gopi Nath Saha

S. P. DAS GUPTA
Director

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 10th May 1976

No. 2/5/68-SII.—Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri P. D. Achari, Accountant, All India Radio, Panaji to officiate as Administrative Officer, All India Radio, Panaji on *ad-hoc* basis with effect from 26-4-1976 (F.N.).

The 11th May 1976

No. 2/39/60-SII.—Shri N. N. Ghosh, Administrative Officer, All India Radio, Ranchi retired voluntarily from service with effect from 30-4-1976 (A.N.) in terms of provisions contained in Rule 48 of C.C.S. (Pension) Rules 1972 read with F.R. 56 (K).

I. S. PANDHI
Section Officer
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 4th May 1976

No. 13-16/74-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Dr. I. K. Bhatia, in a substantive capacity to the permanent post of Dental Surgeon at the Safdarjang Hospital, New Delhi with effect from the 1st August, 1971.

The 5th May 1976

No. A.39012/1/76.CHS.II.—Consequent upon the acceptance of his resignation, Dr. P. N. Rangan relinquished charge of the post of Junior Medical Officer (*ad-hoc*), Rural Health Training Centre, Najafgarh, on the afternoon of the 5th February, 1976.

The 11th May 1976

No. 9-9/72-Admn.I.—Consequent on his appointment to the post of Deputy Director in the Directorate of Non-formal (Adult) Education in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Education), Shri D. V. Sharma relinquished charge of the post of Senior Lecturer in Education at the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi on the forenoon of 31st March, 1976.

No. F.17-76/73-Admn.I.—Consequent on her appointment as Deputy Director in the Directorate of Non-formal (Adult) Education, Ministry of Education & Social Welfare (Department of Education), Smt. R. S. Shafi relinquished charge of the post of Publicity Officer (A. V. Aids) in the Central Health Education Bureau of the Directorate General of Health Services, with effect from the forenoon of the 30th March, 1976.

The 15th May 1976

No. 6-9/70-Admn.I.—On return from deputation with the Poultry Project, Chandigarh, Shri F. C. Mehru resumed charge of the post of Assistant Electrical Engineer at the Central Research Institute, Kasauli on the forenoon of the 7th April, 1976.

No. 19-64/70-Admn.I.—Consequent on the re-designation of the post of Assistant Physicist, to that of Physicist, Shri S. Ranga Rao reverted to the post of Assistant Physicist in the Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry with effect from the afternoon of the 2-4-1976 and was appointed to the re-designated post of

Physicist in the same Institute on a regular basis, with effect from the forenoon of the 3rd April, 1976.

No. 26-19/75-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Inderjit Rawal to the post of Research Officer (Microbiology) at the Plague Surveillance Unit, National Institute of Communicable Diseases, Bangalore on an *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 1st April, 1976, and until further orders.

No. A.39012/3/76-CHS.II.—Consequent upon the acceptance of his resignation, Dr. M. Narasimahmurthy relinquished charge of the post of Junior Medical Officer (*ad-hoc*) Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research, Pondicherry, on the afternoon of the 22nd March, 1976.

This Directorate's Notification No. A 39012/3/76-CHS.II, dated the 19th April, 1976 may be treated as cancelled.

R. N. TEWARI
Deputy Director Administration (CHS)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
TARAPUR ATOMIC POWER STATION

TAPP-401504, the 3rd March 1976

No. TAPS/Adm/735-A.—The Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station, Department of Atomic Energy, extends the *ad-hoc* appointments of S/Shri P. Ganapathy & V. K. P. Pillai as Assistant Personnel Officer for a further period of 4 months from 1-3-1976 to 30-6-1976 or till regular incumbents are appointed whichever dates are earlier.

K. V. SETHUMADHAVAN
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400001, the 30th March 1976

No. DPS/A/32011/2/75-Est/4856.—In continuation of this Directorate notification of even number dated September 9, 1975, Director, Purchase and Stores appoints Shri V. R. Natarajan, a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Gujarat, on deputation to this Directorate, as a temporary Assistant Accounts Officer on an *ad-hoc* basis in the same Directorate for a further period from October 1, 1975 to March 30, 1976.

K. P. JOSEPH
Administrative Officer

Bombay-400001, the 5th April 1976

No. DPS/A/32011/2/75/Est/4962.—The Director, Purchase & Stores appoints Shri Babubhai Mohanlal Ganatra, a permanent Assistant Accountant and officiating Accountant in Western Railway, now on deputation to this Directorate in the same capacity, to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 with effect from 17-11-1975 to 21-2-1976 *vice* Shri P. S. Rao, Asstt. Accounts Officer deputed for training.

B. G. KULKARNI
Asstt. Personnel Officer

Bombay-400001, the 8th April 1976

Ref. No. DPS/A/11013/64/75/Est.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated February 19, 1976, Director, Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Parari Kizhakkodan Radhakrishnan, officiating Storekeeper in the Stores Unit (DPS), VEC Project at Calcutta as an Assistant Stores Officer on an *ad-hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the same Directorate for a further period of two months upto June 30, 1976.

V. P. CHOPRA
Administrative Officer

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 30th April 1976

No. PPED/3(262)/76-Adm./5300.—Director, Power Projects Engineering Division, Bombay hereby appoints Shri T. T. Pishori, a quasi-permanent Asstt. Personnel Officer in this Division as General Administrative Officer in the same Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of April 19, 1976 to June 5, 1976 afternoon *vice* Shri R. J. Bhatia promoted as Administrative Officer.

No. PPED/3(262)/76-Adm./5299.—Director, Power Projects Engineering Division, Bombay hereby appoints Shri K. O. Ouseph a permanent Upper Division Clerk of the Office of the Forward Markets Commission and officiating Selection Grade Clerk in this Division as Asstt. Personnel Officer in the same Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of April 19, 1976 to June 5, 1976 afternoon, *vice* Shri T. T. Pishori, Assistant Personnel Officer promoted as General Administrative Officer.

(NARORA ATOMIC POWER PROJECT)

No. NAPP/18/94/75-Adm/2077.—The Director, Power Projects Engineering Division, is pleased to appoint Shri P. K. Maulik, Senior Scientific Assistant, office of the Central Building Research Institute, Roorkee (U.P.) as Scientific Officer/Engineer Grade SB in Narora Atomic Power Project, Narora with effect from the forenoon of March 5, 1976 until further orders.

R. J. BHATIA
Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500762, the 6th May 1976

Ref. No. PAR/0704/896.—Chief Executive, NFC, appoints Shri P. Bhaskar, Sub-Officer, to officiate as Station Officer, on *ad-hoc* basis, in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad for the period from 1-5-1976 to 5-6-1976, or until further orders, whichever is earlier.

The 15th May 1976

No. PAR/0704/942.—The Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri V. R. Vijayan, Assistant to officiate as Assistant Personnel Officer in the Nuclear Fuel Complex, Hyderabad from 8-5-1976 to 3-7-1976 or until further orders whichever is earlier.

S. P. MHATRE
Senior Administrative Officer

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 6th May 1976

No. AMD/1/18/75-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division hereby appoints Shri Mrinal Kanti Roy as Scientific Officer/Engineer (Geology) Grade 'SB' in an officiating capacity in the Atomic Minerals Division, with effect from 28th April, 1976 Forenoon, until further orders.

The 14th May 1976

No. AMD/1/11/76-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri M. Sambasiva Rao, Section Officer of the office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad as officiating Assistant Accounts Officer, on deputation in the Atomic Minerals Division, with effect from the forenoon of March 1, 1976 until further orders.

S. RANGANATHAN
Sr. Administrative & Accounts Officer

MADRAS ATOMIC POWER PROJECT

Kalpakkam-603102, the May 1976

No. 3(146)/67-Adm.—Director, Power Projects Engineering Division, appoints Shri C. N. Gopalakrishnan Nair, permanent Scientific Assistant 'B' in the Bhabha Atomic Research Centre and officiating Scientific Assistant 'C' in the Madras Atomic Power Project as Scientific Officer/Engineer SB in this Project in a temporary capacity with effect from the forenoon of February 1, 1976, until further orders.

K. BALAKRISHNAN
Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE

Trivandrum-695022, the 10th April 1976

No. VSSC/EST/01-37—The Director, VSSC, hereby appoints the following Officers in VSSC, Department of Space, as Scientist/Engineer SB in an officiating capacity in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 with effect from the forenoon of the dates shown against each and until further orders :

Sl. No.	Name	Desig-nation	Divn.	w.e.f.
1	Shri M Ramachandran Nair	Scientist/ Engr.SB	ARD	1-1-76
2	Shri P Madaswamy Achary	,,	CGI	1-7-75
3	Shri T P Premarajan	,,	,,	1-7-75
4	Shri R Venkataraman	,,	,,	1-7-75
5	Shri M Venkataraman	,,	CWS	1-7-75
6	Shri N Gopalaswami	,,	ELD	1-3-76
7	Shri S P M Sundaram	,,	,,	1-8-75
8	Shri E C Chacko	,,	ETD	1-1-76
9	Shri U R Fernandez	,,	FRP	1-7-75
10	Shri P Balakrishnan	,,	MQC	20-4-75
11	Smt. M N Radhakumari	,,	,,	1-1-76
12	Shri M A Nanjundaswamy	,,	PED	1-7-75
13	Shri Trama Prem Kumar	,,	,,	1-7-75
14	Shri M J Verghese	,,	,,	1-1-76
15	Shri K Venugopalan	,,	,,	1-7-75
16	Shri Manlyan Nambikutty	,,	PSN	1-7-75
17	Shri Joseph M Dominic	,,	RFF	1-7-75
18	Shri K Bhaskaran Nair	,,	,,	1-7-75
19	Shri A R M Kunju	,,	,,	1-7-75
20	Shri M Surendra Kurup	,,	,,	24-7-75
21	Shri K O Damodaran Nambiar	,,	SLV	1-1-76
22	Shri S Jagadeesan	,,	,,	1-7-75
23	Shri P V Ramachandran Pillai	,,	,,	1-7-75
24	Shri Salik Ram Patel	,,	,,	1-7-75
25	Shri M C Varghese	,,	,,	1-7-75
26	Shri A Gopala Iyer	,,	SRF	1-1-76
27	Shri K Raghavan	,,	STR	18-6-75
28	Shri O T Joy	,,	GSD/T	1-1-76
29	Shri A Mariswamy	,,	,,	1-7-75
30	Shri V Ravindran Pillai	,,	,,	1-4-75
31	Shri P K Narayanan	,,	RED/T	1-7-75
32	Shri M Thyagasundaram	,,	,,	1-7-75
33	Shri N Velappan Nair	,,	,,	1-7-75
34	Shri P Balakrishnan	,,	VFT/T	11-9-
35	Shri Munna Lal Baranga	,,	VIKAS	
36	Shri P Sivaramakrishnaiah	,,	,,	

No. VSSC/EST/01-37—Consequent on the conversion of the Indian Space Research Organisation into a Government body with effect from 1st April, 1975, the following Officers as per Annexure are appointed to the posts shown against each with effect from 1st April, 1975, in the Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum.

ANNEXURE

Sl. No.	Name	Desig-nation	Divn.	Grade
1	Shri M Karunakaran	Scientist/ Eng. SB	ARD	650-30-740-35-880-EB-40-960
2	Shri K K Unnithan	,,	,,	,,
3	Shri E N Raju	,,	CGI	,,
4	Shri S Venkataraman	,,	,,	,,
5	Shri N Girijan	,,	CWS	,,
6	Shri P Sam Jacob	,,	,,	,,
7	Shri V Sankaranarayanan	,,	,,	,,
8	Smt. K Radhamma	,,	ELD	,,
9	Shri P Tharma Cruz	,,	ETD	,,
10	Shri P N Prabhakaran	,,	FRP	,,
11	Shri S Krishnamoorthy	,,	IPSO	,,
12	Shri C S Ramanatarajan	,,	,,	,,
13	Shri A George	,,	MQC	,,
14	Shri C M Chacko	,,	PED	,,
15	Shri S S Frederick	,,	,,	,,
16	Shri K Haridas	,,	,,	,,
17	Shri A V Krishnan	,,	,,	,,
18	Shri K M Mathew	,,	,,	,,
19	Shri P Padmakumaran	,,	,,	,,
20	Shri M R Ravindra Prasad	,,	,,	,,
21	Shri K Sreenivasa Bhat	,,	,,	,,
22	Shri K P Kamath	,,	PMD	,,
23	Shri M S Gaikward	,,	PEN	,,
24	Smt. Rajalakshmi Gopal	,,	,,	,,
25	Shri V Ravindranathan	,,	,,	,,
26	Shri H Venkiteswara Iyer	,,	,,	,,
27	Shri J Kishan Rao	,,	QAD	,,
28	Shri K Dhananjayan	,,	RFF	,,
29	Shri K Mathew	,,	,,	,,
30	Shri G M Pillai	,,	,,	,,
31	Shri K J Pouloso	,,	,,	,,
32	Shri V Sivaramakrishnan	,,	,,	,,
33	Shri T Sreedharan	,,	,,	,,
34	Shri C S Viswambaran Nair	,,	,,	,,
35	Shri K V R Warrier	,,	,,	,,
36	Shri K K Dhanadevan	,,	RPP	,,
37	Shri S Gopalakrishnan Nair	,,	,,	,,
38	Shri K V Hariharan Nair	,,	,,	,,
39	Shri V K John	,,	,,	,,
40	Shri K Krishnan	,,	,,	,,
41	Shri V R Sasidhara Kaimal	,,	,,	,,
42	Shri C Sasidharan Nair	,,	,,	,,
43	Shri M Venkatachalam	,,	,,	,,
44	Shri G Subramanian	,,	RSI	,,
45	Shri P Arumugam	,,	RSR	,,
46	Shri K Channiappan	,,	,,	,,
47	Shri K Ramachandra	,,	SLV	,,
48	Shri M Ebenezer	,,	SRF	,,
49	Shri M Lakshmanan	,,	,,	,,
50	Shri V Padmanabhan	Supr. AGR	,,	,,
51	Shri K Ramachandra Kurup	Scientist/ Engr. SB	STF	,,

Sl. No.	Name	Designation	Divn.	Grade
52	Shri E.S.M. Basha	Scientist/ Engr. SB	S T R	650-30-740-35-880-EB-40-960.
53	Shri R.M. Divakaran	,,	,,	,,
54	Shri N. Gopalaswamy	,,	S W M	,,
55	Shri P. V. Varghese	,,	C O M/T	,,
56	Shri B. Gowrishanker	,,	R E D/T	,,
57	Shri P. Rangarajan	,,	P T U	,,
58	Shri K. Subramanian	,,	VIKAS	,,

K. S. NAIR, Admn Officer II (EST)
for Director

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 10th May 1976

No. E(1)04285.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri N. V. Parameswaran, Prof. Assistant, Office of the Dy. Director General of Observatories (Climatology & Geophysics), Poona, as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of sixty two days with effect from the forenoon of 19-4-76 to 19-6-76.

Shri Parameswaran, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the office of Dy. Director General of Observatories (Climatology & Geophysics), Poona.

The 12th May 1976

No. E(1)05868.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri Chander Parkash, Professional Assistant, Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi to officiate as Assistant Meteorologist in an officiating capacity for a period of 47 days with effect from the forenoon of 1-4-1976 to 17-5-1976.

Shri Chander Parkash, Officiating Assistant Meteorologist remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

G. R. GUPTA
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 7th May 1976

No. A.31011/1/75-EC.—The President is pleased to appoint the following three officers in a substantive capacity in the grade of Senior Technical Officer in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department with effect from the date shown against each :—

1. Shri S. C. Majumdar—4-9-1971
2. Shri K. V. N. Murthy—26-2-1973
3. Shri R. S. Goela—3-3-1973.

No. A. 32013/4/76-EC—The President is pleased to appoint the following Assistant Technical Officers to the grade of Technical Officer on ad-hoc basis for a period of six months or till regular appointment are made whichever is earlier with effect from the date indicated against each, and to post them at the stations indicated against each :—

S. No.	Name and Designation	With effect from	Station to which posted.
1.	Shri B. N. Godbole, A.T.O.	7-4-76 (FN)	Regional Office, Bombay.
2.	Shri P. J. Iyer, A.T.O.	9-4-76 (FN)	A.C.S., Calcutta.
3.	Shri V. Alagiri, A.T.O.	8-4-76 (FN)	A.C.S., Madras.
4.	Shri L. P. Singh A.T.O.	19-4-76 (FN)	A.C.S., Jaipur.

No. A.31014/2/75-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following two officers in a substantive capacity in the grade of Assistant Technical Officer in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department with effect from the 1st May, 1975 :—

1. Shri H. S. Gahley.
2. Shri S. K. Dass.

No. A.22015/14/76-ES.—Consequent upon departmentalisation of accounts, Shri G. C. Pant assumed charge of the Office of Accounts Officer, Central Pay & Accounts Office, Civil Aviation Department, New Delhi on the forenoon of the 1st April, 1976.

The 10th May 1976

No. A.22015/16/76-ES.—Shri P. S. Ramachandran assumed charge of the office of Accounts Officer in the Regional Pay & Accounts Office, Civil Aviation Department, Madras on the afternoon of the 1st April, 1976.

The 18th May 1976

No. A.32013/18/75-EC.—The President is pleased to appoint the following two officials in the grade of Assistant Director of Communication on a regular basis with effect from the date indicated against each and until further orders and to post them in the same office.

S. No. Name, Designation and Date :

1. Shri S. M. Gupta, Senior Communication Officer, C.A.D., R. K. Puram, New Delhi—20-4-1976.
2. Shri A. N. Nath, Sr. Tech. Officer, Civil Aviation Department, R. K. Puram, New Delhi—20-4-1976.

No. A.38012/1/75-EC.—Shri S. V. Iyer, Senior Technical Officer in the office of the Regional Director, Madras Region, Madras Airport, Madras relinquished charge of his office on the 30-4-1976 (AN) on retirement from Government service on attaining the age of superannuation.

H. L. KOHLI
Dy. Director (Administration)

New Delhi, the 6th May 1976

No. A.19014/37/72-EH.—On his transfer to Central Water Commission, New Delhi, Shri B. S. Mittal relinquished charge of the office of Statistical Officer in the Civil Aviation Department on the 30th April, 1976 (A.N.).

S. L. KHANDPUR
Assistant Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the May 1976

No. 1/404/76-EST.—Shri S. Das Gupta, Permanent Superintendent, Calcutta Branch is appointed as Assistant Administrative Officer in an officiating capacity in Field Office, Dehra Dun, with effect from the forenoon of the 8th April, 1976, and until further orders.

P. G. DAMLE
Director General

Bombay, the May 1976

No. 1/254/76-EST.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri F. Paaliath, permanent Supervisor, Madras Branch as Deputy Traffic Manager, in an officiating capacity in the same Branch for the period from 26-2-1976 to 3-4-1976 (both days inclusive) against a short-term vacancy.

M. S. KRISHNASWAMY
Administrative Officer
for Director General

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Patna, the 26th April 1976

C. No. II(7)5-ET/75/4001.—Sri B. P. Gupta, confirmed Superintendent Class II Central Excise and Customs Collectorate, Patna has retired from service on Superannuation with effect from 31-3-76 (A.N.).

The 7th May 1976

C. No. II(7)5-ET/75/4228.—In pursuance of this office Estt. order No. 133/76 dated 21-4-76 issued under endt. C. No. II(3)51-ET/76/28093-151 dated 21-4-76 appointing Sri B. L. Ghosh, office Superintendent of Central Excise and Customs to officiate as Administrative officer, Central Excise Class-II in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 plus usual allowances as admissible under rules, Sri B. L. Ghosh assumed charge as Administrative Officer, Central Excise Divisional office, Patna in the forenoon of 26-4-1976.

H. N. SAHU
Collector
Central Excise, Patna

DIRECTORATE OF INSPECTION CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

New Delhi, the 18th May 1976

No. 4/76.—The Director of Inspection, Customs and Central Excise, New Delhi regrets to announce the death of Shri S. R. Narang, Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Class II in the Hqrs. of the Directorate of Inspection, Customs and Central Excise at New Delhi on 28-3-76.

S. VENKATARAMAN
Director of Inspection

MINISTRY OF ENERGY

(DEPTT. OF POWER)

OFFICE OF FINANCIAL ADVISER & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

CENTRAL HYDRO ELECTRIC PROJECTS CONTROL BOARD

New Delhi-110029, the 4th May 1976

No. FA/Estt.I(29)2017.—Shri Ram Krishan Gupta, a permanent Section Officer of the office of the Chief Auditor, Northern Railway, New Delhi is appointed on deputation basis to officiate as Inspecting Officer in the office of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Central Hydro Electric Projects Control Board, New Delhi with effect from the forenoon of the 11th March, 1976 until further orders.

K. R. RABINDRANATH
F.A. & C.A.O.

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22, the 6th May 1976

No. A-19012/577/76-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint Shri M. S. Randhawa, Professional Assistant (Hydro-Met) as Extra Assistant Director (Hydro-Met) in the Central Water Commission on a purely temporary and *ad-hoc* basis in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40 — 1200, with effect from the forenoon of 5th April, 1976, until further orders.

Shri M. S. Randhawa assumed charge of the office of the Extra Assistant Director (Hydro-Met) in the Central Water Commission with effect from the above date and time.

No. A-19012/304/72-Adm.V.—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri D. N. Issar, relinquished charge of the office of Assistant Research Officer, Central Water Commission, New Delhi, with effect from the afternoon of the 31st March, 1976, and retired from Government service with effect from the same date and time.

The 7th May 1976

No. A-12017/5/76-Adm.V.—The Chairman, Central Water Commission is pleased to appoint Shri A. T. Das, Research Assistant (Chemistry) to the grade of Assistant Research Officer (Scientific-Chemistry Group) in the Central Water Commission in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 on a purely temporary and *ad-hoc* basis, for a period of six months with effect from the forenoon of 7-4-76 till Shri D. K. Sundd, the regular officer in the grade becomes available or Shri A. K. Palit reverts, whichever is earlier.

JASWANT SINGH
Under Secretary
for Chairman, C.W. Commission

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 17th May 1976

No. E/M(47)/71-EC.II.—Shri M. C. Mathur, Surveyor of Works, attached to Supdt. Surveyor of Works (SWZ) C.P.W.D. Bombay, expired on 30-3-1976.

P. S. PARWANI
Dy. Director of Admin.

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110022, the 3rd April 1976

No. 4/5/75-Adm.III.—The Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints Shri Shashi Kant to the grade of Indian Interpreter in the Central Electricity Authority, New Delhi, in a substantive capacity with effect from 16-9-72.

M. L. HANDA
Under Secretary
for Chairman

MINISTRY OF RAILWAYS

RESEARCH DESIGNS & STANDARDS ORGANISATION

Lucknow-226011, the 11th May 1976

No. EII/ES/CFM/Psy.-Tech/O.—Shri S. K. Singh, is confirmed as Scientific Officer (Psychology) in junior scale, in the Psycho-Technical Cell of Research Designs & Standards Organisation, Lucknow with effect from 22nd December, 1975.

Shri K. G. Virmani is confirmed as Junior Scientific Officer (Psychology) in Class II in the Psycho-Technical Cell of Research Designs & Standards Organisation, Lucknow with effect from 22nd December, 1975.

R. M. SAMBAMOORTHI
Director General

INTEGRAL COACH FACTORY

GENERAL MANAGER'S OFFICE

PERSONNEL BRANCH/SHELL

Madras-600038, the 8th May 1976

No. PB/GG/9/Misc. II.—Shri M. H. BALAKRISHNAN, Officiating Data Processing Manager (S.S.) has been promoted to J.A. grade on *ad-hoc* basis and posted as Officiating Deputy Chief Mechanical Engineer/Planning (J.A.) with effect from 10-3-1976 (A.N.).

Shri P. R. NARAYANAN, Officiating Assistant Mechanical Engineer/Jig and Tool (Class II) has been promoted to officiate in Senior Scale on *ad-hoc* basis as Production Engineer/Planning/Fur. with effect from 10-3-1976 (A.N.).

Shri C. SANKARAN, Officiating Assistant Personnel Officer/Reservation (Class II) (Provisional) has been reverted to Class III service from 19-3-1976. However he is again promoted to officiate provisionally in Class II service as Assistant Personnel Officer/Research with effect from 1-4-1976.

S. SUBRAMANIAN
Deputy Chief Personnel Officer
for General Manager

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

Pandu, the 6th May 1976

1. E/283/III/128 PIII (O) Shri A.C. Bannerjee, AEE (Class II) is appointed to officiate in Senior Scale purely on *ad hoc* measure as Divisional Electrical Engineer with effect from 7-9-75.

2. E/283/III/133 PIV(O) Shri C. R. Mukherjee, CTCI (Class III) is appointed to officiate in Class II service purely on *ad hoc* measure as Assistant Signal & Tele: Communication Engineer with effect from 8-9-75.

3. E/283/III/128 PIII(O) Shri K. K. Dutta, AEE (Class II) is appointed to officiate in Sr. Scale purely on *ad hoc* measure as Divisional Electrical Engineer with effect from 11-9-75.

4. E/283/III/54/PVII (O) Shri M. R. Mandal, (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Works Manager with effect from 23-9-75.

5. E/283/82 Pt. X (O) Shri S. C. De, Assistant Operating Supdt. (Cl. II) is appointed to officiate in Senior Scale purely on *ad hoc* measure as Divisional Safety Officer with effect from 1-10-75.

6. E/283/82 Pt. X (O) Shri J. C. Talukder, PA to CCS (Class III) is appointed to officiate in Class II service purely on *ad hoc* measur as Assistant Commercial Supdt. with effect from 1-10-75.

7. E/283/82 PX (O) Shri N. N. Sarkar, DYC (Class III) is appointed to officiate in Class II service purely on *ad hoc* measure as Assistant Operating Supdt. with eff3ct from 3-10-75.

8. E/283/III/142 PII(O) Shri R. N. Prasad, Inspector Prosecution (Cl. III) is appointed to officiate in Class II service purely on *ad hoc* measure as Assistant Security Officer with effect from 14-11-75.

9. E/283/III/142 PII(O) Shri G.K. Das, Inspector/Fire (Class III) is appointed to officiate in Class II service purely on *ad hoc* measure as Assistant Security Officer with effect from 17-11-75.

10. E/283/31 Pt. VIII(O) Shri A. T. Moitra, Assistant Engineer (Class II) is appointed to officiate in Senior Scale purely on *ad hoc* measure as PA to CE with effect from 21-11-75.

11. E/283/31 Pt. VIII(O) Shri A. K. Mitra, HDM (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Engineer with effect from 25-11-75.

12. E/283/31 Pt. VIII(0) Shri M. M. Sinha Mahapatra, BRI (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Asstt. Bridge Engineer with effect from 25-11-75.

13. E/283/31 Pt. VIII (0) Shri S. K. Roy, Assistant Engineer (Class II) is appointed to officiate in Senior Scale purely on *ad hoc* measure as Divisional Engineer with effect from 26-11-75.

14. E/283/31 Pt. VIII(0) Shri U. R. Chakraborty, Assistant Bridge Engineer (Class II) is appointed to officiate Senior Scale purely on *ad hoc* measure as Executive Engineer with effect from 27-11-75.

15. E/283/III/142 PIII(O) Shri B. K. Banerjee Chowdhury, IPF (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Security Officer with effect from 12-12-75.

16. E/283/III/142 PIII(O) Shri A. K. Bhowmick, IPF (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Security Officer with effect from 16-12-75.

17. E/283/31 Pt. VIII(O) Shri M. N. Sharma, BRI (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Engineer with effect from 24-12-75.

18. PNO/AD/66/215 Pt. IV Shri A.C. Biswas, ISA (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Accounts Officer with effect from 8-1-76.

19. PNO/AD/66/215 Pt. IV Shri R. N. Bhargava, TIA to (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Accounts Officer with effect from 9-1-76.

20. E/283/III/54 Pt. VII(O) Shri A. Das Gupta, LI (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Mechanical Engineer with effect from 30-1-76

21. PNO/AD/65/215 Pt. IV. Shri K. B. Majumder, Section Officer (Class III) is appointed to officiate in Class II service purely on *ad hoc* measure as Assistant Accounts Officer with effect from 1-2-76.

22. E/283/III/54 PVII(V) Shri D. Sarkar, Assistant Mechanical Engineer (Class II) is appointed to officiate in Senior Scale purely on *ad hoc* measure as Divisional Mechanical Engineer with effect from 3-2-76.

23. PNO/AD/65/215 Pt. IV Shri R. K. Kar, Section Officer (Class III) is appointed to officiate in Class II service purely on *ad hoc* measure as Assistant Accounts Officer with effect from 4-2-76.

24. E/283/III/54 PVI(O) Shri K.V. S. S. Prasad Rao, Supdt. Spectograph (Cl. III) is appointed to officiate in Class II service purely on *ad hoc* measure as Assistant Chemist and metallurgist with effect from 9-2-76.

25. E/283/31 Pt. IX (O) Shri S. Ghosh, Chief Design Assistant (Class III) is appointed to officiate in Class II service as Assistant Engineer with effect from 17-2-76.

26. E/283/82 Pt. PX(O) Shri H. N. Pakrashi, Assistant Commercial Supdt. (Class II) is appointed to officiate in Senior Scale purely on *ad hoc* measure as Area Officer with effect from 25-2-76.

27. E/283/31 Pt. IX(O) Shri M. K. Deb Verma, Assistant Engineer (Class II) is appointed to officiate in Senior Scale as Executive Engineer with effect from 27-2-76.

H. L. VERMA, General Manager

NORTHERN RAILWAY
HEADQUARTERS OFFICE

New Delhi, the 7th May 1976

No. 9.—Shri B. P. Srivastava, Asstt. Personnel Officer (Cl. II) who is at present working on Central Railway is confirmed provisionally w.e.f. 14-12-72 & finally w.e.f. 1-7-73 in the Civil Engg. Deptt.

P. R. PUSALKAR
General Manager

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION
DEPARTMENT OF SUPPLY

NATIONAL TEST HOUSE

Calcutta, the 5th May 1976

No. G-65/B(CON).—In continuation of this office notification of even number dated 14-8-1975, the Director, National Test House, Calcutta is pleased to extend the period of *ad-hoc* appointment of Shri S. C. Parbat as Scientific Officer (Chemical) in the National Test House, Calcutta beyond 31-12-1975, until further orders.

No. G-65/B(CON).—In continuation of this office notification of even number dated 14-8-1975 the Director, National Test House, Calcutta is pleased to extend the period of *ad-hoc* appointment of Shri P. C. Pradhan as Scientific Officer (Electrical) in the National Test House, Calcutta beyond 31-12-1975, until further orders.

S. K. CHATTOPADHYAY
Asstt. Director (Admn.)
for Director National Test House

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(COMPANY LAW BOARD)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Narkatiaganj Sugar Mills Limited

Bombay-400002, the 4th May 1976

No. 16454/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Narkatiaganj Sugar Mills Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Foremost Agencies Limited

Bombay-400002, the 10th May 1976

No. 15763/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Foremost Agencies Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Presidency Industrial Bank Limited

Bombay-400002, the 10th May 1976

No. 2566/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Presidency Industrial Bank Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Galileo Instruments Limited

Bombay-400002, the 10th May 1976

No. 12347/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Galileo Instruments Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. NARAYANAN
Addl. Registrar of Companies
Maharashtra, Bombay

In the matter of Companies Act, 1956 and of THE 'V' AGENCY PRIVATE Limited.

Calcutta, the 5th May 1976

No. 10760/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of The 'V' Agency Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Hindusthan Jute Dealers Private Limited

Calcutta, the 5th May 1976

No. 19471/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of Hindusthan Jute Dealers Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Dacca Picture Palace Limited

Calcutta, the 5th May 1976

No. 5204/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of Dacca Picture Palace Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Ideal Fabrication Works Private Limited

Calcutta, the 5th May 1976

No. 26554/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of Ideal Fabrication Works Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Boseck & Boseck Private Limited

Calcutta, the 5th May 1976

No. 22139/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of Boseck & Boseck Private Limited has this day been struck off and the said company is dissolved.

S. C. NATH
Asstt. Regisrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956, and of Sincere Money Enterprises Private Limited

Hyderabad, the 10th May 1976

No. 885/T(560)(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act 1956, that the name of Sincere Money Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

O. P. JAIN
Registrar of Companies
Andhra Pradesh, Hyderabad

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Pankaj Trade Enterprises Private Limited

Ahmedabad, the 12th May 1976

No. 1768/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Pankaj Trade Enterprises Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Sea Weeds Extraction Private Limited

Ahmedabad, the 12th May 1976

No. 2587/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Sea Weeds Extraction Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

J. G. GATHA
Registrar of Companies
Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Wraps and Packs Private Limited

Cochin, the 12th May 1976

No. 2197/Liq/6226/76.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act, 1956, that on the Company Petition No. 17 of 1974 M/s. Wraps and Packs Private Limited has been ordered to be wound up by an order dated 16-9-1975 passed by the High Court of Kerala and that the Official Liquidator attached to the High Court of Kerala has been appointed as the Official Liquidator of the company.

P. S. ANWAR
Registrar of Companies
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Wheato Laboratories Limited (In Liquidation)

Jullundur, the 15th May 1976

No. Stat/1320/Liqn/560/3853.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Wheato Laboratories Limited (In Liquidation) has this day been struck off and the said company is dissolved.

P. S. MATHUR
Registrar of Companies
Punjab, Himachal Pradesh & Chandigarh

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 15th May 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1036(395)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority under section 269 B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 81/A, Sub-Plot No. 7
situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad (and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ahmedabad on 10-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Roopaliben Chandulal Patel,
v. Usmanpura, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Saumil Flats Co-op. Housing Society Ltd.,
C/o. Kanubhai Bhagubhai Patel,
Ami Corporation, 5 Royal Apartments,
Khanpur, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 833 sq. yards bearing Survey No. 81/A Sub-Plot No. 7, & situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad.

J. KATHURIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 15-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 15th May 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1037(396/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 81/A, Sub-Plot No. 5
situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ahmedabad on 10-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

19—106 GI/76

(1) Rashmikant Chandulal Patel,
v. Usmanpura, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Saumil Flats Co-op. Housing Society Ltd.,
C/o. Kanubhai Bhagubhai Patel,
Ami Corporation, 5 Royal Apartments,
Khanpur, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 834 sq. yards bearing Survey No. 81-A Sub-Plot No.5, & situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad.

J. KATHURIA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 15-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 15th May 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1038(397)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 81/A, Sub-Plot No. 2
situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto) has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer at
Ahmedabad on 10-9-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid
exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Rukmaniben Parshottamdas Patel,
v. Usmanpura, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Saumil Flats Co-op. Housing Society Ltd.,
C/o. Kanubhai Bhagubhai Patel,
Ami Corporation, 5 Royal Apartments,
Khanpur, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring in all 2500 sq. yards bearing Survey No. 81/A, Sub-Plot No. 2 & situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad and transferred in two documents as per details given below :—

S. No.	Document No./ Date	Area	Sub-plot/ Sur. No.	Consideration
				Rs.
1.	12576/10-9-1976	1250 sq. yds.	SP No. 2 Sur No.81-A	41,250/-
2.	12590/10-9-1975	1250 sqq. yds.	S. P. No. 2 Sur.No.81/A	41,250/-

J. KATHURIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 15-5-1976
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 15th May 1976

Ref. No. 23-I-1039(398)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 81/A, Sub-Plot No. 3 situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 10-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Manojkumar Haribhai Patel,
V. Usmanpura, Ahmedabad.
[redacted] (Transferor)

(2) Saumil Flats Co-op. Housing Society Ltd.,
C/o. Kanubhai Bhagubhai Patel,
Ami Corporation, 5 Royal Apartments,
Khanpur, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 2500 sq. yards bearing Survey No. 81A, Sub-Plot No. 3, & situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad and transferred vide two documents as per details given below :—

S. No.	Document No./ Date	Area	S.P. No./ Sur. No.	Consideration
				Rs.
1.	12594/10-9-1975	1250 sq. yds.	3	41,250/-
2.	12595/10-9-1975	1250 sq. yds.	3	41,250/-

J. KATHURIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 15-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 15th May 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1040(399)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 81/A, Sub-Plot No. 11
situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ahmedabad on 10-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Nareshkumar Bachubhai Patel,
V. Usmanpura, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Saumil Flats Co-op. Housing Society Ltd.,
C/o. Kanubhai Bhagubhai Patel,
Ami Corporation, 5 Royal Apartments,
Khanpur, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1250 sq. yards bearing Survey No. 81/A Sub-Plot No. 11 & situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad.

J. KATHURIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 15-5-1976
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 15th May 1976

Ref. No. Acq. 23-I-1041(400)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 81/A, Sub-Plot No. 12
situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Ahmedabad on 10-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act,' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Kusumben Bansilal Patel,
V. Usmanpura, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Saumil Flats Co-op. Housing Society Ltd.,
C/o. Kanubhai Bhagubhai Patel,
Khanpur, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 1250 sq. yards bearing Survey No. 81/A, Sub-Plot No. 12, & situated at Memnagar, Nr. Drive-in Cinema, Ahmedabad.

J. KATHURIA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 15-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
DHARWAR

Dharwar, the 15th May 1976

Notice No. 116/76-77/Acq.—Whereas, I, G. M. KULKARNI, Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Dharwar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
known as Soondhully Coffee Estate,
situated at Soondhully Village, Manjarabad Taluk of Hassan District.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Sakaleshpur under Document No. 713 on 18-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer, and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section, 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Dr. Dajah Sir Muthiah Chettiar of Chettinad, residing at Chettinad House, Rajah Annamalaipuram, Madras-28.

(Transferor)

(2) 1. Mrs. Jeanette Menezes, W/o P. F. Menezes.
2. Mrs. Enid Prabus W/o Alwyn Prabhu.
3. Mr. Arthur J. Pinto, S/o B. F. Pinto.
4. Miss Genevine Pinto, D/o B. F. Pinto.
5. Miss Rose Marrie Pinto, D/o B. F. Pinto.
6. Miss Juanita Pinto, D/o B. F. Pinto.
minor represented by her father B. F. Pinto.
7. M. R. J. B. Martin, S/o G. M. Martin,
all residents of Soondhully Estate, Soondhully Village Balagodu Post, Manjarabad Taluk of Hassan District.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Soondhully Coffee Estate Comprising of 305 Acres and 8 gunthas, situated at Soondhully Village, Manjarabad Taluk of Hassan District.

G. M. KULKARNI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Dharwar

Date : 15-5-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, DHARWAR

Dharwar, the 15th May 1976

Notice No. 115/76-77/Acq.—Whereas, I, G. M. KULKARNI, Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Dharwar,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
known as DOD Lackoonda Coffee Estate,
situated at Lackoonda Village, Taluk of Hassan District.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Belur, under Document Number 1180 on 18-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Dr. Rajah Sir Muthaiah, Chettiar of Chettinad, S/o. Late Rajah Sir Annamalai Chettiar residents Chettinad House, Rajah Annamalipur, Madras-28.
2. Sri M. A. M. Ramaswamy Chettiar of Chettinad S/o Dr. Rajah Sir Muthiah Chettiar of Chettinad address as above.
3. Kumara Rani Meenakshi Achi of Chettinad w/o Late Kumara Rajah M. M. M. Muthiah Chettiar of Chettinad,

(Transferor)

(2) 1. Shri B. A. Saldanha, S/o Belchar Saldanha,
2. Shri Philip F. Saldanha,
3. Shri N. F. P. Saldanha,
4. Shri R. G. Saldanha,
All reshidents of Norbert Estate, Kundur (P.O.) of Mudigere Taluk, Hassan District.

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

DOD Lackoonda Coffee Estate Comprising of 301 Acres and 38 Gunthas situated at Lackoonda Village, Belur Taluk of Hassan District.

G. M. KULKARNI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range,, Dharwar

Date : 15-5-1976
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 17th April 1976

Ref. No. P.R. No. 338 Acq.23-478/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 266, situated at Tarsali, Dist. Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 3-9-1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Dhulabhai Prabhudas Patel,
Tarsali, Dist. Baroda.
(Transferor)

(2) Shri Arvindbhai Morarji Bhakta & others,
Chorwad, Tal. Vaghra, Dist. Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said Property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land beaing Sur. No. 266, situated at Tarsali, Dist. Baroda admeasuring 8 acre 3 gunthas as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975 under registration No. 5136 by the registering Officer, Baroda-I.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II, ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 17th April 1976

Ref. No. P.R. No. 339 Acq.23-481/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
113 and 155, situated at Subhanpura, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

20—106GI/76

(1) Shri Shankerbhai Kalidas Patel,
Subhanpura, Baroda.
(Transferor)

(2) Shaimi Coop. Housing Society Ltd.,
C/o J. C. Patel, Power of Attorney Holder,
Advocate, Dandia Bazar,
Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 113 and 155, situated at Subhanpura, Baroda admeasuring 2 acre and 33 gunthas as described in the sale deed registered in the month of September, 1975 under Nos. 4705, 4707 and 4709 by the registering Officer, Baroda-II.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income Tax, Acquisition Range II,
Ahmedabad

Date ; 17-4-1976

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHEMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 17th April 1976

Ref. No. P.R. No. 340 Acq.23-581/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 627, 628 & 629,
situated at Kalali Road, Atladra,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registerating Officer at
Baroda in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Pam Manufacturing Corporation,
'Shobham', Haribhakti Colony,
Race Course, Baroda-7.

(Transferor)

(2) Transpek Industry Pvt. Ltd.
635, Kalali Road, Atladra, Dist. Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Pieces and parcels of vacant land situated at Kalali Road, Atladra, admeasuring 5 Acres 35 gunthas bearing S. No. 627, 628 and 629 with Pacca built building thereon admeasuring 17.25 m × 31 m.together with ele. fittings steam water, connection with fittings two bore wells with pumps and overhead storage tank with barred wire fencing on three sides as described in the sale deed registered under Reg. No. 5142 in the month of September, 1975 by registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 17-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 22nd April 1976

Ref. No. P.R. No. 342 Acq.23-667/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Nondh No. 300A Ward No. 13, F.P. No. 279, situated at Athwa Lines, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 30-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Nagindas Chunilal Jariwala;
Balaji Road, Opp. Sarwajnik High School for Girls, Surat-395003.
(Transferor)

(2) M/s. Majumdar & Associates
C/o. M. J. Engineers & Builders,
11/208, Bhaga Talav, Surat.
(through : Partner Avinash S. Majmudar).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing Nondh No. 300A Ward No. 13, Final Plot No. 279 admeasuring 832 sq. yds, situated at Athwa Lines, Surat and fully described in the registered sale-deed No. 2065 of Sept., 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 22-4-1976

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 22nd April 1976

Ref. No. P.R. No. 343 Acq.23-511/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 136 paiki Plot No. 1,
situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat on 11-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) 1. S/Shri Karsandas Ranchhoddas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
2. Daliben Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
3. Rameshchandra Karsandas
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
4. Pravinbhai Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
5. Liliben Wd/o. Ghelabhai Ranchhoddas,
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
6. Hasmukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
7. Dhansukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
8. Chimanlal Ghelabhai,
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
(Transferor)

(2) Rasik Land Developers & Organisors,
10/750, Havadia Chakla, Ambaji Road, Surat through its managing partners :
1. Babubhai Mulchanddas Modi;
2. Pranshanker Fakirbhai Rawal.
(Transferee)

(3) M/s. Vishwakarma Industrial Coop. Society.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defiined in Chapter XXA of the, said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 136 paiki Plot No. 1. admeasuring 1805 sq. yds. situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat as fully described in registered sale-deed No. 4858 of September, 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 22-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 22nd April 1976

Ref. No. P.R. No. 344 Acq.23-511/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 136, paiki Plot No. 2,
situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 11-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Shri Karsandas Ranchhoddas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
2. Daliben Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
3. Rameshchandra Karsandas
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
4. Pravinbhai Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
5. Liliben Wd/o. Ghelabhai Ranchhoddas,
Navsari Bazari, Daxini Mohollo, Surat.
6. Hasmukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
7. Dhansukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
8. Chimanlal Ghelabhai,
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
(Transferor)

(2) Rasik Land Developers & Organisors,
10/750, Havadia Chakla, Ambaji Road, Surat through its managing partners :
1. Babubhai Mulchanddas Modi;
2. Pranshanker Fakirbhai Rawal.
(Transferee)

(3) M/s. Vishwakarma Industrial Coop. Society.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 136 paiki Plot No. 2, admeasuring 1480 sq. yds. situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat as fully described in registered sale-deed No. 4856 of September, 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 22-4-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 22nd April 1976

Ref. No. P.R. No. 345 Acq.23-511/19-7/75-76.—Whereas, I,
P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 136, paiki Plot No. 3,
situated at Mojc Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 11-9-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property
and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the trnasferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

S/Shri

(1) 1. Karsandas Ranchhoddas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
2. Daliben Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
3. Rameshchandra Karsandas
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
4. Pravinbhai Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
5. Liliben Wd/o. Ghelabhai Ranchhoddas,
Navsari Bazari, Daxini Mohollo, Surat.
6. Hasmukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
7. Dhansukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
8. Chimanlal Ghelabhai,
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
(Transferor)

(2) Rasik Land Developers & Organisors,
10/750, Havadia Chakla, Ambaji Road, Surat through its managing partners :
1. Babubhai Mulchanddas Modi;
2. Pranshanker Fakirbhai Rawal.
(Transferee)

(3) M/s. Vishwakarma Industrial Coop. Society.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 136 paiki Plot No. 3 admeasuring 715 sq. yds. situated at Mojc Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat as fully described in registered sale deed No. 4857 of September, 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 22-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 22nd April 1976

Ref. No. P.R. No. 346 Acq.23-511/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 136 paiki Plot No. 4,
situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat on 11-9-1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

S/Shri
(1) 1. Karsandas Ranchhoddas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
2. Daliben Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
3. Rameshchandra Karsandas
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
4. Pravinbhai Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
5. Liliben Wd/o. Ghelabhai Ranchhoddas,
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
6. Hasmukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
7. Dhansukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
8. Chimanlal Ghelabhai,
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
(Transferor)

(2) Rasik Land Developers & Organisors,
10/750, Havadia Chakla, Ambaji Road, Surat through its managing partners :
1. Babubhai Mulchanddas Modi:
2. Pranshanker Fakirbhai Rawal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the Service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 136 paiki Plot No. 4 admeasuring 2406 sq. yds. situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat as fully described in registered sale deed No. 4861 of September, 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 22-4-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 22nd April 1976

Ref. No. P.R. No. 347 Acq.23-511/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 136 paiki Plot No. 5,
situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 11-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. S/Shri Karsandas Ranchhoddas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
2. Daliben Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
3. Rameshchandra Karsandas
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
4. Pravinbhai Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
5. Liliben Wd/o. Ghelabhai Ranchhoddas,
Navsari Bazari, Daxini Mohollo, Surat.
6. Hasmukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
7. Dhansukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
8. Chimanlal Ghelabhai,
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
(Transferor)

(2) Rasik Land Developers & Organisors,
10/750, Havadia Chakla, Ambaji Road, Surat through its managing partners :
1. Babubhai Mulchanddas Modi;
2. Pranshanker Fakirbhai Rawal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 136 paiki Plot No. 5 admeasuring 1983 sq. yds. situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat at fully described in registered sale deed No. 4859 of September, 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income Tax, Acquisition Range II,
Ahmedabad

Date : 22-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-(TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 22nd April 1976

Ref. No. P.R. No. 348, Acq.23-511/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason, to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Sur. No. 136 paiki Plot No. 6,
situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 11-9-1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely—

21—106GI/76

(1) 1. S/Shri Karsandas Ranchhoddas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
2. Daliben Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
3. Rameshchandra Karsandas
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
4. Pravinbhai Karsandas,
Bandukara Naka, Lal Darwaja, Surat.
5. Liliben Wd/o. Ghelabhai Ranchhoddas,
Navsari Bazari, Daxini Mohollo, Surat.
6. Hasmukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
7. Dhansukhlal Ghelabhai
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
8. Chimanlal Ghelabhai,
Navsari Bazar, Daxini Mohollo, Surat.
(Transferor)

(2) Rasik Land Developers & Organisors,
10/750, Havadia Chakla, Ambaji Road, Surat through its managing partners :
1. Babubhai Mulchanddas Modi;
2. Pranshanker Fakirbhai Rawal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in wrong to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 136 paiki Plot No. 6 admeasuring 2490 sq. yds. situated at Moje Fulpada Taluka Chorasi, Dist. Surat as fully described in registered sale deed No. 4860 of September, 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 22-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 23rd April 1976

Ref. No. P.R. No. 349 Acq. 23-667/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 16, Plot No. 42/2 Part open land,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat on 30-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely:—

(1) 1. M/s. Harkishandas Narandas & Co., Salabatpura, Dhamlawad, Surat.
2. Kamlaben Wd/o Harkisandas Narandas;
3. Chandulal Harkisandas;
4. Shambhulal Harkisandas;
5. Chhaganlal Harkisandas;
6. Ganpatram Harkisandas;
7. Ratilal Harkisandas;
8. Keshavram Harikisandas;
9 Sanmukhlal Harkishandas;

(Transferor)

(2) Mulchndas Kachrabhai;
Chimanlal Mulchanddas;
Chandakant Mulchanddas;
Shataben Mulchanddas;
Opp. Surat Textile Market, Ring Road, Surat.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notce n the Offical Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 16, original plot No. 42/2 paiki admeasuring about 2563.3 sq. yds. situated at Moje Umerwada, Taluka Chorasi, Dist. Surat as fully described under registered sale deeds No. 537 & 538 of Sept., 1975 in the Registering Office, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 23-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 4th May 1976

Ref. No. P.R. No. 350 Acq.23-509/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 74 paiki,
situated at Majura, Tal. Choryasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat on 2-9-1975
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Gulabben Wd/o Bechardas Khusaldas,
Sagrampura, Popat Sheri, Surat.
(Transferor)

(2) Shri Auroville Coop. Housing Society Ltd.
through its Shief Promoter;
Shri Hasmukhlal Ratilal;
Sagrampura, Narsinh Sheri,
Surat.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said, Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land bearing Rev. S. No. 74, originally admeasuring 24621.34 sq. yds. T.P. S. No. 6, Final Plot No. 23 admeasuring 15328.34 sq. yds. situated at Majura, Tal. Choryasi Dist. Surat as fully described in the sale deed registered under No. 4376 of Sept., 1975 by Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 4-5-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-38009, the 3rd May 1976

Ref. No. P.R. No. 351 Acq.23-560/19-7/75-76.—Whreas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
R.S. No. 169 paiki
situated at Majura, Tal. Choryasi, Dist. Surat
and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 1-9-1975.
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dayalji Kasanji Bhatarkar
Sagrampura, Desai Sheri,
Surat.
(Transferor)

(2) Shri Satyanarayan Industrial Coop. Services Society Ltd., through its Chief promotor :—
Shri Jayantilal Mohanlal;
Shore Sheri, Vali Falia, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land situated at Majura, Tal. Choryasi, Dist. Surat bearing Rev. S. No. 169 (paiki) and admeasuring 17908 sq. yds. as fully described in the sale deed registered under No. 3517 of Sept., 1975 by Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 3-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 4th May 1976

Ref. No. P.R. No. 352 Acq. 23-574/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the (Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
44/2 paiki open land,
situated at Majura, Tal. Choryasi, Dist. Surat
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration
Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 12-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act' hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Mahendrakumar Balvantrai Desai; Sagrampura, Main Road, Surat.
2. Shri Arunkumar Balvantrai Desai; Sagrampura, Main Road, Surat.
3. Shri Anilkumar Balvantrai Desai; Sagrampura Main Road, Surat.
4. Baby alias Jaybala Balvantrai Desai; wife of Shri Gunvantrai Gandabhai Desai, Dadar, Bombay.
5. Kundanben Balvantrai Desai; wife of Shri Bhaskarrai Rughnathji Desai; Bombay.

(Transferor)

(2) Indu Coop. Housing Society Ltd., through its Chief Promoter; Shri Kantilal Mohanlal; Vali Falia, Store Sheri, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing R.S. No. 44/2 paiki admeasuring originally 13,214 sq. yds. bearing F.P. No. 28A and 28B of T.P.S. No. 6 admeasuring 9014 sq. yds. situated at Majura, Surat as fully described in the sale deed bearing Registraion No. 4931 of Sept., 1975 by the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 4-5-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 4th May 1976

Ref. No. P.R. No. 353-Acq.23-575/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
44/2 paiki
situated at Majura, Tal. Choryasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Surat on 12-9-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Mahendrakumar Balvantrai Desai; Sagrampura, Main Road, Surat.
2. Shri Arunkumar Balvantrai Desai; Sagrampura, Main Road, Surat.
3. Shri Anilkumar Balvantrai Desai; Sagrampura Main Road, Surat.
4. Smt. Kundanben Balvantrai Desai; wife of Shri Bhaskerrai Rughnathji Desai; Goregauv Bombay.
5. Baby alias Jaybala Balvantrai Desai; wife of Shri Gunvantrai Gandabhai Desai, Dadar, Bombay.

(Transferors)

(2) Shri Anand Mangal Coop. Housing Society Ltd. through its;
Vice President : Shri Navnitlal Thakordas Dhariwala; Salabatpura, Madwali Sheri, Surat.
Hon. Secretary : Shri Jekisandas Dahyabhai, Mashruwala; Salabatpura, Vachli Sheri, Surat.
Member : Shri Jayantilal Harkisandas Rana; Navapura, Ranavad, Ambavedi Sheri, Surat.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property being an open plot of land situated in Majura, on Bhatar Road, Surat bearing R.S. No. 44/2 paiki, original plot area being 13657 sq. yds. Final Plot No. 28A of T.P. S. No. admeasuring 11352 sq. yds. as fully described in sale deed bearing R. S. No. 495 of Sept. 1975.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 4-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 4th May 1976

Ref. No. P.R. No. 354 Acq.23-715/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 13, Block No. A/21, Road No. 10,
situated at Udhna Udyognagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 30-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of an income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Chandramani Shantilal Shah,
Shreyas Society, Nanpura,
Sura.
(Transferor)

(2) Hareshchandra Thakordas Joshi &
Taraben Hareshchandra Joshi;
at present U.S.A.
Through Power of Attorney Holder :
Shri Harishchandra Thakordas Bhagat,
Nani Desai Pole, Soni Falia, Surat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing Plot No. 13 of Block No. A/21 on Road No. 10 and admeasuring 1067 sq. yds. situated at Udhna Udyognagar, Tal. Choryasi, Dist. Surat as fully described in sale-deed No. 2931 of Sept., 1975 registered with the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 4-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 4th May 1976

Ref. No. P.R. No. 355 Acq.23-716/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 30 + 35-2 paiki Plot No. 9,
situated at Athwa, Tal. Chorasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 30-9-1975,
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Lataben Bhulabhai Patel,
82-B, Embassy Apartments,
46, Napean Road, Bombay-2.
(Transferor)

(2) Puspaben Dolatbhai Patel,
Vankaner, Tal. Bardoli.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open piece of land bearing S. No. 30 and 35-2, paiki, Plot No. 9, admeasuring 711 sq. yds. situated at Athwa Tal. Choryasi, Dist. Surat as fully described in the registered sale deed No. 2087 of Sept., 1975 with the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income Tax, Acquisition Range II,
Ahmedabad

Date : 4-5-1976
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009,

Ahmedabad-380009, the 5th May 1976

Ref. No. P.R. No. 356 Acq.23-717/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under-Section 269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
24 T.P.S. No. 8 & F.P. No. 139 Sub Plot No. 6A,
situated at Umarwada, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Surat on 16-9-1975,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfers and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mulchanddas Narandas Mali,
Chowk Bazar, Sopari Gali,
Surat.

(Transferor)

(2) (i) Ambaben Shantilal,
Navapura, Korva Road, Surat.
(ii) Padmaben Mohanlal,
Navapura, Korva Road, Surat.
(iii) Padmaben Mansukhlal;
Navapura, Korva Road, Surat.
(iv) Mansukhlal Shantilal,
Navapura, Korva Road, Surat.
(v) Mohanlal Shantilal,
Navapura, Korva Road, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land bearing Rev. Sur. No. 24, T.P. S. No. 8, F.P. No. 139 paiki, Sub-plot No. 6A admeasuring 1147 sq. yds. situated at Umarwada, Surat as fully desribed in registered sale deed No. 3125 of Sept., 1975 duly registered with Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 5-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 5th May 1976

Ref. No. P.R. No. 357 Acq. 23-718/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
24, T.P.S. No. 8, F.P. No. 139 Sub-plot No. 7A,
situated at Umarwada, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat on 16-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any Moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Mulchanddas Narandas Mali,
Chowk Bazar, Sopari Gali,
Surat.

(Transferor)

(2) (i) Gangaben Chandulal,
Vadi Falia, Chakawadi Sheri, Surat.
(ii) Manglaben Girdharlal,
Vadi Falia, Chakawadi Sheri, Surat.
(iii) Manjulaben Dhansukhlal,
Vadi Falia, Chakawadi Sheri, Surat.
(iv) Pushpaben Hiralal,
Vadi Falia, Chakawadi Sheri, Surat.
(v) Dhangavri Somabhai;
Vadi Falia, Chakawadi Sheri, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter, XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land bearing Rev.S.No. 24, T.P.S. No. 8, F.P. No. 139 paiki Sub-plot No. 7A admeasuring 1117 sq. yds. situated at Umarwada, Surat as fuly described in registered sale-deed No. 5126 of Sept., 1975, duly registered with Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income Tax Acquisition Range II,
Ahmedabad

Date : 5-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 5th May 1976

Ref. No. P.R. No. 358 Acq.23-719/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section
269B of the Income-tax, Act, 1961, (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 97, Final Plot No. 50,
situated at Umarwada, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Surat on 30-9-1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more tran fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideraton for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Virendra Ramniklal Kapadia,
0/466, Store Sheri, Wadi Falia,
Surat.

(Transferor)

(2) M/s. Viren Textile; a partnership firm;
(i) through its partner Hasmukhben Ramniklal Kapadia,
9/466, Store Sheri, Wadi Falia, Surat.
(ii) Susmaben Vinodchandra Kapadia,
20, Narmad Nagar Society, Athwa,
Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open piece of land with construction upto plinth bearing S. No. 97 paiki, Final Plot No. 50, admeasuring 859 sq. yds. situated at Umerwada Tal. Choryasi, Dist. Surat as fully described in the registered sale deed No. 2776 of Sept., 1975 with the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 5-5-1976
Seal :

FORM I.T.N.S. ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 6th May 1976

Ref. No. P.R. No. 359 Acq.23-585/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 368 (Part) of Savad, Dist. Baroda,
situated near Varasia Colony, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 29-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Chaturbhai Purshottamdas Patel, Hanuman Chawk, Bhutdi Zampa, Baroda.
(Transferor)

(2) Rajdhani Coop. Housing Society Ltd. Balaji Mandir, Near Jubilee baug, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land near Varasia Colony, Baroda bearing S. No. 368 (Part) of Savad village, Dist Baroda, admeasuring 1742.40 sq. ft. as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975 under registration No. 5822 by Registering Officer, Baroda-I.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 6-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 6th May 1976

Ref. No. P.R. No. 360 Acq.23-720/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
174 paiki, Block No. 1,
situated at Majura, Tal. Chorasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 12-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitaitng the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes, of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act', or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) 1. M/s. Mayur Corporation;
Through its partners :
1. Bhagwandas Bhakhandas Jariwala;
Sagrampura, Main Road, Surat.
2. Popatlal Atmaram Rashiwala;
Kshetrapal Sheri, Gopipura, Surat.
(Transferors)

(2) Darshan Industrial Coop. Services Society Ltd.,
Through President :
1. Shri Hiren Harkishandas Jariwala;
2. Arvindkumar Champaklal Sherdivala as Secretary, Main Road, Sagrmpura,
Surat.
3. Manharlal Chhaganlal Patel as
Joint Secretry;
Soni Falia, Main Road.
Surat.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable-property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing S. No. 174 paiki Block No. 1 admeasuring in all 5300 sq. yds. situated at Majura (On Udhna-Magdalla Road), Surat as fully described in registered deed No. 4932 of Sept., 1975 of the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 6-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 361 Acq.23-721/19-8/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Rev. No. 24, paiki original plot No. 33, F.P. No. 139, sub-Plot No. 6,
situated at Umervada, Tal. Choryasi, Dist. Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 19-9-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. K. Marfatia & Co. through its partners :
1. Champaklal Bhogilal Master, Rani Talav, Surat.
2. Mohanlal Mangaldas Marfatia, Soni Falia, Surat.
Through Power of Attorney Holder :—
i. Kantilal Mansukhlal, Inderpura, Bedri Road, Surat.
ii. Savitaben Mansukhlal, Inderpure, Bedri Road, Surat.
(Transferor)

(2) 1. Ashokkumar Kantilal Shah, Madhi.
2. Jayantilal Chunilal Shah, Vyara.
3. Babulal Chunilal Shah, Vyara.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land situated at Umervada, Surat bearing Rev. Sur. No. 24, paiki, original plot No. 33, F.P. No. 139 paiki sub-plot No. 6 admeasuring 971 sq. yds. as fully described in registered sale-deed No. 5364 of Sept., 1975 registered with the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 362 Acq. 23-722/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
situated at Industrial Estate, Baroda Industrial Development Corporation, Gorva, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Baroda in September, 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Baroda Industrial Development Corporation, Gorva, Baroda.

(Transferor)

(2) M/s. Luster Ceramics (P) Ltd.
Industrial Estate, Gorva,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Industrial Estate of Baroda Industrial Development Corporation Ltd., Gorva, Baroda admeasuring 13065 sq. ft. as described in the sale-deed registered in the month of September, 1975 under registration No. 5423 by Registering Officer, Baroda-II.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. 368-Acq.23-723/7-4-/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'). have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Sur.Nos.12 & 12-1 paiki Plot No. 43 & 44,
situated at Zaveri Road, Navsari
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Navsari on 3-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mahavir Nagar Coop. Housing Society, Navsari by its
President : Kantilal Virchand Shah.
Secretary : Babulal Kesarichand Shah.
(Transferor)

(2) Shrijee Coop. Housing Society Ltd. by its :—
(i) President : Girish Ramanlal Parikh; Joshi's Mahollo, Navsari.
(ii) Secretary : Rajesh Ramanlal Mehta, Dadangwad, Navsari.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing S. No. 12 and 12-1 paiki Plot No. 43 & 44 admeasuring 11082.5 sq. ft. situated at Zaveri Road, Navsari as mentioned in registration deed No. 2641 of Sept., 1975 of Registering Officer, Navsari.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 364-Acq.23-483/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
(hereinafter referred to as the 'Said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 919/2, admeasuring 87120 s. ft,
situated at Bapad sim, Waghodia Road, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda in September, 1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-suction (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

23—106GI/76

(1) (i) Harmanbhai Rambhai Patel;
(ii) Shri Chandrakant Rambhai Patel,
(iii) Shri Ravindrakumar Rambhai Patel,
All at Ranoli, Dist. Baroda.
(Transferor)

(2) Uma Colony Coop. Housing Society Ltd.
President : Shri Babubhai Keshavlal Shah,
Sanstha Vasahat, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expresisons used herin as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Bapad sim, Wadi Ward, Waghodia Road, Baroda, bearing R. S. No. 919/2, admeasuring 2 Acres i.e. 87120 sq. ft. as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975 under registration No. 5143/75 by Registering Officer, Baroda-II.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 365-Acq.23-724/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. S. No. 79 (Part)
situated at Fatehganj, Near Snehal Apartments, Baroda (and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Baroda on 1-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly
stated in the instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liabiliy of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section(1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons namely :—

(1) Shri Barjorji B. Dalal,
Power of Attorney Holder
Shri P. D. Dalal,
Above Punjab National Bank,
Fatehganj, Baroda.

(Transferor)

(2) Shri Bakulesh R. Gupta,
Near Red Cross Society,
Kharivav Road, Raopura,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 79 (Part) situated at Fatehganj, Near Snehal Apartments, Baroda admeasuring 4927 sq. ft. area as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975 under registration No. 5072 by Registering Officer, Baroda-I.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range II,
Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 366-Acq.23-725/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 266 situated at Tarsali Sim, Behind Sussen Co. Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda in September, 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Dhulabhai Prabhudas Patel,
Village Tarsali,
Dist. Baroda.

(Transferor)

(2) 1. Shri Arvindbhai Morarji Bhakta,
4, Rjendra Society, Manjalpur, Baroda.
2. Shri Kantilal Nanalal Patel,
Shaikhwadi, Khambhat, Dist. Kaira
3. Devendrabhai Kuberbhai Patel
4. Pragdas Narottamdas Patel
5. Smt. Manjulaben Jayantilal Rao
6. Natverlal Nanalal Desai
7. Bhikhubhai Govindji Patel
8. Budhdevbhai Dahyabhai Bhakta
9. Rameshbhai Haribhai Patel
10. Hasmukhlal Nanalal Patel
11. Dhirubhai Morarji Bhakta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here in as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land of Tarsali Sim, situated behind Sussen Co., on Makarpura Road, Baroda having S. No. 266, admeasuring 8 acre 3 gunthas as described in the sale deed registered in the month of September, under registration No. 5136 by Registering Officer, Baroda-I.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income Tax, Acquisition Range II,
Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 367 Acq.23-726/13-1/75-76.—Whereas I, P. N. MITTAL,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 755/2,
situated at Vallabh Vidyanagar Road, Anand
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Anand on 15-9-1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) Patel Girishbhai Maganbhai,
Swaminarayan Society Anand
Power of Attorney of :—
(i) Kashiben w/o Harmanbhai Ranchhodbhai Kasuji's Khadki, Nana Adadh Anand.
(ii) Kapilaben D/o Harmanbhai Ranchhodbhai Kasuji's Khadki, Nana Adadh Anand.
(iii) Shardaben D/o Harmanbhai Ranchhodbhai, Kasuji's Khadki, Nana Adadh Anand.
(Transferors)

(2) (i) Patel Maganbhai Chaturbhai alias Babarbhai Swaminarayan Society, Anand;
(ii) Patel Arvindbhai Maganbhai, Swaminarayan Society, Anand.
(iii) Patel Ravjibhai Manibhai, Village Bakrol Tal. Anand.
(Transferee)

(3) Sahjanand Coop. Housing Society, Vallabh Vidyanagar Road, Anand.
by Dhanjibhai G. Patel, Anand.
[Person in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Bearing S. No. 755/2, admeasuring 1 acre and 14 gunthas (6434 sq. yds.) situated at Anand Vidyanagar Road, Anand as described in the sale deed registered in the month of September 1975 under registration No. 1149 by the Registering Officer, Anand.

P. N. MITTAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 368 Acq. 23-727/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
750/2, situated at Gorva, Near Paushak Ltd. Baroda (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda in September 1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Chandubhai Veribhai Patel,
Gorva, Baroda.

(Transferor)

(2) The Principal Officer,
Paushak Ltd.,
Alembic Road,
Baroda-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of lands bearing S. No. 750/2 admeasuring 1 acre 19 guntha 4th part thereof situated at Gorva, near Paushak Ltd., Baroda as described in the sale deed registered in the month of September 1975, under registration No. 5688 by Registering Officer, Baroda-II.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 369 Acq.23-727/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 750/2,
situated at Gorva, Near Paushak Ltd. Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda in Sept., 1976,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer wit hthe object of-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ambalal Purshottambhai Patel,
Gorva, Baroda.

(Transferor)

(2) The Principal Officer,
Paushak Ltd.,
Alembic Road,
Baroda-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece of parcel of land bearing No. 750/2 admeasuring 1 acre 19 guntha — 1/4th part thereof situated at Gorva, Near Paushak Ltd., Baroda as described in the sale deed registered in month of Sept., 1975 under registration No. 5687 by Registering Officer, Baroda-II.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 370 Acq.23-727/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 750/2,
situated at Gorva, Near Paushak Ltd. Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) in the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Chhotabhai Veribhai Patel,
Gorva, Baroda.

(Transferor)

(2) The Principal Officer,
Paushak Ltd.,
Baroda-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece of parcel of land bearing No. 750/2 admeasuring 1 acre 19 guntha—one fourth part thereof situated at Gorva, Near Paushak Ltd., Baroda as described in the sale deed registered in the month of September 1975 under registration No. 5683 by Registering Officer, Baroda-II.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 371 Acq.23-727/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. Mittal,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 750/2,
situated at Gorva, Near Paushak Ltd. Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda in September 1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chimanbhai Veribhai Patel,
Gorva, Dist. Baroda.

(Transferor)

(2) The Principal Officer,
Paushak Ltd.,
Baroda-3.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land admeasuring 0 Acre 14 guntha 90 sq. yds 6 75 sq. ft. of S. No. 750/2 situated at Gorva near Paushak Ltd., Baroda as described in the sale deed registered in month of Sept., 1975 under registration No. 5681 by Registering Officer, Baroda-II.

P. N. MITTAL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No P.R. No. 372 Acq.23-727/6-2/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
741/1 and 1015/1 (Part) and non bearing S. No. of Nal land
situated at Gorva, Near Paushak Ltd. Baroda
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Baroda in Sept., 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Principal Officer,
M/s. Alembic Chemical Works Co. Ltd.
Alembic Road, Baroda.
(Transferor)

(2) The Principal Officer,
Paushak Ltd.,
Alembic Road,
Baroda.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 741/1 admeasuring 2 Acre 29 gunthas 106 sq. yds. and S. No. 1015/1 (Part) admeasuring 0 acre 14 guntha 64 sq. yds. and non bearing. No. Nal land 1 acre 32 guntha, situated at Gorva, Near Paushak Ltd., Baroda as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975 under registration No. 5170 by Registering Officer, Baroda-I.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 373 Acq.23-576/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 113 situated at Village Sama, Kadamnagar, Dist. Baroda
(and more fully described in
the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda on 20-9-1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Yusheshchandra Bhausaheb Kadam;
Indira Nivas, Pratapnagar,
Baroda.

(Transferor)

(2) M/s. Baroda Land Traders,
by a partner Shri Navinchandra Keshavlal Patel —
C/o Vasant Prathmik Vidyalay,
Bhau-kaleni Gali, Raopura,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 113 at village Sama, in Kadamnagar Plots Nos. 30 32 33 35 36 51 58 73 81 & 18/19 Total 48269.38 sq. ft. as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975 under registration No. 5665 by the Registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 374 Acq.23-576/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 113
situated at Village Sama, Kadamnagar, Dist. Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on 20-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Yasheshchandra Bhausaheb Kadam;
Indira Nivas, Pratapnagar,
Baroda.

(Transferor)

(2) M/s. Baroda Land Traders,
by a partner Shri Navinchandra Keshavlal Patel —
C/o Vasant Prathmik Vidyalay,
Bhau-kaleni Gali, Raopura,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein, as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 113 at village Sama, in Kadamnagar Plots Nos. 105 106 110 135 146 147 148 150 Total 49700.44 sq. ft. as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975, under registration No. 5671 by the Registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009.

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 375 Acq.23-576/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred ot as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 113
situated at Village Sama, Kadamnagar, Dist. Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda on 20-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value if the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Yasheshchandra Bhausaheb Kadam;
Indira Nivas, Pratapnagar,
Baroda.

(Transferor)

(2) M/s. Baroda Land Traders,
by a partner Shri Navinchandra Keshavlal Patel —
C/o Vasant Prathmik Vidyalay,
Bhau-kaleni Gali, Raopura,
Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 113 at Village Sama, in Kadamnagar Plots Nos. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 & 56— Total 4821 sq. mts = 51873.96 s. ft. as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975 under registration No. 5663 by the Registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 376 Acq.23-728/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 1255/BF. P. No. 4 of Ward No. 1,
situated at Timaliwad, Nanpura, Surat
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 3-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market
value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Dinaz Bejanji Sighwa
2. Ketu Bejanji Sighwa,
Sighwa Bldg. 281, Princess Street,
Bombay-2.
3. Nargis Minochar Antia,
282, Princess Street, Bombay.
4. Aspi Minochar Antia,
5. Behram Minochar Antia,
6. Beruz Minochar Antia,
Through Power of Attorney Holder
Nargis Minochar Antia.
7. Zarsis Minochar Antia (Minor) through
Guardian, Nargis Minochar Antia.

(Transferors)

(2) M/s. Shree Nathji Land Development Corporation; through its partners :

1. Ajitbhai Narsibhai Patel,
2. Chimanlal Narsibhai Patel,
3. Narsibhai Govindji Patel,
4. Dhansukhlal Chunilal Luhar,
5. Manilal Chunilal Chudasma,
6. Uttamlal Chunilal Mistry,
7. Pravinchandra Chunilal Chudasma,
Surat.

(Transferees)

(3) Maganlal Jinabhai Patel as confirming party :
Malesor, Tamboli Sheri,
Navsari.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land with old structure bearing Nondh No. 1255/B, Final Plot No. 4, paiki admeasuring 335 sq. yds. situated at Tamliawad of Nanpura area of Surat as fully described in the Sale deed registered No. 3314 of Sept. 1975 with the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 377 Acq.23-729/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act')
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Nondh No. 1255/BF. P. No. 4 of Ward No. 1,
situated at Timaliwad, Nanpura, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 3-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act', to the following persons, namely :—

(1) 1. Dinaz Bejanji Sighwa
2. Ketu Bejanji Sighwa,
Sighwa Bldg. 281, Princess Street,
Bombay-2.
3. Nargis Minochar Antia,
282, Princess Street, Bombay.
4. Apsi Minochar Antia,
5. Behram Minochar Antia,
6. Beruz Minochar Antia,
Through Power of Attorney Holder
Nargis Minochar Antia.
7. Zarsis Minochar Antia, (Minor) through Guardian, Nargis Minochar Antia.

(Transferors)

(2) M/s. Shree Nathji Land Development Corporation; through its partners :
1. Ajitbhai Narsibhai Patel,
2. Chimanlal Narsibhai Patel,
3. Narsibhai Govindji Patel,
4. Dhansukhlal Chunilal Luhar,
5. Manilal Chunilal Chudasma,
6. Uttamlal Chunilal Mistry,
7. Pravinchandra Chunilal Chudasma,
Surat.

(Transferees)

(3) Maganlal Jinabhai Patel as confirming party :
Malesor, Tamboli Sheri,
Navsari.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the Said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land with old structure bearing Nondh No. 1255/B, Final Plot No. 4, paiki admeasuring 334 sq. yds. situated at Tamliawad of Nanpura area of Surat as fully described in the Sale deed registered No. 3313 of Sept., 1975 with the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 378 Acq.23-730/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under section 269B of the income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market
value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Nondh No. 1255/B F. P. No. 4 of Ward No. 1,
situated at Timaliwad, Nanpura, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 3-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Dinaz Bejanji Sighwa
2. Ketu Bejanji Sighwa,
Sighwa Bldg. 281, Princess Street,
Bombay-2.
3. Nargis Minochar Antia,
282, Princess Street, Bombay.
4. Aspi Minochar Antia,
5. Behram Minochar Antia,
6. Beruz Minochar Antia,
Through Power of Attorney Holder
Nargis Minochar Antia.
7. Zarsis Minochar Antia, (Minor) through
Guardian, Nargis Minochar Antia.

(Transferors)

(2) M/s. Shree Nathji Land Development Corporation; through its partners :
1. Ajitbhai Narsibhai Patel,
2. Chimanlal Narsibhai Patel,
3. Narsibhai Govindji Patel,
4. Dhansukhlal Chunilal Luhar,
5. Manilal Chunilal Chudasma,
6. Uttamlal Chunilal Mistry,
7. Pravinchandra Chunilal Chudasma,
Surat.

(Transferees)

(4) Maganlal Jinabhai Patel as confirming party :
Malesor. Tamboli Sheri,
Navsari.

[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land with old structure bearing Nondh No. 1255/B, Final Plot No. 4, paiki admeasuring 257 sq. yds. situated at Tamliawad of Nanpura area of Surat as fully described in the Sale deed registered No. 3317 of Sept., 1975 with the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 379 Acq.23-731/6-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 150 (Part) of Jetalpur,
situated at 150, Race Course Circle, Opp. Dr. Pujari's Hospital, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda in Sept., 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Natubhai Chaturbhai Patel
and Dipakbhai Natubhai Patel,
51-52, Shrinagar Society, Jetalpur,
Baroda.
(Transferor)

(2) Smt. Lilaben Natubhai Patel,
51-52, Shrinagar Society, Jetalpur,
Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing S. No. 150(Part) of Jetalpur Sim, situated at Race Course Circle, Opp. Dr. Pujari's Hospital, Baroda, admeasuring 21384 sq. ft. as described in the sale deed registered in the month of Sept., 1975 under registration No. 5447 by Registering Officer, Baroda.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 380 Acq.23-732/13-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 395,
situated at Vithal Udyog Nagar, Tal. Anand
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Anand on 29-9-1975,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Histeel Fasteners,
by its partner Shri C. H. Amn,
Vallabh Vdyanagar, Anand.
(Transferor)

(2) M/s. Vallabh Pesticides Mfg Co.
by its partner Shri M. J. Desai,
Near Eye Hospital, Anand.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that super-structure, hereditaments and premises standing on the land being sub-plot No. H-1, of sub-plot No. H of the land bearing Sur. No. 395 of Vithal Udyognagar, admeasuring 3399.20 sq. ft. as mentioned in registration deed No. 1400 of 29th Sept., 1975 of Registering Anand.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income Tax Acquisition Range II,
Acquisition Range, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 381 Acq.23-733/13-1/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S. No. 395,
situated at Vithal Udyog Nagar, Tal. Anand
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Anand on 30-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Histeel Fasteners,
by its partner Shri C. H. Amin,
Vallabh Vidyanagar, Anand
(Transferor)

(2) M/s. Vallabh Pesticides Mfg Co.
by its partner Shri M. J. Desai,
Near Eye Hospital, Anand.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plots of land bearing S. No. 395 of Vithal Udyognagar in Anand admeasuring 45675 sq. ft. and 41984 sq. ft. as mentioned in registration deed No. 1372 dated 30-9-1975 of Registering Officer, Anand.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inpsecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, II Ahmedabad.

Date : 7-5-1976
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 7th May 1976

Ref. No. P.R. No. 382 Acq. 23-734/6-I/75-76.—Whereas, I P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S. No. 79 (Part),
situated at Fatehganj, Near snehal Apartments, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda on Sept., 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Barjorji B. Dalal,
Power of Attorney Holder :
Shri P. D. Dalal,
Above Punjab National Bank,
Fateh Ganj, Baroda.
(Transferor)

(2) M/s. Star Builders,
V. K. and Partners :
Shri B. R. Gupta,
Near Red Cross Society,
Khari Vav Road, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land bearing Sur. No. 79 (Part) situated at Fateh ganj, Near Snehal Apartments, Baroda admeasuring 4964 sq. ft. area as described in the sale-deed registered in the month of September, 1975 under Registration No. 5074 by Registering Officer, Baroda-I.

P. N. MITTAL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad

Date : 7-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE,
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 18th May 1976

Ref. No. P.R. No. 383-Acq.23-570/19-7/75-76.—Whereas, I, P. N. MITTAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Nondh No. 4 Plot No. 3 of Ward No. 13,
situated at Athwa, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 30-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269B of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lilavatiben Wd/o Ambalal Maneklal Shah;
Bipinchandra Ambalal Shah,
Atulbhai Ambalal Shah;
Prakashchandra Ambalal Shah,
Dineshchandra Ambalal Shah,
Power of Attorney Holder
Lilavatiben Bhathi Sheri,
Begampura, Surat.

(Transferor)

(2) Navinchandra alias Babulal Chhaganlal Jariwala,
Chandrakumar Navinchandra Jariwala,
Shrimalinagar, Harkness Road,
Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land bearing Nondh No. 4 Plot No. 3 of Ward No. 13 situated at Athwa, Surat and admeasuring 835-3 sq. yds. as fully described in the sale deed registration No. 1813 of September, 1975 with the Registering Officer, Surat.

P. N. MITTAL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ahmedabad

Date : 18-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 18th May 1976

No. Acq. 23-I-1042(401)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Sub-Plot No. B of Final Plot No. 139 of TPS 16 situated at Gomtipur Road, Rakhial(Ahmedabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 17-9-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee, for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C. of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

24—96GI/76

(1) Echem Investment Private Ltd., "Shital", Gomtipur Road, Ahmedabad. (Transferor)

(2) New Asarwa Mfg. Co. Ltd., "Shital", Comtipur Road, Ahmedabad. (Transferee)

(4) Patel Mills Company Ltd. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned,—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XX-A of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that pieces or parcels of land with buildings thereon situate lying and being at moje Rakhial, Taluka City bearing Sub-Plot No. B of Final Plot No. 139 of TPS No. 16 in the Registration District and Sub-Dist. of Ahmedabad containing and admeasurement 4806 sq. yards or thereabouts. All that premises hereditaments, building and structure known as "Shital" theatre standing on the piece or parcel of land bearing Sub-Plot No. B/1 of Final Plot No. 139 of TPS No. 16 (Rakhial), alongwith Plant, Machineries, etc.

J. KATHURIA,
Competent Authority
(Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range-I),
Ahmedabad.

Date : 18-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 18th May May 1976

No. Acq. 23-I-778(402/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Survey No. 162-A-2, T.P.S. No. 14, Final Plot No. 203 situated at Dariyapur Kazipur, Ahmedabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Regstering Officer
at Ahmedabad on 23-9-1975
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) (1) Shri Ballubhai Krishanlal Majmudar
(2) Smt. Lilavatiben Lalbhai, Shahibaug, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) (1) Jayprem Co-op. Housing Society (Proposed), through promoters :
(1) Shri Sureshkumar Laxminarayan, New Cloth Market, Ahmedabad.
(2) Shri Maheshkumar Dwarkaprasad C/o. Subhashchandra and Bros.,
Old Madhavpara, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 3509 sq. yards with plinth bearing S. No. 162/A/2, Final Plot No. 203 of TPS No. 14 and situated at Dariyapur Kazipur, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax Acquisition Range-I),
Ahmedabad.

Date : 18-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR,
HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 18th May 1976

No. Acq. 23-I-790(403)/1-1/75-76.—Whereas, I, J. KATHURIA,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 433-2 (Part)/Final Plot No. 24-B of TPS No. 12, situated at Asarva, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Ahmedabad on 2-9-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in purusance of Section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) The Commercial Mills Ltd.,
Naroda Road, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Ahmedabad Cotton Waste Merchants' Co-op. Marketing and Ware-housing Society (Proposed).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 16751 sq. yards bearing S. No. 433-2 (Part) final Plot No. 24/B of TPS No. 12, situated at Asarva, Ahmedabad.

J. KATHURIA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Ahmedabad

Date : 18-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 8th April 1976

C. R. No. 62/4901/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Dry agricultural land measuring

Acres	*Guntas*
5	05
0	14
3	37
3	30
5	01 18-07 Total

in Survey Nos. 72, 73, 74, 125 and 126 situated at Gudnahalli village, Anekal Taluk, Kasaba Hobli, Bangalore district (and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Anekal, Document No. 1532/75-76 on 4-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Mahaboob Bi, W/o Mohd. Usman Shariff alias Baba, Hosapet, Anekal Taluk, Bangalore Dist. (Transferor)

(2) Shri A. Sreenivasa Reddy, S/o Sri M. Chikkappanna Reddy,
Shettyhalli, Marsoor Post, Anekal Taluk, Bangalore Dist.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 1532/75-76, dated 4-9-1975].
Dry agricultural land measuring :—

Acres	*Guntas*
5	05
0	14
3	37
3	30
5	01
Total 18	07

in Survey Nos. 72, 73, 74, 125 and 126 situated at Gudnahalli village, Anekal Taluk, Kasaba Hobli, Bangalore district.
Boundries for the above five items :

East : Government Road and land belonging to Sri Marappa.
West : Land belonging to Shri Janabande Chickkanaiah.
North : Land belonging to Shri Yelappa, Sri Nagappa and Sri Ramaiah.
South : Land belonging to Shri Yelappa, Sri Marappa and Shri Chikonappa.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 8-4-1976
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 8th April 1976

C.R. No. 62/4903/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. Krishnamoorthy,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. 65, Krishnarajapuram Extension, situated at Bangalore South Taluk.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore
South taluk. Document No. 2764/75-76 on 18-9-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

26—106GI/76

(1) Shri B. S. Nanjundaiah, S/o Sri B. Sreekantaiah Shetty No. 335/1, Krishnarajapuram, Bangalore. (Transferor)

(2) Shri M. A. Narayana Reddy, S/o Late Anjaneya Reddy, Malur Town, Malur Taluk, Kolar District. (Transferee)

(3) 1. Shri B. P. Ukhale
2. Shri P. Subbaratnam
3. Shri Y. E. Anand
4. Shri Premkumar
5. Shri Chelvaraj
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 2764/75-76 dated 18-9-75]

House No. 65, Krishnarajapuram Extension, Bangalore.
Site area :
East to West : 44 ft.
North to South : 60 ft. } 2,640 Sq. ft.
Plinth : 14 Squares

Boundaries :
East : Compound wall belonging to Smt. Rahat Ara Begum
West : Road.
North : Conservency land and
South : Main Road.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Bangalore

Date : 8-4-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-27

Bangalore-27, the 13th April 1976

C. R. No. 62/4904/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
The property being a converted land measuring 2-00 acres (8102 square meters) out of Survey No. 36, Alahalli Village (Avalahally), situated at Uttarahalli Hobli, Bangalore South taluk.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bangalore South Taluk, Document No. 2772/75-76 on 20-9-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Sharadamma, W/o. Late Sri B. Jayaram, Avalahalli Village, Uttarahalli Hobli, Bangalore South Taluk.
(Transferor)

(2) M/s. Applied Industrial Products Private Ltd., Registered office at Sri Krishna Buildings, Avenue Road, Bangalore-2, represented by the two of their Directors namely (1) Sri J. Surendra Reddy, S/o. Late B. Jayaram, No. 54, Basappa Cross Road, Shantinagar, Bangalore-27 (2) Sri Ziaulla Mecci, S/o. M. Arifulla Mecci, No. 49, Khazi Street, Basavanagudi, Bangalore-4.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 2772/75-76 dated 20-9-75]

The property being a converted land measuring 2 acres (8102 square meters), out of Survey No. 36, situated at, Allahalli village, (Avalahalli), Uttarahalli Hobli, Bangalore South Taluk.

East : Existing Tank Bund Road from Bangalore to Amruthnagar,
West : Survey No. 40 and 41,
North : Portion of Survey No. 36, belonging to the vendor and
South : Portion of Survey No. 36 belonging to the vendor.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 13-4-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE BANGALORE-27

Bangalore-27, the 13th April 1976

C.R. No. 62/4910(A)/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land measuring :	As.	Gs.
	20	15
	24	38
Total	**45**	**13**

in Regional Survey Nos. 135 and 134,
situated at Hasaruvalli Village, Thyamagondlu Hobli, Nelamangala Taluk, Bangalore District,
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Document No. 1778/75-76 on 16-9-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1972 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Hajee M. Abdul Hafeez Sab, S/o Sri Sahukar Mohamed Sab, Thyamagondlu Town, Nelamangala Taluk, Bangalore District.
(Transferor)

(2) Smt. Hajee Meharunnisa Begum, W/o Hajee Mehabulla Shariff, 2. Sri Navazulla Shariff 3. Sri Sarafarzulla Shariff , Sons of Hajee Mehabulla Shariff. No. 62/1, Stephen's Road, Frazer Town, Bangalore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 1778/75-76 dated 16-9-75]

Agricultural land measuring :	*Acres*	*Guntas*
	20	15
	24	38
Total	45	13

in Regional Survey Nos. 135 and 134, Hasaruvalli Village, Thyagondlu Hobli, Nelamangala Town, Bangalore District.

Boundries for R.S. No. 135
East : Land belonging to Shri Balaiah
West : Land belonging to Sri Sheetakalle Nanjudaiah
South : Land belonging to Sri Subbarayuv
North : Road.

Boundries for R.S. No. 134
East : Land belonging to Sri Balaiah
North : Land belonging to Sri Dasanayak
West : Road and
South : Baradiyalle

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Bangalore

Date : 13-4-76
Seal :

FORM I.T.N.S.————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 8th April 1976

C.R. No. 62-/4914/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that
the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing
Corner plot with house bearing old No. 18, present No. 10/1, 2nd Cross Road situated at Ranoji Road, Basavanagudi, Bangalore-4,
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer
Basavanagudi, Bangalore, Document No. 1950/75-76 on 1-9-1975
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument or transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shrimati Tarabai Devadasan, W/o Late Sri S. M. Devadasan (2) Smt. Gita Vani Devadasan, (3) Smt. Sudha Devadasan (4) Smt. Kanta Davadasan (5) Smt Sheela Devadasan—Daughters of Smt. Tarabai Devadasan.

All residing at : 10-1, 2nd Cross Road, Ranoji Rao Road, Basavanagudi, Bangalore-4.
(Transferor)

(2) Shri D. T. Sunder, S/o Late Shri D. T. S. Iyengar, No. 43, Block, Jayanagar, Bangalore-11.
(Transferee)

(3) Mr. Ahamed, Ceat Tyres of India, Bangalore.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 1950/75-76 Dated 1-9-75]

Corner plot with house bearing old No. 18, Present No. 10/1, 2nd Cross Road, Ranoji Rao Road, Basavanagudi, Bangalore-4.

Site Areas :
East to West : 50 ft. } 300 Sq. ft.
North to South : 60 ft. }
Plinth : Ground Flood : About 1300 Sq. ft.
1st Floor : About 1,100 Sq. ft.
Boundaries : East : House of Smt. Hema Soans
West : Road
North : House of Smt. Hema Soans and
South : Road.

R. KRISHNAMOORTHY.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore

Date : 8-4-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-27

Bangalore-27, the 24th April 1976

C. R. No. 62/4944/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Building bearing old Municipal Door No. 13-767, New Door No. 13-2-58, 13th Market Ward, Kasaba Bazar Village, situated at Mangalore Taluk, Mangalore City, S.K. District
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mangalore City Document No. 681/75-76 on 18-9-1975
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the
apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the
parties has not been truly in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Channappa K. Shet, Land Lord,
S/o. Koragappa
Hampankatta, Mangalore Town.
(Transferor)

(2) Shri B. Vitobha Nagvekar,
S/o. Late Shri B. Shivanna Shet,
Pr. in M/s. New Komala Sweet Stall,
Hampankatta, Mangalore.
(Transferee)

(3) M/s. New Komala Sweet Stall
(Komal's Red Rose).
[Persons(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 681/75-76 dated 18-9-1975]

Property held MULI right situate in 13th Market ward, Kasba Bazaar Village Mangalore Taluk, Mangalore City Sub District, South Kanara District, bearing :—

R.S.No.	T.S.No.	Kissam	Which poration	Extent A. C	Assessment Rs. P.
584	199	Garden	Eastern Middle	0—2¾	0—25
590	198-2	Punja	Western portion	0—1	0—12
				14	

The aforesaid plots adjoin each other and form one block with the tiled building bearing Municipal Door No. 13-767 now Door No. 13-2-58, Mamool right of way, water and all assessment rights etc. appurtenant thereto, along with right of passage or footpath on the back of the building, right of using the water of the well situate in the backside of the building, right of using the water of the well situate in the backside of the building etc. apprutenant therto.

The aforesaid two items of property adjoin each other and form one block and the boundries are as ollows :—
North : Mamool pathway-South-Market Road-East-Brockfield of Mrs. Leelavathi-West-Property belonging to Hemavathi.

Plinth Area :

Ground Floor	1118 Sft.
First Floor	1118 Sft.
Second Floor	1118 Sft.
Total	3354 Sft.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bangalore

Date : 24-4-76.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE BANGALORE-27

Bangalore-27, the 23rd April 1976

C.R. No. 62/4945/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House bearing Municipal Door No. 9-521 (New No. 9-9-519) Assessment No. 25508 J.M. Road, Kasaba Bazar Village Bunder Ward, situated at Mangalore Town, Mangalore City sub District
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Mangalore City, Mangalore, Document No. 692/75-76 on 19-9-75
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in repect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Pathu alias Khathoonu D/o. Shri Monu alias Mohammed Bava, and W/o Sri M. Ummer, Old Kent Road, Mangalore-1.

(Transferor)

(2) 1. Smt. Bhamuber R. Patel, w/o Sri J. V. Patel, Partner in M/s. Sandeep Enterprises, Door No. 9-521 (New No. 9-9-519), J.M. Road, Mangalore.
(2) Smt Savithaben R. Patel. W/o. Sri R. R. Patel, Pr. in M/s. Vittal das and Co., Bunder, Mangalore-2.

(Transferee)

(3) M/s. Natvarlal Jayanthilal and Co., Supari Merchants, Bunder, Mangalore.

[Person(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever, period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 692/75-76 dated 19-9-75].

Non-agricultural immovable property held on Muli right situated in Kasaba Bazaar Village, Bunder Ward, Mangalore Town, Mangalore City Sub District, South Kanra District, bearing :—

	R.S.No.	T.S.No.	Kissam	Which poration	Extent A C	Assessment Rs. P.
I	1270/B2	261/B2	Bagayath	South East	0—01	0—81
II	1271	262	-do-	Western	0—05	0—97

The aforesaid two items of property adjoin each other and form one block of 0-06 (six cents) or 2610 square feet or 242 Sq. meters, along with a tiled stoned building bearing Municipal Door No. 9-521 (New No. 9-9-519) Assessment No. 25508 along with the bathroom, latrine, well, tree growth, mamool right of way, water and all easement rights and all the Electric fittings, Electrical meter, Meter deposit, Municipal tap water fitting, Water meter, Meter deposit, underground drainage fittings, etc. appurtenant thereto. Boundries of item No. I North-Plot given to the D' Schedule in the aforesaid partition deed—East properties given to the C' Schedule in the aforesaid partition deed. South-Survey line—West-Road
Boundaries of item No. II, North-Survey line-East-properties given to the 'C' schedule in the partitions Deed-South Survey line-West-Road.

Plint—Ground floor : 2056 Sq. ft. or 190 square meters.
Ist Floor : 872½ sq. ft. or 81 square meters.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Income-tax, Acquisition Range, Bangalore.

Date : 23-4-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQISUITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 9th April 1976

C.R. No. 62/4948/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. Krishnamoorthy,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Corner vacant plot forming 1/3rd (approximately) portion of premises No. 4 (old No. 7), situated at Rogers Road, Richards Town, Bangalore.
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar, Bangalore, Document No. 1926/75-76 on 17-9-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Ashoka Chatterjee
(2) Romir Chatterjee
(3) Pamela Chatterjee
(4) Mirai Chatterjee
(5) Priya Chatterjee
by P.O.A. holder of (1) & (2) Mrs. Romela Chatterjee and guardian of Nos. (4) & (5) Pamela Chatterjee, No. 39, Lavelle Road, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mr. K. H. Abdul Majid and
Mrs. K. H. Zubeda Majid,
No. 5, Kandaswamy Mudliar Road, Richard's Town, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 1926/75-76 dated 17-9-75]
Corner vacant plot forming 1/3rd portion (approximately) of premises No. 4 (old No. 7), Rogers Road, Richard Town, Bangalore.

Site Area : East to West : 46 ft.
North to South : 70 ft } 3,220 Sq. ft.

Boundaries :—East : Rogers Road,
West : Portion of premises No. 4 (old No. 7),
North : Kandaswamy Mudliar Road and,
South : Premises No. 5, Rogers Road.

R. KRISHNAMOORTHY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 9-4-76
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQISITUION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 9th April 1976

C.R. No. 62/4954/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. Krishnamoorthy,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the Said Act), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House No. 109, Defence Colony, 2nd Main Road, 4th Cross, situated at Binnamangala Layout, Indiranagar, Bangalore-560038 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), hs been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Shivajinagar, Bangalore, Document No. 1979/75-76 on 20-9-1975.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Lt. Col. C. R. S. Murthy, S/o. Late C. V. Rama Rao, No. 656, IV 'T' Block, Jayanagar, Bangalore-11.
(Transferor)

(2) Shri A. V. Madan Mohan Roy,
S/o Late A. G. Villa Roy,
No. 109, Defence Colony, 2nd Main,
4th Cross, Indiranagar, Bangalore 560038.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 1979/75-76 dated 20-9-75]

House No. 109, Defence Colony, 2nd Main Road, 4th Cross, Bhinnamangala Layout, Indiranagar, Bangalore.
Site area :—East to West : 90 ft.
North to South :60 ft. } 5,400 Sq. ft.
Plinth : Ground floor : 1327 Sq. ft.
First floor : 608 Sq. ft.
Garage : 200 Sq. ft.
Boundaries :—
East : Road,
West : Site No. 101,
North : Site No. 110 and
South : Site No. 108.

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range, Bangalore)

Date : 9-4-76.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 9th April 1976

C.R. No. 62/4963/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Premises bearing old No. 3, Present No. 3 and 3A, Hospital Road Cross, situated at Bangalore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar, Bangalore, Document No. 2065/75-76 on 29-9-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Shri Bijaya Kumar Kapur
S/o. Mohanlal Kapur,
No. 45, Grant Road, Civil Station, Bangalore.
(Transferor)

(2) 1. Sri V. Mansoor Ahmed, S/o. Late V. Hajee Abdul Khuddus, 2. Smt. V. Abidunnisa Begum, W/o V. Mohamed Sansaulla Saheb, 3. Smt. V. Shamsunnissa Begum, W/o. Sri V. Mohamed Noorulla Saheb, All residing at No. 3, Hospital Road Cross, Civil Station, Bangalore.
(Transferee)

(3) Shri Tejumal Kishanchand Movinani.
[Pension(s) in occupation of the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 2065/75-76 dated 29-9-75].

Premises bearing old No. 3, present No. 3 and 3A, Hospital Road, Cross, Bangalore.

Site Area : 2650 Sq. ft.

Plinth : Ground floor = 2425 Sq. ft.
First Floor = 2425 Sq. ft.

Boundaries—

East : Hospital Road Cross.

West : Geetha Devis House.

North : Jumma Musjid Trust Board's shops.

South : Old No. 2, Hospital Road Cross belonging to Sri Zackria Matheen Sait.

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 9-4-76.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BANGANLORE-27

Bangalore-27, the 13th April 1976

C.R. No. 62/4982/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000, and bearing No. Corner vacant site bearing No. 1/1/14, situated at I Block, East Byrasandra II Cross (Division No. 35), Jayanagar, Bangalore-11.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jayanagar, Bangalore, Document No. 1965/75-76 on 25-9-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Sri M. Narayanappa, 2. M. Venkatesh 3. M. Anantha Murthy and 4. M. Ashwatha, Sons of Late Muniswamappa, No. 309, 10th Cross, Wilson Garden, (Division No. 36), Bangalore.

(Transferor)

(2) Shri K. V. Chikkanna,
S/o. Late Venkataramanappa,
No. 386/9, 14th Cross, 6th Main,
Lakkasandra Extension (Division No. 36), Bangalore

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 1965/75-76 dated 25-9-75],
Corner vacant site bearing No. 1/1/14, I Block, East Vyrasandra II Cross, (Division No. 35), Jayanagar, Bangalore-11.

Site Area

East to West : 30 ft
North to South : 73 ft. } 2,190 Sq. ft.

Boundaries :—

E : C.I.T.B. Road,
W : Our house Vathar
N : II Cross Road and
S : III Cross Road.

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 13-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 9th April 1976

C.R. No. 62/4985/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Two storeyed dwelling house known as "GOLF VIEW" bearing present municipal No. 12, (old No. 27/1), Cunningham Road, situated at Bangalore-1. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagar, Bangalore, Document No. 2334/75-76 on 17-9-1975 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) 1. Sulochana Indulal Mazumdar, W/o. Late Induray Mazumdar 2. Sri Ravi Mazumdar, S/o. R. I. Mazumdar. Both at present residing at : Baroda, represented by their duly constituted attorney Mrs. Yaminibai Resendrabhai Mazumdar also known as Mrs. Y. R. Mazumdar, No. 26, Grant Road, Bangalore.
(Transferor)

(2) S/Shri 1. Girdharidas S/o. Mrs. Karamchand Chhabria as Kartha for and on behalf of his Hindu Undivided family. 2. Girdharidas, S/o. Mr. Karamchand Chhabria, (3) Mrs. Jankibai, W/o. Mrs. Girdharidas Chhabria, 4. Sri Amarlal, S/o. Mr. Girdharidas Chhabria, 5. Lalchand S/o. Mr. Karamchand Chhabria as Kartha for and on behalf of his Hindu Undivided family. 6. Lalchand S/o. Karamchand Chhabria and 7. Nirmalabai, W/o. Mr. Lalchand Chhabria. All residing at (old No. 27/1) present No. 12, Cunningham Road, Bangalore.
(Transferee)

(3) Lalchand Karamchand and Chhabria of Amar Rajesh & Co.
(Person(s) in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 2334/75-76 dated 17-9-75].

Two storeyed dwelling house known as "GOLF VIEW" bearing present Municipal No. 12, (old No. 27/1), Chunningham Road, Bangalore-1.

Site Area :—
East to West : 100 ft.
North to South : 75 ft. } 7,500 Sq. ft.

Plinth :
Ground floor = 3,465 sq. ft.
First floor = 3,165 sq. ft.

Boundries :—
North : Former plot No. 11/17, Sankey Road, being the residential quarters of the R.B.I.
South : Cunningham Road
East : Premises No. 27/J, Cunningham Road and
West : Premises No. 27/h, Cunningham Road, Bangalore.

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 9-4-76.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE BANGALORE-27

Bangalore-27, the 8th April 1976

C.R. No. 62/4993/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Vacant corner site bearing No. 79-18, situated at Gayathri Devi Park Extension, Bangalore (Division No. 5),
(and more fully described in the Schedule annexed hereto).
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gandhinagr, Bangalore, Document No. 2465/75-76 on 26-9-1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri K. N. Kempanna, S/o. Sri Narayana Swamy, Door No. 442, Middle School Road, Visweswarapuram, Bangalore-4.

(Transferor)

(2) Shri B. Mariyappa Automobile Engineer, S/o Sri Basavaiah, Prop : Jayalakshmi Auto Garage, Near Pipe Line Road, Yeswanthapura, Bangalore-22.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 2465/75-76 dated 26-9-1975.

Vacant corner plot bearing No. 79-18, Gayatri Devi Park Extension, Bangalore. (Division No. 5).

Site Area :

East to West : 54 ft.
North to South : 58 ft. } 3,132 Sq. ft.

Boundries :—

East : Site No. 79.
West : Road.
North : Site No. 55 and
South : Road.

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore.

Date : 8-4-76

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE BANGALORE-27

Bangalore-27, the 13th April 1976

C.R. No. 62/5023/75-76/ACQ/B.—Whereas, I, R. KRISHNAMOORTHY, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing ¼th share in the residential premises bearing Corporation No. 13, Norris Road, (Old No. 12/1), Richmond Town, situated at Civil Station, Bangalore (Division No. 60). (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shivajinagar, Bangalore, Document No. 2098/75-76 on 26-9-1975. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Colonel Robert Charles Purves Dewar, Old No. 5/2, New No. 4, Convent Road, Bangalore.

(Transferor)

(2) Mrs. Doreen Lona Purves Devis, W/o, Lt. Col. H. W. Davis, No. 13, Norris Road, Richmond Town, Bangalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered document No. 2098/75-76 dated 26-9-75].

¼th share in the residential premises bearing Corporation No. 13, Norris Road, Richmond Town (old No. 12/1), Civil Station, Bangalore. (Division No. 60).

Entire site Area :—

North : 61 ft. 7 inch.
South : 69 ft. 6 inch.
East : 96 ft. 5 inch.
West : 96 ft. 6 inch.
} 7000 Sq. ft.

Plinth : 2000 Sq. ft.

Boundries for the entire site :—

North : Nos. 38 and 39 Wellington Street,
South : Wellington Street, Cross, Commonly known as Murder Lane.
East : 37, Wellington Street,
West : 12, Norris Road.

R. KRISHNAMOORTHY
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisiition Range, Bangalore.

Date : 13-4-76
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
156, SECTOR 9-B
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. PWR/1608/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition range, Chandigarh, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One quarter with open land on its back situated on Circular Road, Near Church House, situated at Rewari, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rewari in September 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) (i) Shrimati Shakuntala Devi, wd/o Shri Nemi Chand Jain (ii) Shrimati Savitri Devi, d/o Shri Nemi Chand Jain, (ii) Shrimati Usha Devi, d/o Shri Nemi Chand Jain, Residents of Rewari, District Mohindergarh.

(Transferor)

(2) Dr. Ramesh Chand Bhayana, s/o Dr. Ramjas Bhayana, Resident of Gurdwara Road, Rewari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One quarter with open land on its back situated on Circular Road, Near Church House, Rewari.

North : Church House.
South : Property of the transferor.
East : Circular Road.
West : Railway Line boundary.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1133 of September 1975 of the Registering Officer, Rewari.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 11-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
156, SECTOR 9-B
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. RWR/1609/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition range, Chandigarh,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One quarter with open land on its back situated on Circular Road, Near Church House, Rewari
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rewari in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (i) Shrimati Shakuntala Devi, Wd/o Shri Nemi Chan Jain, (ii) Shrimati Savitri Devi, (iii) Shrimati Usha Devi, ds/o Shri Nemi Chand Jain, Residents of Rewari, District Mohindergarh.

(Transferor)

(2) Shri Subhash Chand, s/o Dr. Ramjas Bhayana, R/o Gurdwara Road, Rewari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One quarter with open land on its back situated on Circular Road, Near Church House, Rewari.

North : Church House.
South : Property of the transferor.
East : Circular Road.
West : Railway Line boundary.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1133 of September 1975 of the Registering Officer, Rewari.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 11-5-1976

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
156, SECTOR 9-B
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. RWR/1610/75-76.—Whereas, I, V. P. MINOCHA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition range, Chandigarh,
being the competent authority under section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One quarter with open land on its back situated on Circular Road, Near Church House, Rewari, situated at Rewari, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Rewari in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) (i) Shrimati Shakuntala Devi, wd/o Shri Nemi Chand Jain, (ii) Shrimati Savitri Devi, (iii) Shrimati Usha Devi, ds/o Shri Nemi Chand Jain, Residents of Rewari, District Mohindergarh.

(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar Bhayana, s/o Dr. Ramjas Bhayana, R/o Gurdwara Road, Rewari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One quarter with open land on its back situated on Circular Road, Near Church House, Rewari.

North : Church House.
South : Property of the transferor.
East : Circular Road.
West : Railway Line boundary.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1135 of September 1975 of the Registering Officer, Rewari.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. RWR/1611/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. One quarter with open land on its back situated on Circular Road, Near Church House, situated at Rewari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rewari in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

28—106GI/76

(1) (i) Shrimati Shakuntala Devi, Wd/o Shri Nemi Chand Jain, (ii) Shrimati Savitri Devi (iii) Shrimati Usha Devi, ds/o Shri Nemi Chand Jain, Residents of Rewari, District Mohindergarh.
(Transferor)

(2) Dr. Surender Kumar Bhayana, s/o Dr. Ramjas Bhayana, R/o Gurdwara Road, Rewari.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One quarter with open land on its back situated on Circular Road, Near Church House, Rewari.

North : Church House.
South : Property of the transferor.
East : Circular Road.
West : Railway Line boundary.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1136 of September 1975 of the Registering Officer, Rewari.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh.

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. BDR/1516/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Factory Plot No. 12, 11, 10 and part of plot No. 9, in Modern Industrial Estate, situated at Bahadurgarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bahadurgarh in September 1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chetan Dass Ahuja, s/o Shri Tej Bhan, and his sons S/Shri Jagan Nath, Davinder Ahuja and Dogar Mal, I-C/15, Rohtak Road, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s Indian Refrigeration Industries, 7/115, Kirti Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory Plot No. 12, 11, 10 and part area of plot No. 9, in Modern Industrial Estate, Bahadurgarh.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 785 of September 1975 of the Registering Officer, Bahadurgarh.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. LDH/C/1440/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 79-K, Sarabha Nagar, situated at Ludhiana
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ludhiana in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated
in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269C of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Amar Singh, s/o Shri Seera Singh, Resident of Village Sunet, Teh. & Distt. Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shrimati Kulwant Kaur, w/o Shri Harbhajan Singh, Jhaoo Ganj, Patna (Bihar).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 79-K, Sarabha Nagar, Ludhiana.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 4953 of September 1975 of the Registering Officer, Ludhiana.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. LDH/C/1446/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agricultural land in Village Piru Banda, situated at Ludhiana (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ludhiana in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri Kulwant Singh, s/o Shri Darshan Singh, (ii) Shrimati Datar, wd/o Shri Darshan Singh, (iii) Shrimati Amarjit Kaur, d/o Shri Darshan Singh, Residents of Deep Nagar, Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shrimati Ram Dulari, w/o Shri Banarsi Dass, Advocate, Ghumar Mandi, Ludhiana.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated in Village Piru Banda, (Deep Nagar, behind the Arya School and along the Budha Nallah, Ludhiana).

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 5176 of September 1975 of the Registering Officer, Ludhiana.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. JGR/1183/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason
to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agricultural land measuring 31 kanal and 17 marlas, situated at Village Agwar Gujjran, Tehsil Jagraon,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jagraon in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sodagar Singh, s/o Shri Chanan Singh, Resident of Village Agwar Gujjran, Tehsil Jagraon, District Ludhiana.

(Transferor)

(2) (i) Shri Kulwant Singh, (ii) Shri Kuldip Singh (iii) Shri Gurcharan Singh, (iv) Shri Paramjit Singh, (v) Shri Lakhbir Singh sons of Shri Gurdev Singh Residents of (Kothe Baggu) Agwar Gujjran, Tehsil Jagraon, District Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land, measuring 31 kanal 17 marlas situated at Village Agwar Gujjran, Tehsil Jugraon, District Ludhiana.
Khata No. 1169/1239, 1396/1479,
Rectangle No. 11.
Killas No. 15-7-13-14 Salam and from Killa No. 16/1 (6 kanal and 4 M) from Killa No. 17 (6 kanal 4 marlas) from Killa No. 18 (5 kanal and 19 Marla), Jamabandi year 1969-70.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3235 of September 1975 of the Registering Officer, Jagraon.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 11th May 1976

Ref. No. JGR/1184/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition range, Chandigarh,

being the competent authority under section 269B. of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said' Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agricultural land measuring 23 kanal and 10 marlas, situated at Village Agwar Gujjran, Tehsil Jagraon,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jagraon in September 1975,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Balwant Singh, s/o Shri Chanda Singh, R/o Village Agwar Gujjran, Tehsil Jagraon.
(Transferor)

(2) (i) Shrimati Mohinder Kaur, w/o Shri Mukhtiar Singh, (ii) Shri Harvinder Singh, (iii) Shri Satwant Singh, sons of Shri Mukhtiar Singh, Residents of (Kothe Sherjang) Agwar Gujjran, Tehsil Jagraon, District Ludhiana.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 23 kanal and 10 marlas situated at Village Agwar Gujjran, Tehsil Jagraon, District Ludhiana.
Khata No. 1382/1466, Rectangle No. 35,
Killas No. 14-15 16/1
and
Killa No. 6/2 Min south, Killa No. 7/1 min south Jamabandi year 1969-70.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3354 of September 1975 of the Registering Officer, Jagraon.)

V. P. MINOCHA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh.

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 12th May 1976

Ref. No. KNL/1026/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Building and plot No. 6, Randhir Lane,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Karnal in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Karnal Kaithal Cooperative Transport Society Ltd. through Baba Gian Singh, s/o Baba Nanak Singh, Director, Karnal.
(Transferor)

(2) Shri Harprit Singh Malik, s/o Shri Inderjit Singh Malik, 190-C, Model Town Karnal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person transferred in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Building and Plot No. 6, Randhir Lane, Karnal.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3551 of September 1975 of the Registering Officer, Karnal.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 1-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, CHANDIGARH
156, SECTOR 9-B

Chandigarh, the 12th May 1976

Ref. No. SNP/1084/75-76.—Whereas, I, V. P. Minocha, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition range, Chandigarh,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land alongwith factory buildings situated at Rasoi, District Sonepat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Sonepat in September 1975
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the Parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) M/s Jaesbro and Co. Rasoi (Regd.), Village Rasoi, District Sonepat.

(Transferor)

(2) M/s Jaesbro and Co. Delhi (Regd.), Village Rasoi, District Sonepat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land consisting Khasra Nos. $\frac{5}{24}$—25 $\frac{14}{\frac{4}{1}}$—
5—16 7—12 1—7
of Village Rasoi, District Sonepat alongwith factory buildings.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 2274 of September 1975 of the Registering Officer, Sonepat.)

V. P. MINOCHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh

Date : 12-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 24th April 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/617.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
Plot Kh. No. 1791 situated at Rampura Ward, Sagar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sagar on 23-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-Tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, herefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

29—106GI/76

(1) Shrimati Jagrani Bai W/o Balmukund Patel, Rampura Ward, Sagar.

(Transferor)

(2) Shri Duli S/o Kamta Prasad, Baktaghat, Sagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot Kh. No. 1791 situated at Rampura Ward, Sagar.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 24-4-1976
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 28th April 1976

Ref. No. I.A.C./ACQ/76-77/BPL/618.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Three Storeyed Building No. 126 to 128/1 which is situated at Sadia Road, Ashok Nagar, Piparia
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Piparia on 22-9-1975,
for an apparent consideraion which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Dr. Shashikala Sinha W/o Rameshchand R/o Akola.

(Transferor)

(2) Shri Premkumar S/o Harisingh R/o Khaprakheda, Teh. Suhagpur Distt. Hoshangabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three storeyed House No. 126 to 128/1 which is situated at Sadia Road, Ashok Ward, Piparia.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-4-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 28th April 1976

Ref. No. IAC/Acq/BPL/76-77/619.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing House No. 9, situated at Balaghat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Balaghat on 15-9-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sidhkaran, Jaichamd, Rishabhdas, Chander Prakash, Abhay Kumar, Balaghat.
(Transferor)

(2) Suraj Bhawan Charibabu Trust, Balaghat.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1st floor 1250 square feet, 2948 square feet ground floor, House No. 9, situated at Balaghat.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-4-1976
Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 28th April 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/620.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 17 Mira Path Colony, Indore situated at Indore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at
Indore on 11-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of
the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Bhindo Rao 2. Smt. Kundin 3. Kiran Kumar 4. Ku. Gurubala R/o 102, Mira Path Colony, Indore.
(Transferor)

(2) Shri Daulat Ram Thakurdas and Sajjanlal Thakurdas R/o Sakar Bazar, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 17, Mira Path Colony, Indore.

V. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 28th April 1976

Ref. No. I.A.C./ACQ/BPL/76-77/621.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 16 which is situated at North Tukoganj, Yeshwant Colony, Indore.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 8-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Moreshwar S/o Shri Shankar Rao Desai, 17 Prashant Nagar, Padmawar, Tamod Ajni Chowk, Nagpur.

(Transferor)

(2) 1. Harish Maheshwari 2. Shri Adhok Kumar both sons of Shri Banwarilalji Maheshwari R/o 18, Yeshwant Colony, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by way of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot bearing No. 16 which is situated at North Tukoganj, Yashwant Colony, Indore.

V. K. SINHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-4-1976

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 28th April 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/622.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot which is situated at Ward No. 2, Laxmibai Road, Lashkar, Gwalior, situated at Gwalior,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908)
in the office of the Registering Officer at
Gwalior on 16-9-1976,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under sub-section (1) of Section 269D of the said Act following persons, namely :—

(1) Shri Gangaram Bandil S/o Shri Kesharmal R/o Lohiya Bazar, Lashkar, Gwalior.
(Transferor)

(2) Shri Inderjit Singh S/o Mansingh R/o Mohalla Padiam Zera, Distt. Ferozpur (Punjab).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot which is situated at Ward No. 3, Laxmi bai Road Lashkar, Gwalior.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 28th April 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/623.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot which is situated at Ward No. 3, Laxmibai Road, Lashkar, situated at Gwalior,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gwalior on 16-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', hereby nitiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Savitri Devi W/o Shri Babulal Gupta, R/o High Court Road, Lashkar, Gwalior.
(Transferor)

(2) Shrimati Guljit Waliya W/o Shri S. S. Ahulvaliya, R/o 23, Hosting Road, Agra.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot which is situated at Ward No. 3, Laxmibai Road, Lashkar, Gwalior.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 28th April 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/624.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot which is situated at Ward No. 3, Laxmibai Road, Lashkar, Gwalior situated at Gwalior,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Gwalior on 16-9-1975,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gangaram Bandil S/o Shri Kesharmal, R/o Lohiya Bazar, Lashkar, Gwalior.
(Transferor)

(2) Shri Mahendra Singh S/o Shri Mansingh R/o Zira, Forezpur. (Punjab).
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever eriod expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used heren as are defined in Chapter XXA of the Said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land which is situated at Ward No. 3, Laxmibai Road, Lashkar, Gwalior.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 28th April 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/625.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot which is situated at Ward No. 3, Laxmibai Road, Lashkar situated at Gwalior,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gwalior on 16-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

30—106GI/76

(1) Shrimati Savitri Devi W/o Shri Babulal Gupta, R/o High Court, Lashkar, Gwalior.

(Transferor)

(2) Shri Manprit Singh S/o Shri S. S. Ahulwalya, R/o 23, Hostlng Road, Agra.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expire later

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot which is situated at Ward No. 3, Laxmibai Road, Lashkar, Gwalior.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 28-4-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 5th May 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/629.—Whereas, I, V. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act' have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
No. House with land situated Near old court Raigarh situated at Raigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Raigarh on 8-9-75
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'Said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property for the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons, namely :—

(1) Shri Mukund Rao Vaid S/o Shri Madho Rao, Tilak Nagar Bilaspur (at present add. Shri Mukund Rao Vaid, B/26, 7-Manjila, Nepian, Sea Road, Bombay-30004). 2. Shri Keshav Rao Vaid S/o Shri Madho Rao Vaid, Prakash Chasma Vikreta, Opp. Main Hospital Bilaspur, M.P.

(Transferor)

(2) Shri Gurbachan Singh 2. Shri Inder Singh 3. Shri Iqval Singh all S/o Shri Mukund Lal Khanooja, Punjab National Hotel, Gandhi Chowk, Raigarh M.P.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House with land area 1643 Sq. ft. Situated Near old Court Raigarh.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 5-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 5th May 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/630.—Whereas, I, V. K. Sinha,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land Rakba No. 260 & 259/1 with an area of 67300 Sq. ft. situated at Dewas Road Indore,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 8-9-1975.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ahillya Mata Goshala Jivdiya Mandal, Indore. Through President Shri Rajkumarsinghji Kasliwal S/o Sir, Seth Hukumchand Ji Kasliwal R/o Shish Mahal Indore M.P.
(Transferor)

(2) M/s Chandrasen Interprices P/o Manohar S/o Narayan Dasji Hemnani R/o 8 Joybillders, Indore. M.P.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Rakba No. 260 & 259/1 with an area of 67300 Sq. ft. situated at Dewas Road, Indore M.P.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 5-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 5th May 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/631.—Whereas, I, V. K. Sinha,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing

No. House No. 1/1240 Koshalpura sheer sagar colony. Ujjain, situated at Ujjain,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain on 6-9-75,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the porperty as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Smt. Bimlabai Wd/o Rajendra Kumar 2. Sarojkumari 3. Sarita 4. Ranikumari 5. Rajni 6. Sunilkumar 7. Anilkumar 8. Neelu 9. Kishorilal 10. Rameshchand All R/o Bambakahana, Freeganj, Ujjain.

(Transferor)

(1) Shri Jawaharlal S/o Manaklal Agarwal 2. Shri Subashchand S/o Manaklal Agarwal 3. Shri Arvindkumar S/o Manaklal Agarwal R/o Ratlam M.P.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(2) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 1/1240 Koshalpura sheer sagar colony Ujjain. Area 2,286,19 Sq. meter.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 5-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 5th May 1976

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/76-77/632.—Whereas, I, V. K. SINHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. An open land with shade area 2000 sq. ft. situated at Sajan Nagar, Ujjain, situated at Ujjain,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain on 19-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Kailashchand S/o Shri Pannalalji Goyal 3 : 5 Parsi Mohalla, Indore, 2. Shri Bhimrai S/o Shri Seshgiri Rao Kulkarni 4 Matand Chowk, Indore. (Transferor)

(2) 1. Shri Kailashchand 2. Shri Praladdas 3. Shri Subash Chand 4. Shri Rajendrakumar S/o Shri Badrilalji And Smt. Gyarsibai W/o Shri Pannalal, R/o 69-70, Ushaganj, Main Road, Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open land with shade area 2000 Sq. ft. situated at Sajan Nagar, Ujjain, M.P.

V. K. SINHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 5-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 11th May 1976

Ref. No. 1023-A/Acq/Ghaziabad/75-76/502.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the Said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule,
(and more fully
described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Indian Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ghaziabad on 17-12-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Shashi Prabha W/o Rajendra Prasad, R/o 6422, Katra Badiyan Kallan, Delhi-6.
(Transferor)

(2) Shri Om Prakash Batra S/o Lal Chand Batra, R/o 160, New Gandhi Nagar, Ghaziabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Double storeyed residential house situated at 160, New Gandhi Nagar, Ghaziabad, transferred for an apparent consideration of Rs. 1,00,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 11th May 1976

Ref. No. 1032-A/Acq/Kanpur/75-76/503.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at As per schedule, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 17-12-1975, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe, that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kanahiya Lal S/o Shri Goradhan Dass, R/o 16/19-C, Civil Lines, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Chetan Dass S/o Assan Das, 2. Gurmukh Das S/o Assan Dass, 3. Atma Ram S/o Paras Ram 4. Hari Ram S/o Paras Ram, R/o 125/K/102, Govind Nagar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of plot No. 22, measuring 539 sq. yds., Block 'H', Scheme I, Govind Nagar, Kanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 43,141/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 11-5-1976

namely :—

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 17th May 1976

Ref. No. 919-A/Acq/Kanpur/75-76/504.—Whereas, I, Vijay Bhargava,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kanpur on 1-12-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) The Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd. through its Joint Secretary, B. S. Gupta, Swadeshi House, Civil Lines, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Shed Kumar Goel S/o Late Sri Radhey Lal Goel, R/o G-21, Shanti Nagar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of plot No. 11, measuring 555.55 sq. yds. situated at Anandpuri Colony, Juhi, Kanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 49,499/50-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 17-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 10th May 1976

Ref. No. 1038-A/Acq/Kanpur/75-76/505.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kanpur on 18-12-1975,
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ayodhya Prasad S/o Narain, Resident of 111/411, Ashok Nagar, Present—Lal Bangla, Kanpur.

(Transferor)

(1) 1. Sri Mahadev Mal S/o Meer Chand, 2. Purshottam Das, 3. Chunnilal, 4. Bhagwan Das, 5. Chandrabhan, 6. Lal Chand, Ss/o Mahadev Mal, Resident of 109/243, Ram Krishna Nagar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of House No. 111/411, Ashok Nagar, Kanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 45,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 10-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 11th May 1976

Ref. No. 1082/Acq/Kanpur/75-76/506.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 24-12-75,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such of apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Inder Mohan Malhotra S/o Avtar Krishan Molhotra, 124-A/122, Govind Nagar, Kanpur.
(Transferor)

(2) 1. Shri Mathura Das, 2. Shri Gulzari Lal, 3. Shri Kundan Lal, 4. Shri Harbans Lal, All Ss/o Lurindamal, R/o 124-A/602, Govind Nagar, Kanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Plot No. 30, Block 'F', measuring 575 sq. yds., situated at Govind Nagar, Kanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 35,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 11-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 20th May 1976

Ref. No. 864/Acq/Mathura/75-76/508.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Mathura on 29-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'Said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'Said Act' or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the 'Said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'Said Act' to the following persons namely :—

(1) 1. Shri M. K. Gupta 2. R. K. Gupta, 3. D. K. Gupta 4. N. K. Gupta 5. B. K. Gupta, all sons of R. B. Jamna Prasad R/o Dampiar Park, Mathura.
(Transferor)

(2) 1. S/Shri Hori Lal S/o Bhadai, 2. Bhagwan Singh S/o Bhadai, 3. Amar Singh S/o Bhadai, 4. Mawasi Ram, 5. Patiram, 6. Basdeo, 7. Mangaram, 8. Ram Sahai, 9. Phagun Lal, 10. Lahore, 11. Hari Singh, 12. Dori Lal, 13. Bani Singh, 14. Bissaram, 15. Shyama, 16. Ram Swaroop, 17. Genda Lal, 18. Mihi Lal, 19. Ram Lal S/o Samlia, 20. Summera, 21. Rewati Lal S/o Budharam, 22. Sewaram, 23. Babu Lal, 24. Jalali, 25. Brijwasi, 26. Durga, 27. Tularam, 28. Negaram, 29. Dauji, 30. Samanti Lal, 31. Neksha, 32. Joti Prasad S/o Lahore, 33. Yadram S/o Hoti Lal, 34. Ram Lal S/o Bidha, All Residents of Vill. Janjria, Mouja Karsaura, Teh. Sadabad, Distt. Mathura.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'Said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land measuring 117.56 acrs. Farm House, Cattle, Machinery etc. situated at Village Ispha, Teh. & Distt. Mathura, transferred for an apparent consideration of Rs. 6,08,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 20-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 20th May 1976

Ref. No. 882/Acq/Budhana/75-76.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Budhana on 2-9-1975,
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tansferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Ishak Lal son of Nanak, R/o Vill. Dulhaira, Pargana Shikarpur, Distt. Muzaffarnagar.
(Transferor)

(2) 1. Shri Krishan Pal, 2. Narendra Kumar (Adults). 3. Ram Dayal, 4. Brahmanand (both minors) sons of Om Prakash, U/G Krishan Pal, R/o Vill. Dulhaira Pargana Shikarpur, Distt. Muzaffarnagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of half portion of agricultural land measuring 18 Bigha 14 Biswa, situated at Vill Dulhaira, Distt. Muzaffarnagar, transferred for and apparent consideration fo Rs. 42,000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 20-5-1976
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 20th May 1976

Ref. No. 883/Acq/Budhana/75-76/510.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have
reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration
Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Budhana on 2-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more
than fifteen per cent of such apparent consideration
and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Ishak Lal son of Nanak, Resident of Dulhaira, Post-Kutwa, Pargana Shikarpur, Distt. Muzaffarnagar.

(Transferor)

(2) 1. Shri Shyam Lal, 2. Harish (Minor), sons of Ikbal Singh, U/G Shyam Lal, R/o Dulhaira, Distt. Muzaffarnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of half portion of agricultural land measuring 18 Bigha 14 Biswa, situated at Village Dulhaira, Pargana Shikarpur, Distt. Muzaffarnagar, transferred for an apparent consideration of Rs. 42, 000/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 20-5-1976

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 21st May 1976

Ref. No. 927/Acq/Meerut/75-76/514.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Meerut on 23-9-1975,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Roshan Jahan Aara Begum W/o Haji Abdul Ajij, Sakna Karam Ali, Meerut City.

(Transferor)

(1) 1. S/Shri Madan Lal S/o Mangal Sen, 2. Gulshan Lal S/o Madan Lal, 3. Shrimati Mahni Devi, Widow Srichand, Khandak, Meerut City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of 1/2 portion of building bearing No. 223 and 224, Present No. 372 Ta 376, situated at Khandak, Meerut, transferred for an apparent consideration of Rs. 12,500/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 21-5-1976
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 21st May 1976

Ref. No. 928/Acq/Meerut/75-76/514.—Whereas, I, VIJAY BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at As per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at Meerut on 24-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Roshan Jahan Aara Begum W/o Haji Abdul Ajij, Sakna Karam Ali, Meerut City.

(Transferor)

(2) 1. S/Shri Bal Mukand S/o Mangal Sen, 2. Lal Chand S/o Mangal Sen, 3. Dwarka Nath S/o Lal Chand, Khandak, Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of part of building, bearing No. 223 & 234, Present No. 372 Ta 376, situated at Khandak, Meerut, City, transferred for an apparent consideration of Rs. 12,500/-.

VIJAY BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 21-5-1976
Seal :

FORM ITNS———-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 19th May 1976

Ref. No. BTL/27/76-77.—Whereas, I, V. R. SAGAR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing
No. Land situated at Batala, Garbi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Batala in September 1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in
the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely ;—

(1) Shri Teja Singh S/o Shri Puran Singh r/o Batala. (Transferor)

(2) S/Shri Baldev Singh Santokh Singh ss/o Shri Teja Singh r/o Batala. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s), if any. (Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3749 of September 1975 of the Registering Authority, Batala.

V. R. SAGAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 19-5-1976
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-1

New Delhi-1, the 6th May 1976

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/Sept.(62)/964.—Whereas, I, S. C. PARIJA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agl. land Mcg. 18 Bigha & 2 Biswas,
situated at Village Samalka, Tehsil Mehrauli, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 30-9-1975,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Svs. Amar Chand
2. Daya Chand
3. Ashok Kumar
4. Mahesh Chander (Minor) through *Guardian* Smt. Vidya Devi (mother)
} Sons of Late Shri Ram Chand
5. Smt. Vidya Devi, wd/o Late Sh. Ram Chand
6. Smt. Bimla Rani, d/o. Late Sh. Ram Chand; w/o Shri Satish Chander Singhal
7. Rajesh Kumari, d/o Late Sh. Ram Chand
All r/o 23/B-1, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Maj. Gen. M. S. Boprai, s/o S. Ishar Singh
2. Smt. Surinder Kaur, w/o Maj. Gen. M. S. Boparai
3. Sh. Hardev Singh
4. Shri Gurdev Singh (5) Sh. Ishwar Dev Singh Sons of Maj. Gen. M. S. Boparai
All r/o of K-64, Hauz Khas, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 18 Bighas and 2 Biswas in Hadbast No. 221, Khatuni No. 34/44; Mustatil No. 16, Kila No. 1/14 Banjar (4-16 Biswas); 2/14 Banjar (4 Bigha-16 Biswas); 3/14 Banjar 4 Bighas 16 Biswas & 8/1/16 (3 Bighas 14 Biswas) including well, situated in Village Samalka, Tehsil Mehrauli, Distt. Delhi.

S. C. PARIJA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 6-5-1976

Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976